खण्ड-151, अंक-5
शुक्रवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(18 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 151 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या—३६ लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान (स्वीकृत)	४२६-४२७
अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय (स्वीकृत)	४२७-४३१
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ते—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	४३१-४४०
तिथियां	४४१-४४३

विधान सभा

विधान भवन पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोबर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु, शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बल्देव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र बिशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
बिश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सिया राम गंगवार, श्री
सिया राम चौधरी, श्री
सीता राम, डाक्टर
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

मुजम्मिल इस्लामिया इन्टर कालेज, सिकन्दराराऊ अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि शिवाला इंटर कालेज (सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़) के १३ छात्रों का परीक्षा फल ६ माह बाद रोक दिया गया तथा उसकी सरकारी सहायता बन्द कर दी गयी है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं। इस नाम की कोई संस्था सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ में नहीं है।

*२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुजम्मिल इस्लामिया इंटर कालेज तथा शिवाला इंटर कालेज (सिकन्दराराऊ, अलीगढ) के अध्यापक 'डिवार' कर दिये गये हैं ? अगर हां, तो इसका कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। मुजम्मिल इस्लामिया इंटर कालेज के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत थी कि इन्होंने बोर्ड की परीक्षा १९५४ में छात्रों को नकल करने में सहयोग दिया। शिवाला इंटर कालेज नामक कोई संस्था सिकंदराराऊ, अलीगढ़ में नहीं है।

नेशनल इंटर कालेज मौदहा (हमीरपुर) के विरुद्ध गबन की शिकायत

*३—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इंटर कालेज मौदहा (हमीरपुर) के विरुद्ध कोई गबन की शिकायत जिला शिक्षा निरीक्षक एवं डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग इलाहाबाद के पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुयी ?

डाक्टर सीताराम—गबन नहीं था (excess drawal) की शिकायत थी। संबंधित लोगों को चेतावनी दे दी गयी है।

*४—श्री जोरावर वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह गबन का रुपया किस फंड का है और कितना है ? क्या यह सत्य है कि यह रुपया गवर्नमेंट ट्रेजरी हमीरपुर में जमा हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर सीताराम—१,४६६ रुपये ३ आने हरिजन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा होस्टल वृत्ति के निमित्त होने वाले खर्च के रुपये को कालेज एकाउन्ट में इस्तेमाल किया गया था। १० फरवरी सन् १९५४ ई० को यह रुपया सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया।

नोट—तारांकित प्रश्न १–२ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

*५—श्री जोरावर वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इस गबन के केस को पुलिस को सौंपा गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं । किसी विशेष व्यक्ति की बदनियती या व्यक्तिगत लाभ का केस नहीं था ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला शिक्षा निरीक्षक एवं शिक्षा संचालक महोदय ने इस केस को पुलिस में दिये जाने की आज्ञा दी थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां दी थी और जिस वक्त केस विदड्रा किया गया था उस वक्त यह केस कप्तान के यहां था ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह केस क्यों बिदड्रा हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि उसमें कोई बदनीयती नहीं थी। वह रुपया स्कूल कालेज फंड में जमा था ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि एक्सेस बिदड्राल जो हुआ यह एक ही समय का है या कई बार का ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा ख्याल है एक साल या दो साल का रहा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी को याद है कि अभी ४ तारीख के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि लड़कों का फर्जी नाम लिख करके यह रुपया बिदड्रा किया गया है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो फर्जी नाम लिख करके बिदड्रा .....

श्री अध्यक्ष—आप फैक्ट्स पूछ सकते हैं राय नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लड़कों का फर्जी नाम लिख करके यह रुपया विदड्रा किया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—फर्जी नाम नहीं थे सिर्फ यह था कि जिन लड़कों को छात्र वृत्ति दी जाती है वह उतनी न दे करके रुपया स्कूल फंड में जमा कर दिया था । अब चूंकि एक एक पैसा स्कूल फंड में जमा था, गबन तो था नहीं, इसलिये वह केस बिदड्रा कर लिया गया ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कालेज में ४२ लड़के पढ़ते थे और ४२ लड़कों के फर्जी नाम होस्टल में लिख करके यह रुपया विदड्रा किया गया था ?

डाक्टर सीताराम—४२ नहीं बल्कि ४५ पढ़ते थे ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को चेतावनी दी गयी है वे कौन-कौन हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—३ अध्यापक मय प्रिंसिपल के और उसके मैनेजर ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह स्टे आर्डर स्वयं मंत्री जी ने दिया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां ।

*६—श्री गंगाधर मठाणी (जिला गढ़वाल)—[१५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[८ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरिजनों के लिए निर्मित कुएं

*८--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२, १९५३ और १९५४ ई० में हरिजनों के पानी पीने के लिये अलग-अलग वर्ष में कुल कितने कुओं का सरकार ने निर्माण कराया है ?

डाक्टर सीताराम--हरिजनों के पानी पीने के लिये सन् १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में निर्माण किये गए एवं मरम्मत किये गये कुओं की संख्या निम्नलिखित है--

	निर्माण किये गये कुओं की संख्या	मरम्मत किये गये कुओं की संख्या	कुल संख्या
१९५१-५२	२४२	७२	३१४
१९५२-५३	५४२	१६०	७०२
१९५३-५४	५४३	२०५	७४८
(सितम्बर सन् १९५४ तक)	१३२७	४३७	१७६४

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल कितना रुपया कुओं के बनाने के लिये स्वीकृत हुआ था और कितना खर्च किया गया ?

डाक्टर सीताराम--पिछले साल से मतलब ५४-५५ से है । उसमें साढ़े तीन लाख रुपया मंजूर किया गया था । उसका खर्च प्लानिंग आफिसर और हरिजन सहायक आफिसर की रिकमेंडेशन के आधार पर होता है । चूंकि कुएं १ दिन में २ दिन में या १ महीने २ महीने में नहीं बन जाते बल्कि उनके बनने में काफी समय लगता है, इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे कहना यह है कि कितना रुपया खर्च हुआ और कितना बाकी है इसके लिये आंकड़े हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह कुएं क्या सरकार स्वयं बनवाती है या ग्रान्ट दिया जाता है लोगों को ?

डाक्टर सीताराम--संचालक महोदय उस ग्रान्ट को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को देते हैं । सरकार नहीं बनवाती है ।

श्री राम कृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कुओं का निर्माण हुआ है यह जनरल ग्रान्ट से बनवाये गये हैं या हरिजन सहायक विभाग से ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह हरिजन सहायक विभाग से ही यह रुपया दिया गया है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो धन हरिजनों को कुयें बनाने के लिये दिया जाता है उसमें कितना रुपया हरिजनों को खर्च करना पड़ता है ?

डाक्टर सीताराम--उसमें से उनको एक-तिहाई खर्च करना पड़ता है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या यह सही है कि ५२-५३, ५१-५२ और ५३-५४ में जो रकम रखी गयी उसमें से अधिकांश खर्च नहीं हो सकी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं । यह सत्य नहीं है । वह रकम खर्च हो जाती है । जैसा कि अभी बताया गया वह वहां का प्लानिंग कमेटी को वह रुपया रख दिया जाता है और वह ज्यों-ज्यों कुयें बनते जाते हैं, उनको देते जाते हैं और वह रुपया सब खर्च हो जाता है ।

श्री मही लाल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि प्रांत के बहुत से जिलों में हरिजनों से १/३ न लेकर १/२ लिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अगर आप ऐसी कोई सूचना दें तो उसकी निस्बत जांच करायी जा सकती है । लेकिन अब प्रांत भर में तो इन्क्वायरी नहीं हो सकती ।

हायर सेकेन्डरी स्कूलों की सहायता योजना

*९—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा करके केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणालय की उस योजना की एक प्रति सदन में प्रस्तुत करेगी, जिसमें इस राज्य के प्रत्येक जिले के एक-एक हायर सेकेंडरी स्कूल को ९,९०० रु० की धनराशि देने की व्यवस्था है ?

डाक्टर सीताराम—योजना की एक प्रतिलिपि सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४१ पर)

*१०—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वित्तीय वर्ष में इस राज्य में कितने विद्यालयों को उपर्युक्त योजना के अनुसार यह सहायता मिली तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी यह योजना लागू रहेगी ?

डाक्टर सीताराम—५१, जी हां ।

श्री बापू विद्यालय अस्कोट, जिला अल्मोड़ा को गवर्नमेंट इन्टर कालेज बनाने की मांग

*११—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार के पास जिला अल्मोड़ा से स्थानीय जनता की कोई मांग श्री बापू विद्यालय अस्कोट को Government Inter College बनाने के सम्बन्ध में आई है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। प्रबन्धक का प्रार्थनापत्र अवश्य प्राप्त हुआ है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री नारायण स्वामी ने ४ लाख रुपया दान ला कर एक विशाल भवन बनवाया था इसके लिये। परन्तु अब दान न मिलने से अध्यापकों की तनख्वाह भी देने में यह इंस्टीट्यूशन असमर्थ है ?

श्री हर गोविन्दसिंह—जी हां। नारायण स्वामी जी ने इस पाठशाला के लिये बहुत कुछ किया है और बहुत सुन्दर भवन भी है। पारसाल उनको एक नान रेकरिंग ग्रांट भी १० हजार रुपये की दी गई थी और उसको अनुदान मिलता है। यह ख़याल गलत है कि उसको अनुदान नहीं मिलता।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो प्रार्थनापत्र उनके पास आया उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह तो विचाराधीन है। उत्तर दे दिया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार इसको गवर्नमेंट इंटरमिजियेट कालिज बनाने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं। अभी यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट इंटरमीजियेट कालिज बनाने का इरादा नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि नारायण स्वामी कौन थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, अभी ईश्वर की कृपा से मौजूद हैं। एक बड़े भारी साधू हैं। वह विद्यालय में रहते हैं और उनके बहुत से अनुयायी साउथ इंडिया में रहते हैं और उनको रुपया काफी मिल जाता है।

जौनपुर जिले में हरिजन पुस्तकालयों को अनुदान

*१२—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने हरिजन वाचनालय व पुस्तकालयों को वित्तीय वर्ष ५३-५४ में सरकारी अनुदान मिलना था ?

डाक्टर सीताराम—सात पुस्तकालयों को।

*१३—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि इनमें से किन्हीं का अनुदान बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, इनमें से एक पुस्तकालय का अनुदान बन्द हो गया है जो लाईन बाजार जौनपुर में स्थित है। कारण यह है कि उसका प्रबन्ध ठीक नहीं है।

श्री रामकृष्ण जैसवार—प्रश्न १३ के उत्तर में कहा गया है कि प्रबन्ध ठीक नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि उसमें कौन-कौन सी खराबियां हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इस वक्त जिस स्टेज पर है उससे मालूम होता है कि उसमें रुपये का दुरुपयोग किया गया है।

श्री रामकृष्ण जैसवार—उत्तर में बतलाया गया है कि अनुदान बन्द हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अनुदान के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अनुदान तो बन्द कर दिया गया है। जांच की रिपोर्ट आ जाने पर और कार्यवाही की जायगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके प्रबन्धक कौन थे ?

श्री हर गोविन्द सिंह—शायद इस समय बतलाना उचित न होगा।

सीतापुर जिले की बेसिक पाठशालायें तथा उनमें बने सामान की बिक्री

*१४—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कितनी बेसिक पाठशालायें हैं और उनमें कौन-कौन सी ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिनकी बिक्री से सम्बन्धित पाठशाला की कुछ आय हो जाती है ?

डाक्टर सीताराम—इस जिले में ५२१ बेसिक पाठशालायें हैं जिनमें से कुछ चुनी हुई पाठशालाओं में ही दरी, नेवाड़, चटाई, इज्जारबन्द का कार्य गत वर्ष से चल रहा है। परन्तु इनकी बिक्री से जो आय होती है वह बहुत ही कम होती है।

*१५—श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पाठशालाओं में सूत कतता है ? यदि हां, तो यह कता हुआ सूत किस काम में लाया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—इन सभी पाठशालाओं में पाठ्यक्रमानुसार सूत काता जाता है परन्तु अधिकतर छात्रों का काता हुआ सूत मोटा होता है। गत वर्ष से ऐसा सूत जिले के केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालयों में भेजा जाता है जिसका प्रयोग सूती कालीन बनाने में किया जा रहा है।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष यह दरी-कालीन बनाने में कितनी लागत लगी और उसकी बिक्री से कितना लाभ हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आय तो मान लेना चाहिये कि प्रायः नहीं है।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मोटा सूत गत वर्ष में कितना तैयार हुआ और कालीन बनाने में कितना खर्च हुआ और उसकी बिक्री से कितनी आय हुयी है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--इतनी ब्योरेवार सूचना तो उपलब्ध नहीं है।

जालौन के एक डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के विरुद्ध गबन की शिकायत

*१६--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या सरकार को विदित है कि जिला जालौन के एक डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने लगभग ७,००० रुपये का गबन किया जो रकम जिला नियोजन कमेटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के सहायतार्थ दी गयी थी ?

*१७---यदि यह सही है तो क्या सरकार विवरण सहित बतायेगी कि किस स्कूल को कितना रुपया जिला नियोजन कमेटी द्वारा मंजूर हुआ और कितना उनको मिला ?

*१८---क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स ने यह गबन किया वह पाकिस्तान चले गये ? यदि हां, तो उन्हें पाकिस्तान जाने की क्यों आज्ञा मिली ?

डाक्टर सीताराम--इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और पूर्ण सूचना एकत्रित हो जाने पर इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह सूचना कितने दिनों में इकट्ठी हो जायगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह---प्रयत्न यह किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी यह सूचना एकत्रित हो जाय लेकिन इसमें चूंकि बहुत सी शाखायें हैं, इसलिये शायद इसमें देर लगेगी।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---जब इसके सम्बन्ध में सूचना ही नहीं प्राप्त हुई थी तो फिर इस प्रश्न को रखने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री अध्यक्ष---यह तो नियम की बात है, एक आध दफ़ा वह पोस्टपोन करा सकते हैं लेकिन उन्हें कोई न कोई तो अन्तरिम उत्तर बाद में देना ही चाहिये।

*१९--श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---[२९ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०--२२--श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ)---[१ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

नगरपालिकाओं तथा ग्रामों में अनिवार्य शिक्षा नियम का प्रचलन

*२३--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितनी नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा नियम लागू है और कितनी नगरपालिकाओं में वह लाग करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम---९६ में बालकों के लिये तथा ८ में पूरे और २ में थोड़े क्षेत्र में बालिकाओं के लिये ।

९ में बालकों के लिये तथा कानपुर के पूरे क्षेत्र में बालिकाओं के लिये जुलाई, १९५५ से प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने का विचार है ।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी म्युनिसिपैलिटीज़ बाकी रह गयी हैं जिनमें अनिवार्य शिक्षा चालू नहीं हुई है ?

डाक्टर सीताराम---१२० नगरपालिकाओं में से इसको घटा कर निकाल लीजिये ।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार छोटी नगरपालिकाओं में भी अनिवार्य शिक्षा लागू करने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, ज़रूर, समय आने पर और धन मिल जाने पर इसका प्रबंध किया जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में यह शिक्षा दी जा रही है उनको सरकार कितनी आर्थिक सहायता देती है ?

डाक्टर सीताराम---तीन चौथाई ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि पडरौना नगरपालिका ने अनिवार्य शिक्षा के लिये लिखा है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत सी नगरपालिकाओं ने ऐसे प्रार्थनापत्र भेजे हैं लेकिन पडरौना का आया है या नहीं, मैं नहीं कह सकता ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नगरपालिकाओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा चालू करने के लिये किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है ।

श्री शिव कुमार शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त की समस्त म्युनिसिपैलिटियों में सरकार अनिवार्य शिक्षा की नीति अब तक क्यों नहीं अपना पा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---धनाभाव एक और दूसरे शिक्षकों की इतनी संख्या अभी तक नहीं हो पाई है, इसी वजह से जैसे जैसे शिक्षकों की वृद्धि होती जाती है हम म्युनिसिपैलिटियों की संख्या भी बढ़ाते जाते हैं जिनमें अनिवार्य शिक्षा चालू की जा रही है ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह ग्रामीण क्षेत्र कहां हैं जहां पर अनिवार्य शिक्षा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत से जिले हैं । बाराबंकी में एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां काफी दूर तक अनिवार्य शिक्षा लागू है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगरपलकाओं में अनिवार्य शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा आती है या माध्यमिक शिक्षा भी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---खाली प्राथमिक शिक्षा आती है ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां पर अनिवार्य शिक्षा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अगर यह प्रश्न पहले पूछा गया होता जब कि नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में पूछा गया था तो मैं ग्रामों के विषय में भी मालूम कर लेता और कोई वजह नहीं थी कि मैं यहां ग्रामों के विषय में न बतलाता।

*२४-२५---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[८ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रान्तीय हरिजन सहायक सलाहकार बोर्ड की अवधि

*२६--श्री मही लाल---क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय हरिजन सहायक सलाहकार बोर्ड की अवधि कितने वर्ष की है ?

डाक्टर सीताराम---तीन साल की।

श्री मही लाल---क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान बोर्ड की अवधि कब तक की है ?

डाक्टर सीताराम---९ अक्तूबर, १९५५ तक।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---२४ आदमी हैं।

हरिजन कल्याण विभाग की ओर से कुटीर उद्योग के कार्य

*२७---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस चालू वर्ष में हरिजन विभाग की ओर से कुटीर उद्योग का कार्य करने वाले हरिजनों में कुल कितना रुपया सहायतार्थ बांटा गया है और उसमें से जिला कानपुर के कितने व्यक्तियों को कुल कितना धन दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम---चालू वर्ष में हरिजन कल्याण विभाग की ओर से कुटीर उद्योग का कार्य करने वाले हरिजनों को अभी तक कुल १,३७,९२२ रु० ८ आना बांटा गया इस में से जिला कानपुर के १२ व्यक्तियों को ३०,५० रु० दिया गया।

*२८---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरिजन सहायक विभाग की ओर से जिला कानपुर में कितने आनरेरी प्रचारक कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---हरिजन सहायक विभाग की ओर से जिला कानपुर में ४ आनरेरी प्रचारक काम कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन किन उद्योगों को सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम---पहले तो उन उद्योग की शिक्षा पाये लड़कों को सहायता दी जाती है जो बख्शीतालाब से शिक्षा पाते हैं उनमें ८, ९ उद्योग हैं। जैसे मुर्गी पालना, सुअर पालना और चमड़े के काम करने वाले हैं इन सब को यह सहायता दी जाती है।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में इस उद्योग के करने वाले और मांग को देखते हुये यह धन बहुत कम है ?

डाक्टर सीताराम—आप ने बात तो यह सही कही लेकिन इस सम्बन्ध में पिछले साल कानपुर जिले को करीब २० हजार रुपया दिया गया था इस पर बहुत सी आपत्तियां बहुत से सदस्यों की ओर से हुईं। तो अब इस साल से उन लड़कों को जो बख्शी के तालाब पर ट्रेनिंग पा रहे हैं उनको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसे लोगों को आबादी के मुताबिक यह रुपया वितरित कर दिया जायगा।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आनरेरी प्रचारक रखे गये हैं उनमें जिला हरिजन समिति की सहायता नहीं ली गयी?

डाक्टर सीताराम—समिति की रिपोर्ट यहां पर नहीं आयी लेकिन जहां तक इन कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में कहना है जिला प्लानिंग आफिसर की रिपोर्ट पर यह सब नियुक्तियां की गयी हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक विभाग की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कितना रुपया व्यय किया गया है?

श्री अध्यक्ष—क्या आप यह पूरे प्रान्त के लिये भी जानना चाहते हैं?

श्री शिवकुमार शर्मा—कानपुर का ही बता दें।

डाक्टर सीताराम—३०,५० रुपया दिया गया था। आगे चलकर जिला प्लानिंग कमेटी अपनी रिकमेन्डेशन संचालक हरिजन सहायक को भेजती है। उस एड-हाक कमेटी के तीन सदस्य होते हैं। इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता कि किसको दिया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन कुटीर उद्योगों के लिये दिया हुआ धन सुचारुरूप से खर्च हो रहा है, इसकी देख-रेख के लिये क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है?

श्री हर गोविन्द सिंह—जो प्लानिंग कमेटी के मेम्बरान हैं तथा आफिसरान हैं वे ही उसकी देखभाल करते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह अनुदान दिया जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्लानिंग कमेटी के किस विभाग की ओर से इसकी देखभाल होती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने कहा कि प्लानिंग कमेटी के जितने सदस्य हैं उनको यह अधिकार है, हरिजन सहायक बोर्ड के मेम्बरान, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर, हरिजन सहायक विभाग के आफीसर तथा हर एक एम० एल० ए० उसको जा कर देख सकता है और रिपोर्ट कर सकता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या यह सही है कि हरिजन उद्योगों की सहायता के लिये हरिजनों को जो सहायता दी जाती है उस के लिये जिला की समितियों से कुछ सिफारिशें मांगी गयी हैं यदि हां, तो क्या सरकार उन पर विचार कर के अनुदान देती है?

डाक्टर सीताराम—सरकार तो अनुदान नहीं देती। शिक्षा संचालक कमेटी की सिफारिश पर कन्सीडर करके देता है। इसके अलावा किसी दूसरे आदमी को दे दिया गया है, ऐसी शिकायत आने पर कैंसिल भी कर दिया जाता है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार आनरेरी प्रचारकों पर कितना खर्चा होता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--एक पर ६०० रुपया साल।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन प्रचारकों का क्या कार्य है और उनके ऊपर निरीक्षण की क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर सीताराम--प्लानिंग आफिसर इन प्रचारकों के जिले में हेड हैं, वही उनके कार्य को देखते हैं। उनका कार्य है, ऐसी भावना पैदा करना जिससे छूआछूत दूर हो। वह अपनी डायरी भी रखते हैं।

श्री गेंदा सिंह--सरकार ने जो धन इस विभाग पर खर्च किया है, तो क्या सरकार ने इसके बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। यदि हां, तो वह प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या आयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट यही हो सकती है कि यह लोग काम कर रहे हैं या नहीं। यह प्लानिंग आफिसर के अन्डर में है, अपनी डायरी भी रखते हैं, और उनकी देख रेख भी वही करता है। जो ५० रु० माहवार उनको दिये जाते हैं, वह केवल सफर खर्च के लिए दिये जाते हैं, कोई वेतन नहीं दिया जाता।

*२९--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--[१ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

*३०--श्री पुत्तूलाल--[८ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेजों के प्रशिक्षित व्यक्तियों का वेतन

*३१--श्री शिववक्षसिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रदेश में कहां-कहां जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोले गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--इलाहाबाद, लखनऊ तथा मुजफ्फरनगर।

*३२--श्री शिववक्षसिंह राठौर--इन कालेजों में शिक्षित शिक्षार्थियों का पे-स्केल (Pay Scale) क्या निर्धारित किया गया है ?

डाक्टर सीताराम--इन्हें ४५-२-६५-द० रो०-३-८० रु० का वेतन क्रम दिया जायगा, परन्तु आरम्भ में ५१ रुपये प्रति मास की दर से वेतन मिलेगा।

*३३--श्री शिववक्षसिंह राठौर--प्रत्येक कालेज में शिक्षार्थियों की संख्या क्या है?

डाक्टर सीताराम--इलाहाबाद में ५७, लखनऊ में ५१, मुजफ्फरनगर में ५४।

श्री शिववक्षसिंह राठौर--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विज्ञप्ति में पे स्केल्स भी बताये थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पे स्केल तो वही ४५--८० रुपया है, लेकिन उसमें यह बताया गया था कि ३ एडवांस इन्क्रीमेंट्स दिये जायगे।

श्री शिववक्षसिंह राठौर--क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि जे० टी० सी० शिक्षा प्राप्त बहुत से इस आशा में यहां चले आये हैं कि यहां उन्हें सी० टी० का ग्रेड मिलेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, जो लोग इन्टरमीडियेट पास हैं, वे ही लोग लिये जाते हैं। उनमें भी जो फर्स्ट और सेकंड डिवीजन पास हैं, वे ही लिये जाते हैं। केवल शैड्यूल्ड कास्ट के थर्ड डिवीजन वाले लिये जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है। इसके अलावा और लोग नहीं लिये जाते हैं।

श्री शिवबक्ष सिंह राठौर—जे० टी० सी० हाई स्कूल थर्ड डिवीजन भी है और इसके लिए आप सेकंड डिवीजन इन्टरमीडियेट लेते हैं। तो क्या उनके पे स्केल पर सरकार पुनः विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जे० टी० सी० का पे स्केल शुरू होता है ४५ से और इनका भी स्केल वही रहेगा। लेकिन इनको पहले ही तीन एडवांस इन्क्रीमेंटस दे दिये जायेंगे, इस लिए इनका वेतन क्रम शुरू होगा ५१ रु० से।

*३४-३५—श्री सत्यसिंह राणा—[१५ अप्रैल, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

पर्वतीय प्रदेश में स्त्री विक्रय को रोकने के कानून की मांग

*३६—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मुख्य मन्त्री के पास कोई आवेदन पत्र आया था कि पर्वतीय प्रदेश में जो पुत्री, पत्नी, व स्त्री विक्रय की कुप्रथा कहीं-कहीं प्रचलित है, उसे रोकने का कानून बनाया जाय ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—जी नहीं, ऐसा कोई आवेदन पत्र आया हुआ प्रतीत नहीं होता।

*३७—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो सरकार ने इस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, करीब साल भर का अर्सा हुआ, एक किस्म का एक कागज मुझे श्री विष्ट जी ने दिया था। इस समय मुझे ख्याल नहीं है कि उस पर क्या हुआ। मुझे याद पड़ता है कि उसे मैंने कार्यवाही और रिपोर्ट के लिये भेज दिया। अब मैं ट्रेस करके बतला सकता हूं कि वह कागज कहां है और उसके ऊपर क्या हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं कि अभी माननीय समाज कल्याण मंत्री ने जवाब दिया कि "जी नहीं, कोई आवेदन-पत्र नहीं आया" और आगे फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आया है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाय कि जब एक ही प्रश्न के दो उत्तर समानान्तर उसी समय में मिलें तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिये ? यह तो एक अजीब परिस्थिति इस समय आ गयी है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उत्तर दिया कि कोई आवेदन-पत्र आया हुआ प्रतीत नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि उनके विभाग में आया हुआ नहीं प्रतीत होता है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आना सम्भव है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रथा सिर्फ पिठौरागढ़ इलाके के अन्दर है या पर्वतीय प्रदेश के किसी और इलाके में भी है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य शायद प्रश्न ही पूछते हैं, उत्तर नहीं चाहते।

*३८—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[२४ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जूनियर हाई स्कूल वाड़ेछीना, जिला अल्मोड़ा को इमारत के लिये अनुदान

*३९—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जूनियर हाई स्कूल वाड़ेछीना जिला अल्मोड़ा की विज्ञानशाला की इमारत के लिये सरकार ने ५०० रुपया का अनुदान पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकार किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। स्थिति इस प्रकार है। गत वर्ष बहुत से मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूलों को अनावर्तक अनुदान दिया गया था। उन स्कूलों में हायर सेकेंडरी स्कूल वाड़ेछीना का नाम भी सम्मिलित किया गया था और उसके सम्मुख ५०० रु० का अनुदान दिखाया गया था।

*४०—श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड अल्मोड़ा लगातार पिछले दो वर्षों से जूनियर हाई स्कूल बाड़े छीना के लिये जनरल साइन्स का अपरेटस देने की प्रार्थना सरकार से कर रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इसमें क्या निश्चय किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

राज्य के आदिवासियों के जीवन-सुधार पर व्यय

*४१—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त के भिन्न-भिन्न जिलों के आदिवासियों के जीवन सुधार के लिये सरकार कितना धन किस बात पर व्यय कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जिला मिर्जापुर के आदिवासियों के जीवन सुधार के हेतु हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५३–५४ में चलाई गई योजनाओं पर निम्नलिखित धन व्यय किया गया—

	रु०
(क) शिक्षा	६,२२८
(ख) पीने के पानी के कुयें	५,०००
(ग) सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटरी (आदिवासियों के कार्य के लिये)	३१,०००

सन् १९५४–५५ से इन योजनाओं पर कार्य जारी है तथा इनके लिये आवश्यक धन सरकार दे रही है।

जिला देहरादून के जौनसार बावर इलाके के आदिवासियों के लिये कोई विशेष योजना नहीं है। सन् १९५३-५४ में इनके लिये ५०,००० रु० का अनुदान दिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

		रु०
(क)	लखामंडल में पीने के पानी की योजना के हेतु ..	२,०००
(ख)	बिजन पुल बनाने के हेतु ..	५,०००
(ग)	विद्यार्थियों को सहायता के हेतु ..	२,०००
(घ)	ऊन की पैदावार के हेतु	१९,०००
(ङ)	फल के बगीचे के हेतु	१८,०००
(च)	मुर्गी पालन के हेतु	४,०००
	योग ..	५०,०००

सन् १९५४-५५ में ५०,००० रु० का अनुदान ऊन की पैदावार बढ़ाने तथा बगीचों के लिये दिया जा रहा है।

*४२—श्री जगपति सिंह—क्या इन जिलों में बांदा भी शामिल है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—नहीं। परन्तु अब पत्था इलाके के आदिवासियों को खेती के कार्य में बसाने के हेतु २०,००० रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उनके लिये कुछ स्कूल भी इस अनुदान से खोले जायेंगे।

श्री जगपति सिंह—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह पत्था का इलाका बांदे में कहीं है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बांदे में ही होगा।

डाक्टर सीताराम—मालूम होता है वहीं है।

श्री जगपति सिंह—क्या बांदा जिले के आदिवासियों की रिपोर्ट श्रीमान् जी के पास नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी जानकारी तो माननीय सदस्य बाहर हासिल कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बुन्देलखंड के जिलों में भी आदिवासी अधिक हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये।

श्री रणंजय सिंह—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि आदिवासी किस को माना जाता है।

श्री हरगोविन्द सिंह—जो लिस्ट में हैं, उन्हीं को हम मानते हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित रविशंकर शुक्ल को आदिवासी बताया था और क्या उनका भी नाम लिस्ट में है ?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

सुल्तानपुर जिले की संस्कृत पाठशालाओं को आर्थिक सहायता

*४३--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले की किस संस्कृत पाठशाला को समाप्त होने वाले वर्ष में कितनी राजकीय आर्थिक सहायता प्रदान की गई है?

डाक्टर सीताराम--सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४२ पर)

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सहायता में भवन निर्माणार्थ इस संस्कृत पाठशाला को कितना धन दिया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना नहीं है।

शिक्षण शिविर, बख्शी तालाब, लखनऊ के कार्य तथा मासिक व्यय

*४४--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजकल बख्शी का तालाब पर किस विषय का शिक्षण शिविर है और उसमें कितने शिक्षक तथा कितने शिक्षार्थी हैं?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४३ पर)

*४५--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान समय में जो शिक्षण शिविर बख्शी के तालाब पर चल रहा है वह अनुमानतः अभी कब तक चलेगा तथा उस पर कितना मासिक व्यय हो रहा है?

डाक्टर सीताराम--शिक्षण शिविर स्थायी रूप से चलता रहेगा। इस पर प्रतिमास लगभग ९,९०५ रुपये व्यय होता है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बख्शी तालाब शिक्षा शिविर में विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह--विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं हुई है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बख्शी तालाब में कितने हरिजन और कितने अन्य जातियों के शिक्षार्थी हैं?

डाक्टर सीताराम--वहां १५७ हरिजन हैं, ४४ बैकवर्ड क्लासेज के हैं और ३४ ऊँची जातियों के हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शिक्षक बख्शी के तालाब में हैं उनकी क्वालिफिकेशन्स और ग्रेड आफ पे क्या है?

श्री अध्यक्ष--ये कितने शिक्षक हैं, अगर दो-चार हों तो उनकी क्वालीफिकेशन्स पढ़ने की इजाजत दूंगा।

डाक्टर सीताराम--शिक्षकों की संख्या २० है।

श्री अध्यक्ष--तो मैं हर एक की क्वालीफिकेशन्स पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। उत्तर बहुत लम्बा हो जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बख्शी के तालाब में शिक्षण के लिये जो विद्यार्थी लिये जाते हैं उनको जो काम सिखाया जाता है वह प्रान्त की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये किया जाता है।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बख्शी के तालाब में जो ट्रेनीज ट्रेनिंग पाने के लिये आते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स होती है और क्या उम्र होती है?

डाक्टर सीताराम—इसमें बहुत से आर्ट्स हैं। मैं उनके नाम बतला दूं। जैसे दर्जीगीरी पढ़ाने का काम है या बढ़ई का काम है उसमें तो मिडिल स्कूल पास की आवश्यकता होती है और फिटर, बिजली का काम, मोल्डिंग, मोटर मिकैनिज्म वगैरः इनके लिये हाई स्कूल की योग्यता की आवश्यकता होती है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बख्शी के तालाब पर जो हरिजन विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से कुछ छात्र इस समय निकाल दिये गये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, शायद कुछ निकाल दिये गये हैं।

श्री गेंदासिंह—उनके निकालने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्द सिंह—उन्होंने स्ट्राइक किया था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने विद्यार्थी यहां शिक्षा पाते हैं उनको सबको सरकारी नौकरियों में ले लिया जाता है या उनको सब को व्यक्तिगत व्यवसायों के लिये छोड़ दिया जाता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—दोनों।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि मोटर मिकेनिक्स के लिये शिक्षा दी जाती है उसके लिये वहां कोई मोटर है?

श्री हरगोविन्द सिंह—शिक्षा देने में मोटर की कोई आवश्यकता नहीं होती।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह कृपा करके बतायेंगे कि बख्शी के तालाब में जो शिक्षार्थी हैं उनमें कोई आदिवासी भी हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—अगर गेंदा सिंह जी की परिभाषा मानी जाय तो कुछ होंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के ट्रेनीज को वहां पानी और लाइट की बहुत बड़ी तकलीफ है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, बहुत आराम है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो लोग वहां पर शिक्षित होकर स्वयं व्यवसाय करते हैं उनको सरकार क्या वहां के शिक्षा प्राप्त होने के कारण कोई सहायता करती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि बख्शी के तालाब में हरिजन विद्यार्थियों ने जो स्ट्राइक किया था, वहां पर पानी और रोशनी का कोई माकूल इन्तजाम नहीं था, इस कारण किया था?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, वे कुछ लोगों के बहकावे में आ गये थे।

अतारांकित प्रश्न

हरिजन विभाग के सोशल वर्कर्स की नियुक्ति के नियम

१—श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन विभाग से सम्बन्धित सोशल वर्कर्स की नियुक्ति के लिये कुछ नियम हैं और क्या वे भविष्य में संशोधित होने जा रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—सोशल वर्कर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम अभी बनाये जा रहे हैं।

२–३—श्री वीरेन्द्रपति यादव—[२४ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य राव राजकुंवार सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आप को स्मरण होगा कि पिछली असेम्बली में हमारे एक सदस्य थे राव राज कुंवार सिंह। वे जमींदार कांस्टीट्युएंसी की तरफ से इस सदन के सदस्य थे। वे इसके पहले अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके थे। जो लोग पिछली असेम्बली के सदस्य थे उनको राव साहब के स्वभाव से और उनके कामों से काफी परिचित होगा। अभी खबर आयी है कि ८ मार्च को उनका देहान्त हो गया और वे एक ६ वर्ष का नाबालिग बच्चा छोड़ गये हैं। मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों का शोक और संवेदना उनके कुटुम्बियों के पास पहुंचा दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राव राजकुंवार के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने जो उद्गार प्रकट किये हैं मैं उनसे सहमति प्रकट करता हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय नहीं था। मैं भी उनकी मृत आत्मा के लिये शान्ति कामना और परिवार के लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उसके समर्थन में मुझे यह कहना है कि राव राजकुंवार सिंह जी से मेरा परिचय अधिक था। सन् ४६ में जब असेम्बली के चुनाव में मैं पहली बार यहां आया तो मैं उनके साथ यहां चुन कर आया। उनका जमींदार क्षेत्र में जमींदार भाइयों के लिये अधिक कार्य था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि के कार्यों में भी वे हिस्सा लेते थे। श्रीमन्, दुख: की बात यह है कि इस वक्त उनके पूरे परिवार में एक बच्चा ही रह गया है और मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि अब कोर्ट आफ़ वार्ड तो रहा नहीं, लिहाजा सरकार को उस बच्चे की और जो उस की जायदाद बच गयी है उस की रक्षा और देख रेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये ताकि उनका बच्चा जीवित रहे और ठीक तरह से उसकी शिक्षा हो। हम सब को उनकी मृत्यु पर दुःख है और मेरी प्रार्थना है कि संयुक्त दल की ओर से उनके परिवार में जो सिर्फ एक बच्चा है या जो सम्बन्धी हों उनके पास वेदना और संवेदना हमारी तरफ से भेज दी जाय।

श्री अध्यक्ष—राजकुंवार सिंह के निधन पर जो नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने संवेदना और दुःख प्रकट किया है उस के साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। वे पिछले असेम्बली में सदस्य रहे और इतना मैं जानता हूं कि वे सज्जन और शान्तिप्रिय व्यक्ति थे। उनके कुटुम्ब के प्रति जो सहानुभूति प्रकट की गयी है उससे भी मैं अपने को सम्बन्धित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी ही सहानुभूति राजा साहब भी उनके मित्र के नाते उनके परिवार से रक्खेंगे। सदन की ओर से मैं यह सहानुभूति का प्रस्ताव उनके कुटुम्बियों के पास भेज दूंगा। अब उनकी मृत आत्मा की शान्ति के लिये कृपा कर के एक मिनट के लिये सदस्यगण उठ खड़े हों।

(सब सदस्य १ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

रायबरेली जिले के शिवरतनपुर थाने में सोशलिस्ट कार्य-कर्त्ताओं की गिरफ्तारी सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव मदनमोहन उपाध्याय जी ने भेजा है। इसके सम्बन्ध में मैंने उन्हें कहा था पहले रोज कि वह इस सम्बन्ध में वाकया क्या है उसके कागजात मुझे दे दें, वह उस रोज यहां से चले गये थे। आज ११ बजने में जब ७ मिनट थे उस समय उन्होंने कागजात भेजे, मैं आज निर्णय नहीं दूंगा, मैं अभी देख भी नहीं पाया और मैंने सरकार के पास भी इनकी प्रति नहीं भेजी है। तो अभी यह अनुपयोगी होगा। व्यर्थ होगा कि इसके ऊपर अभी विचार हो, इस पर मैं कल निर्णय दूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--कल छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष--कल यानी २१ तारीख को ही निर्णय दूंगा।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन (क्रमागत)

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो माननीय गंगाधर मैठाणी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वसिद्ध है कि किसी भी देश में जंगल का रहना अति आवश्यक है। उसे सभी सदस्य जानते हैं और श्रीमन्, मुझे जितना अनुभव है वह यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने जंगलों का सफाया कराने में जितना काम किया है वह बहुत ही निन्दनीय किया है और यह करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। इसका परिणाम आज हमारे पूर्वी जिले भोग रहे हैं और इसको मंत्री जी ने भी माना है। जंगलों का सफाया हो जाने के बाद बाढ़ का तांता चार, पांच वर्षों से लगातार आया हुआ है जिससे कि देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, बलिया हर साल बाढ़ से तबाह हुआ करते हैं। यही नहीं, जंगलों के न होने के कारण वहां प्रति वर्ष सूखा भी हो जाया करता है और इस कारण भी तबाही हुआ करती है और वहां हर एक व्यक्ति को दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार हर साल वनमहोत्सव मनाने का प्रयत्न करती है और वह मनाया जाता है और दूसरी तरफ लोगों को वन काटने की छूट दे दी जाती है। हमारे यहां देवरिया में कोई जंगल नहीं है। एक-दो छोटे जंगल हैं जिन जंगलों से वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होता था। बरवा एक जंगल है जो वहां के एक छोटे कस्बे कसिया के पास है और वहां के लोग उससे अपना जीवन यापन करते थे। उस जंगल को जब वहां जमींदारी समाप्त हो रही थी उस समय वहां के राजा तमकुही ने कटवा कर खेती बनाने की कोशिश की और इसको वहां के किसानों ने रोकना चाहा। रोकने पर सरकार की तरफ से आज्ञा दी गयी और कलेक्टर साहब ने वहां के रहने वाले लोगों को बुला कर कहा कि यह जंगल आप लोग कटने दें और इसके बाद फिर टौनिया रीति से जंगल लगाया जायगा। लेकिन उसकी आज तक कोई परवाह नहीं की गयी और उस जंगल के स्थान पर खेती बन कर तैयार हो गयी है। ठीक इसी तरह से हमारे यहां के श्री काशीनाथ जी पांडे जो पोलिटिकल सफरर हैं जो कि आल इंडिया चीनी मिल मजदूर सभा के सर्वेसर्वा हैं, उनके भाई श्री विजय बहादुर

[श्री रामसुभग वर्मा]

पांडेय हैं उनके नाम से कुछ जमीन उस जंगल में से एलाट कर दी गयी। वे उसके लिये बारबार कोशिश करते हैं कि वहां के लोगों को परेशान कर जंगल कटने का प्रयत्न करते हैं। जंगल ऐसा उपयोगी है वहां के लोगों के लिये जैसा मैंने अभी बतलाया कि लकड़ी बेच कर के लोग अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ लोग मवेशी चराते हैं। वहां के जो बसने वाले हैं, वहां पर एक फल होता है गेंठी उसको दुर्भिक्ष के समय में वहां लोग खाकर के अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उस जंगल को कटवा दिया गया है और थोड़ा सा रह गया है। इसी प्रकार सिसवा का जंगल है जहां फूस होता है जिससे लोग छप्पर बनाते हैं और लकड़ी भी उसी जंगल में मिलती है, लेकिन चूंकि जंगल कटता चला जा रहा है, इस लिये उन लोगों को लकड़ी मिलनी मुश्किल हो रही है जिसकी वजह से वे लोग अपने छप्पर छाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उस जंगल के रखरखाव के लिये हमने कई दफ़ा शिकायत की; सरकार ने आश्वासन दिया और एक भिक्षुक हैं उनको ४० एकड़ जमीन दे दी। लेकिन बाद में सरकार ने कलेक्टर महोदय से कहा उन्होंने एस० डी० एम० को हुक्म दिया कि वह जमीन बदल दी जाय और जो परती पड़ी हुई जमीन है वह उनको दे दो, वह उसको नहीं मानते हैं और जब लोग इसके लिये आपत्ति उठाते हैं, जंगल के रखरखाव के लिये कोशिश करते हैं तो गिरफ्तार किये जाते हैं। इस मर्तबा भी उस जंगल की लकड़ी काटी गयी और १० हजार में सरदार नगर मिल को बेची गई, वन विभाग की तरफ से उनको रोका गया और अब तक मुकदमा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--आप का समय समाप्त हो गया।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, वन हमारे राष्ट्र की बड़ी भारी सम्पत्ति है और उनके विकास और उन्नति में हमारा विकास निहित है। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार जंगलों के विस्तार के लिये जो भी करे वह कम ही कम है। कल मुझे बड़ा दुःख हुआ जब मंत्री जी ने यह कहा कि उनके पास उतने फंड्स नहीं हैं कि जंगलों का विकास जिस तरह से वह करना चाहते हैं कर सकें। श्रीमन्, यह सही है कि सड़कों के किनारे नहरों के किनारे पेड़ लगाये जायं और राजस्थान से बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने के लिये जंगल बनाये जायं। जंगल आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में हैं और सिवाय इसके कि इन जंगलों को कार्मशियल बेसिस पर ऐक्सप्लायट करें और कोई तरीका नहीं है। उस रुपये का सदुपयोग न वहां की जनता के लिये और न अफ़ोरेस्टेशन के लिये होता है, जहां तक कि अधिक होना चाहिये। दूसरे पहाड़ के लोगों के लिये जंगल ही सब कुछ है, बहुत जरूरी चीज है, मकान बनाने के लिये उनको लकड़ी जंगलों से मिलती है, जलाने के लिये मिलती है और पत्तियां खाद बनाने के लिये मिलती हैं, स्टोन के स्लेट्स जंगलों से निकलते हैं। यह सब वे अपनी जरूरियात के लिये चाहते हैं। इसके सम्बन्ध में सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि पहाड़ों में अफ़ोरेस्टेशन की स्कीम सरकार चालू करे। अलग-अलग ब्लाक्स बना दे और रोटेशन सिस्टम चलाये। वहां पर जरिये गुजर लोगों के पास सिवाय भूमि के दूसरा नहीं है और जब साधन नहीं हैं तो लोग बाहर पहाड़ों से निकल कर आप देखेंगे कि कहीं बर्तन मांजते हैं लाखों की तादाद में, हिमाचल प्रदेश में लकड़ी ढोने का काम करते हैं। श्रीमन्, जिस क्षेत्र में हमारे जंगल हैं, वहां की जनता को हमेशा के लिये यह बड़े दुख की बात है और मुझे उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी कि सबसे ज्यादा जो ऐक्साप्लायटेशन करते हैं उससे इंडिविजुअल्स को ज्यादा फायदा पहुंचता है। मेरा ख्याल है कि वहां पर रेजिन टर्पेन्टाइन फैक्ट्री अच्छी तरह चल सकती है, साथ ही पेपर पल्प की फैक्ट्री भी चल सकती है और इसके अलावा मैच फैक्ट्री भी चल सकती है। वहां पर ये फैक्ट्रियां चलायी जायं तो बहुत अच्छी तरह चल सकती हैं। इनके अलावा हर्ब्स, लाइम, जिपसम वगैरह का कलेक्शन अगर कोआपरेटिव सोसाइटियों के आधार पर हों तो यह बहुत अच्छा चल सकता है और वहां के लोगों को रोजी भी मिल सकती है। श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान फारेस्ट कमेटी की ओर भी दिलाना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में यह कहना

चाहता हूं कि जब तक पहाड़ी इलाके के प्रतिनिधियों को उस में सम्मिलित नहीं किया जाता तब तक सरकार के सामने वहां की सारी स्थिति अच्छी तरह से नहीं आ सकती है। यह बात सही है कि इससे उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जायगी, लेकिन यह किया जा सकता है कि पूरी कमेटी की मीटिंग साल में एक या दो दफे ही बुलायी जाय और उसकी सब कमेटीज बना कर काम किया जाय। लेकिन जैसा कि एक और माननीय सदस्य ने भी कहा कुमायूं फारेस्ट कमेटी में उन सबका प्रतिनिधित्व अवश्य हो जाना चाहिये।

दो एक बात मैं टेहरी के सम्बन्ध में भी कहूंगा। यह खुशी की बात है कि सोयम जंगलों को वापस करने पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन दो तीन साल पहले जब कहा गया था तो यही जवाब मिला था कि जल्दी ही विचार किया जायगा और अभी कुछ ठीक नहीं, तीन-चार साल या कितना समय लग जाय। मुझे अफसोस है कि जो अब तक नुक़सान हुआ, वह अभी और भी होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे। एक भारी डिमार्केशन चल रहा है उसके सम्बन्ध में सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है।

तीसरी बात यह है कि मैंने देखा कि वहां के जो अफसरान हैं उनके डेट आफ कन्फर्मेशन से उनकी नियुक्ति मानी गयी है और उनके साथ के लोग उनसे बहुत ऊपर हैं बल्कि मर्ज होने के बाद जो लोग टेहरी से ट्रेनिंग पाये हैं, वह भी उनसे ऊपर हो गये हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनको समकक्ष बनाया जाय। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो एक रेंज से दूसरे रेंज में जाने के लिये ड्यूज लिये जाते हैं वह अन्याय है, वह खत्म कर देना चाहिये। गुर्जरों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर रोक हो जानी चाहिये ताकि जंगलों का फायदा हो।

अन्त में एक इन्सटांस पक्षपात का दे देना चाहता हूं। श्रीमन्, बात छोटी सी है, एक आदमी के मुताल्लिक, लेकिन यह एक न्याय का प्रश्न है। एक आदमी पिछले साल मेरिट के आधार पर, सीनियारिटी के आधार पर टेहरी सर्किल में हेड असिस्टेंट रखा गया। लेकिन सी० सी० एफ० के दफ्तर से एक दूसरे आदमी को मौका दे दिया गया उसने रिप्रेजेंटेशन दिया, अपील की। सरकार कहती है, उसके पास अपील नहीं है, सी० सी० एफ० कहता है उसने सरकार को भेजी। माननीय मंत्री जी को खुद इसके बारे में मालूम है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिये मुझे पूरे तौर पर उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस मामले में खुद दिलचस्पी लेंगे और यह जो मैं यहां कह रहा हूं इसी को सूचना समझ कर वह इसकी पूरी-पूरी जांच करायेंगे। अगर उस व्यक्ति के कन्फर्मेशन का हुक्म चला भी गया हो तो उसको भी वह रोक सकते हैं और मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी पूरा ध्यान इस तरफ देंगे।

*श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जंगल ईश्वर और प्रकृति की बनायी हुयी चीज होती है, जहां मनुष्य अध्यात्मवाद की ओर जाता है। शहर और बाजार आदमी की बनायी हुयी चीज होती है जहां मनुष्य भौतिकवाद की तरफ जाता है। इसलिये जंगल का समाज और राष्ट्र में बड़ा भारी स्थान है। जंगल का जो प्रबन्ध इस नयी सरकार, कांग्रेस सरकार के अधीन चल रहा है वह मैं कह सकता हूं कि उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, प्रगति की ओर है। लेकिन बहुत सी ऐसी बुनियादी बातें हैं, अभी हमारा ध्यान नहीं गया है। जंगल के रहने वाले गरीब होते हैं और बाहरी दुनिया से अनजान होते हैं, उनके ऊपर बहुत से ऐसे जुल्म हो जाते हैं जो सरकार तक नहीं पहुंचते। मैं अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो जंगल का सब से गरीब तबका है उसको सुख सुविधा पहुंचाने के लिये उनका विशेष ध्यान होना चाहिये। अभी मैं एक दृष्टांत देता हूं कि जंगल से लकड़हारे लोग सर पर लकड़ी ढ़ोकर के ८-८ मील ले जाते हैं। पिछली बार जब माननीय पंत जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

गये थे तो मैंने उनसे कहा था। उन्होंने उस पर जो टैक्स लगता था "मुड़ बुज्झा" जो कि एक आना, दो आना, ४ आना तक मुड़ बुज्झा टैक्स लगता था उसको पन्त जी ने माफ कर दिया था, मगर विभाग से आदेश जारी नहीं हुए थे। अब मुझे फिर मालूम होता है कि वह मुड़ बुज्झा टैक्स फिर लगाया जाने वाला है। यह एक बहुत ही गरीब तबके के ऊपर लगाया जाता है जो मुश्किल से अपना गुजारा किसी प्रकार चलाते हैं। इस टैक्स से सरकार का खजाना भरने वाला नहीं है। ४ पैसे के नमक से वह कम से कम १५ दिन तो अपने घर का काम चला सकते हैं इस वास्ते यह टैक्स नहीं लगना चाहिये।

दूसरी बात यह कहनी है कि रिहेंड बांध जो बन रहा है उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र जंगल का पड़ता है, उसमें लाखों रुपये की लकड़ी पड़ी हुई है। अभी तक उसका कोई बन्दोबस्त नहीं हो रहा है और इधर रिहंद डैम बनता चला जा रहा है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रिहेंड बांध में जो जंगल पड़ रहा है वह एक दिन डूब जाने वाला है। इसलिये उचित यह होगा कि उसके ब्लाक्स बना करके पूरे-पूरे नीलाम कर दिये जायं ताकि अच्छा पैसा भी आ जायं और बांध बनने के पहले ही लकड़ी निकल जाय और पैसा वसूल हो जाय।

तीसरी बात मैं अपने जिले की बीड़ी की पत्ती के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दुद्धी में एक गुजराती कम्पनी है, उसके साथ कई साल से पत्ती का बन्दोबस्त चला आ रहा है और उसने अपना अड्डा जमा रखा है, अब फिर कोशिश हो रही है कि उसी को ठेका दिया जाय। मैंने स्वयं लिख कर दिया है कि बीड़ी की पत्ती के ब्लाक्स बना दिये जायं और नीलाम किया जाय तो जितना रुपया वह कम्पनी इस वक्त दे रही है या दे सकती है उसका दूना रुपया नीलाम करने पर सरकार के कोष में आयेगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ है, मैं बताना नहीं चाहता कि जो इस वक्त ठेका है उसी के साथ बन्दोबस्त कर दिया जाय और उसका नीलाम न होने पाये इसी वास्ते नीलाम के लिये देरी भी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वह इस मामले में बीड़ी की पत्ती के ब्लाक्स बना कर नीलाम करायें, इससे पैसा भी ज्यादा मिलेगा और बीड़ी के रोजगार में किसान को भी लाभ होगा।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि वनों में सड़कों की कमी रहती है। जमींदारियां खत्म होने के बाद जो जंगल सरकारी कब्जे में आये हैं वहां सड़कें नहीं हैं, क्योंकि जमींदारों ने नहीं बनायीं, इस वास्ते इन क्षेत्रों में सर्वे करा कर खास तौर से सड़कें बनानी चाहिये। जब तक सड़कें नहीं होंगी तब तक जंगल का कंट्रोल नहीं हो सकता और न उत्थान हो सकता है।

एक और बात ऐसी है कि जंगल में बाघ और शेर अक्सर उपद्रव मचाया करते हैं और उनको अफसरान तथा जंगली लोग बिना सरकारी परमिट के मार नहीं सकते, लेकिन वह उनके आदमियों को मार कर खा जाते हैं। १० दिन की बात है कि सलखन के पास बेलछ में ८ बजे दिन को दो आदमियों को शेर ने मार डाला, लेकिन शेर को मारने की इजाजत न होने से वह मारा नहीं जा सका। सरकार अपने इन जंगली जन्तुओं को, जो आदमियों का शिकार करते हैं, या तो बांध कर रखे या उनको मारने के लिये कोई छूट दे। यही चन्द बाते कहनी थीं, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मेरे इस कटौती के प्रस्ताव में बहुत से लोगों ने दिलचस्पी ली और प्रायः जंगल के इलाके के लोगों ने, विंध्याचल के और साथ ही हमारे पूर्वी जिलों के लोगों ने भी दिलचस्पी ली है। आज मुझे सब से बड़ी प्रसन्नता यह है कि कल कम से कम हम यह आशा करते थे कि हमारे माननीय वन मंत्री महोदय भी, जब कि उनके विभाग के सम्बन्ध में यहां पर वाद-विवाद हो रहा था, उस समय उपस्थित होते, लेकिन सौभाग्य है कि कम से कम आज आप पहुंच गये हैं और जंगल के विषय में जो भाषण लोगों ने दिये हैं उन से उनको यह विदित हो गया होगा कि जहां जंगल हैं उन जंगलों के नियमों से वहां के लोग पीड़ित हैं और जहां जंगल नहीं हैं वहां के लोग यह समझते हैं कि वहां जंगल

होने चाहिये। साथ ही जंगल को राष्ट्र के विकास का एक आवश्यक अंग सभी मानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में १० प्रतिशत भूमि पर जंगल हैं और अगर हमें अपने राष्ट्र का उत्थान करना है, तो ३३ प्रति सैकड़ा भूमि पर जंगल होना चाहिये। तो इस सरकार ने जैसा कि नरसरीज का जिक्र है, नरसरीज बनायी, बीज उगाये और जंगल लगाये जा रहे हैं लेकिन जिन इलाकों में जंगल हैं, वहां के लोगों के कष्ट दूर करने के लिये क्या करना चाहिये? इस बात के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। एक खास बात जो जंगलात के बारे में कही गई वह यह है कि जो जंगलात के नियम हैं उनके कारण वहां के लोगों को बड़ा कष्ट है और विभाग के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें बतलायी गयी हैं कि इस विभाग में स्वार्थ है, पक्षपात है और भ्रष्टाचार है। इस के सम्बन्ध में मैंने उप मंत्री महोदय से कहा था कि जो उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको वह अपने विभाग के कर्मचारियों को भी सिखायें, ताकि उनके ऊपर भी अच्छा असर पड़ सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक खास बात कहूंगा कि पहले अंग्रेजों के जमाने में यह था कि जितने बड़े-बड़े जंगल विभाग के आफिसर होते थे, वह जंगलों के बीच में जाकर देखा करते थे कि वहां की क्या हालत है, लेकिन आजकल प्रायः बड़े-बड़े आफिसर जंगलों के बीच में जाते नहीं हैं, बल्कि शहरों में ही घूमते हैं। बड़े-बड़े बूट होते थे जो जंगलों के बीच में जाने के काम में आते थे, लेकिन आज इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। मान लिया किसी जंगल में पेड़ काटने की इजाजत दे दी गयी, तो प्रायः होता क्या है एक हजार के बजाय दस हजार पेड़ काटे जाते हैं और जो आजकल इरोजन हो रहा है उस का कारण यही है कि एक हजार की इजाजत दी गयी और दस हजार पेड़ काट डाले गये, शायद मैं ज्यादा कह गया लेकिन १००–२०० पेड़ ज्यादा काट ही लिये जाते हैं। इससे जंगलात का नुक्सान होता है और देश का भी नुक्सान होता है। जंगल विभाग के छोटे-छोटे अफसरान तो शायद जंगलों के अन्दर जाते होंगे इसका मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े आफिसर्स नहीं जाते हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान देंगे।

एक बात जो माननीय सत्यसिंह जी राणा ने कही है कि कुमायूं की जो फारेस्ट कमेटी है, उसमें वहां के रहने वाले लोगों की रक्षा होती है। उसके साथ-साथ जो आपने कहा है वह यह है कि वहां पर विकास बोर्ड भी बन रहा है, जैसा कि मंत्री महोदय ने पुस्तिका में कहा है। यह अत्यंत आवश्यक है कि वहां के प्रतिनिधियों को इस फारेस्ट कमेटी में रक्खा जाय, चाहे उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोझा पड़ता हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इतना कह कर मैं बैठता हूं।

वन उप मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने करीब-करीब सभी बातों पर जिनको हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया था उन पर सार रूप में प्रकाश डाला था। यद्यपि अवकाश होता और मैं पूरे तौर पर कह सकता तो माननीय सदस्यों को इतना कहने की आवश्यकता शायद न पड़ती। फिर भी जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा कि जो दो लाख रुपया रखा गया था उसका क्या हुआ? यदि वे पुस्तिका जो बांटी गयी उसको पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता कि ११ जिलों में कहीं २०० एकड़, कहीं १०० एकड़ जमीन पर हमने प्लांटेशन किया जैसे–टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, बनारस, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और इलाहाबाद इन उपर्युक्त ११ जिलों में बेरोजगारी दूर करने के निमित्त दो लाख रुपया खर्च करके प्लांटेशन किया गया। इसमें करीब डेढ़ लाख आदमियों को उस जमाने में रोजगार मिलता रहा और इन जगहों में जंगल पैदा हो गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--लेकिन बजट में नहीं आया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस साल के बजट में यह कैसे आता, यह तो पिछले साल के बजट में था। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जो पैसा हमें प्राप्त हुआ था वह खर्च हो चुका है। अब रही और बातों के सम्बन्ध में जैसे कि माननीय बालेन्दुशाह जी ने कहा कि पहाड़ों पर न तो गूल ही अनइकोनामिक कह कर बनायी जाती है और धन की कमी बताकर न पेड़ ही लगाये जाते हैं। मैंने यह नहीं कहा बल्कि मैं कह रहा था कि जितना हमारी गवर्नमेंट का कोष है उसके अनुपात से बहुत खर्च किया जा रहा है। टेहरी-गढ़वाल में और हमारे गढ़वाल में पहले कभी भी कृत्रिम तरीके पर प्लांटेशन नहीं हुआ। लेकिन अब हमने यमुना में और टोंस में २००।२०० एकड़ जमीन इसके लिये ली है। इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड्स की कोई चीज हमारे यहां तैयार नहीं होती थी लेकिन अब हर चीज तैयार हो रही है और मैंने उनके आंकड़े भी दिये हैं, इस प्रकार से काम चल रहा है और किया जा रहा है। मेरे कल के भाषण से शायद लोगों को भ्रम हुआ कि नये टैक्स लगाने की बात कही। जैसे कि मिर्जापुर के माननीय सदस्य ने गिरी पड़ी लकड़ी के विषय में यह कहा कि उस टैक्स को फिर से लगाने के विषय पर बात कही गयी, मैंने ऐसा कोई नया टैक्स लगाने की बात नहीं कही। जितना रुपया गवर्नमेंट के पास है उसी के अनुपात से वह डेवलपमेंट के कामों पर लगा रही है। जिस प्रदश में एक एकड़ में भी प्लांटेशन नहीं हुआ करता था वहां पर १८ हजार एकड़ पर प्लान्टेशन इस वर्ष में हुआ। इससे अधिक करने के लिये अधिक रुपये की आवश्यकता होगी, वह रुपया कहां से आवे यह प्रश्न है। जब टैक्स की मांग किसी तरह से जनरल रेवेन्यू की होती है तो उससे विरोधी दल को विरोध होता है जैसे कि इर्रीगेशन टैक्स के लिये विरोध किया जा रहा था। या यह हो सकता है कि इर्रीगेशन डेवलपमेंट को बन्द कर दिया जाय और वह रुपया फारेस्ट की तरफ लगाया जाय। जो कुछ भी हो आप और हम सब इसकी आवश्यकता को समझते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में आटम बम्ब के नुक्सान से वृक्षों का कट जाना कम महत्व नहीं रखता है। मगर खैर, यह चीज चल रही है।

जहां तक कुमायूं की बाबत कहा गया वह केवल भ्रम से कहा गया। श्री गंगाधर मैठाणी ने कहा कि प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन को मोनोपोली दे दी गयी है कि वहां से जड़ी बूटी निकाले किन्तु जो वहां के बोनाफाइड रेजीडेंट हैं उनको फारेस्ट से अपने इस्तेमाल के लिये जड़ी बूटी निकालने का हक़ हासिल है और वह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह मोनोपोली क्यों दे दी गयी? मेरी समझ में नहीं आया इसमें रुकावटें कहां पड़ती हैं, क्योंकि फेडरेशन के पास रहते हुये भी वहां के जो लोकल रेजीडेंट हैं वह अपनी जीविका को चलाने के लिये जड़ी-बूटी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर बेच सकते हैं मगर बाहर ले जाकर नहीं बेच सकते हैं। यह फारेस्ट मैनुअल के अन्दर है इसकी अवहेलना नहीं हुई है, इसमें कोई रुकावट दीखती नहीं है। इस प्रकार से आप को आपत्ति नहीं हो सकती है। आपको कुछ गलत फहमी थी जिसके कारण आप ऐसा कर रहे हैं। रामनगर, कुमायूं डिवीजन से अलग है जिसके बारे में आपने कहा। एक कुमायूं सिविल डिवीजन है और दूसरा कुमायूं वन सर्किल है जो फारेस्ट के लिहाज से रामनगर उसमें नहीं आता है, वह बाहर पड़ जाता है। फारेस्ट मैनुअल की वह धारा केवल कुमायूं वन वृत्त पर लागू होगी। जहां तक निवासियों के अपने इस्तेमाल का सवाल है उसके लिये कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इस तरह से आदेश यहां से गये हुये हैं कि जो बड़े पेड़ हैं उनको नुक्सान न हो और बड़े पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं है। अगर आपका मतलब यह है कि बाजार में जाकर बिक्री करें और उसको चेक न किया जाय तो यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती है क्योंकि उन पर कुछ न कुछ पाबन्दी तो जरूर होनी चाहिये जिससे वह जंगलों को अपनी मरजी के मुताबिक बरबाद न कर सकें। एक तो जो निगरानी करने वाले होते हैं वह ८,८ और १०, १० मील के फासले पर होते हैं तो एक फारेस्ट गार्ड इतने लम्बे चौड़े एरिया की किस प्रकार से निगरानी कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति नयी लकड़ी तोड़ता है या पुरानी लकड़ी तोड़ता है, उसकी देख-भाल होना जरूरी है और उसके प्रबन्ध के लिये यह जरूरी है कि निगरानी

की जाय । निगरानी करने वालों के लिये जो भ्रष्टाचार की बात कही जाती है कि वहां पर पैसा लेकर तोड़ने की इजाजत दी जाती है तो जहां तक मेरा ख्याल है हम यह चाहते हैं और हमारे अधिकारियों की यह चेष्टा है कि कम से कम जंगल विभाग में भ्रष्टाचार का नाम निशान न रहे। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करना पड़ेगा और आपकी आत्मा भी इस बात को कहती होगी कि और विभागों में शायद यह बात हो लेकिन फारेस्ट की बाबत मैं यह कह सकता हूं कि बहुत कम मात्रा में वहां पर भ्रष्टाचार है। अगर वहां कहीं पर होता होगा तो फारेस्ट गार्ड किसी से दूध लेता होगा। मगर मैं किसी बात को स्वीकार नहीं करता । अगर कहीं पर है तो माननीय सदस्य बतलाने की कृपा करें उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आयी और जहां पर वृक्ष काटने की बात हमारे सामने आयी है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही विभाग के द्वारा की गयी। देवरिया के भी सम्भवतः दो जंगलों के बारे में कहा गया, इस समय अब वक्त कम है और मैं नहीं चाहता कि आज के जो और अनुदान हैं उनका समय मैं लूं और उनके समय में कमी की जाय । मैंने जो नीति हमारी जंगलों के बारे में है वह तो पहले ही बता दी कि पहाड़ी क्षेत्र के जगलों को हम प्रोटेक्शन के लिये जरूरी समझते हैं और यदि उनसे हमें एक पैसा भी आमदनी न हो तब भी हम स्वायल कन्जरवेशन और मैदानी इलाके के प्रोटेक्शन के लिये जंगलात की आवश्यकता को मानते हैं अन्यथा पेड़ों के न रहने पर हमारे मैदानी इलाके को भी हानि पहुंच सकती है । यह भी कहा गया कि वहां पर अफसर नहीं पहुंचते लेकिन यहां पर दो परस्पर विरोधी बातें कही गयीं। एक तरफ तो कहा गया कि अफसरान बहुत अधिक दौरा करते हैं और जो खर्च में एक्सेस हुई है वह दौरों के कारण ही हुई है । दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि दौरा नहीं किया जाता और मौके पर अफसरान नहीं पहुचते । लेकिन मैं सदन को बता दूं कि इस से पहले कभी इतना दौरा नहीं हुआ जितना अब होता है और साल में ९ महीने बराबर अफसरान हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं और कुल ३ महीने ही हेड क्वार्टर पर रहते है। (एक सदस्य---रेस्ट हाउस में पड़े रहते हैं)---तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वह बाहर पड़े रहें और रात को उनको शेर खा जायं । रेस्ट हाउस की बात आप कहते हैं तो हमारा नियम है कि वह वहां भी ७ दिन से अधिक नहीं रह सकते, इस प्रकार के प्रतिबन्ध उनके लिये हैं। मैंने स्वयं बनों का दौरा किया है और सरप्राइज विजिट्स भी की हैं। इसलिये मैं कहूगा कि यह ख्याल माननीय सदस्य का गलत है और पहले की अपेक्षा अब अधिक दौरे होते हैं । करप्शन भी मैं कह सकता हूं अब पहले से बहुत कम हो गया है और सरकार ने जंगल कटन की जो चोरी होती थी वह भी बहुत रोकी गयी है और लोगों को पकड़ा भी है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है ।

एक बात और कहूंगा कि हमने फलदार वृक्षों के लगाने के अलावा हर तरह के दूसरे वृक्ष भी लगाये हैं जो फैक्टरियों में रा मेटीरियल का काम दे सकें । हमने झांसी के जंगल में चन्दन लगाने की भी कोशिश की है। हम ने मैसूर से बीज मंगाया है, मुमकिन है कि झांसी का बीज इन्फीरियर हो और मैसूर का अच्छा हो इसलिये वहां से बीज मंगाने की व्यवस्था की, लेकिन इस साल देर हो गयी और अगले साल इरादा है कि वहां से चन्दन का बीज मंगा कर झांसी में बोवेंगे। इस तरह से हम बुन्देलखंड में चन्दन की लकड़ी की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। नहरों के दोनों किनारों पर भी पेड़ लगाये जा रहे हैं और पूर्वी जिलों में रोड साइड एवेन्यूज लगायी जा रही हैं। हमारे पास १३ हजार वर्गमील जंगलों के लिये जमीन है और इस प्रगति से अगर हम चलें तो बहुत वर्ष लग जायंगे। हमारे यहां ६ हजार वर्गमील पर रिजर्व फारेस्ट है और उस में थोड़े से रिजर्व स्पाट्स हैं जो जमींदारी अबालिशन के फलस्वरूप मिले हैं और जो बहुत अधिक उजड़े हुये और बरबाद हैं। बुन्देलखंड में भी अच्छे वृक्ष नहीं हैं और वे अधिकतर झाड़ीदार हैं। वहां के जंगल को ठीक करने के लिये बहुत धन की आवश्यकता है। बहुत सी बातें यहां पर कही गईं और कुछ सुझाव भी दिये गए लेकिन उन सबको कार्यान्वित करने के लिये आप ही

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

को धन से हमारे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे ताकि हम आगे चल कर इन वनों से अधिक आमदनी कर सकें। हम नहीं चाहते हैं और जैसा कि हमारे एक मित्र ने भी कहा था कि हमें मानव को समाप्त कर के जंगल थोड़े ही बनाना है। जंगल जो हैं वे मानव को सुखी बनाने के लिये हैं। आज की संतति के लिये ही नहीं भविष्य में जो हमारी संतति हो उसके लिये भी यह एक संपत्ति बनी रहे। कल चन्द्रसिंह रावत जी ने कहा कि वन विभाग द्वारा हटाये गये लोगों के बीबी बच्चे रोते हैं। सन् १३-१६ के दरमियान जब फारेस्ट्स का सेटिलमेंट हुआ था उस वक्त कुछ जमीन एक्वायर की गयी थी तथा कंपेन्सेशन एसेस किया गया था और वह पैसा कोर्ट में पड़ा हुआ है और वे लोग अब भी उसी जमीन के लिये मांग करते हैं। चन्द्र सिंह जी ने गत वर्ष भी कहा था और हमने उनसे कहा था कि इन्डिविजुअल हार्डशिप के केसेज हों तो हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक पालिसी का सवाल है उसको बदलना कठिन है। यह ठीक है कि कुछ लोग लैंड रेवेन्यू भी अभी तक देते हों, इसलिये जो इन्डिविजुअल हार्डशिप के केसेज होंगे उन पर हम विचार करेंगे।

टेहरी की डिमार्केशन पालिसी के बारे में भी कहा गया। मैंने कल ही कहा था कि १५० फीट का स्ट्रेप छोड़ दिया है लेकिन उसको भी हम एक दम फ्री नहीं छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसको ऐंक्रोच कर के वे फिर कहेंगे कि पीछे हटिये। इसलिये हम उसको एक बार स्टेपी बनाना चाहते हैं जिसको हम लीज बेसिस पर देंगे ताकि फर्दर ऐंक्रोचमेंट न हो सके और उस का असर जंगलों पर न पड़ सके। जंगलों के बारे में हमारी पालिसी यह है कि पहाड़ों पर ६० प्रतिशत टोटल लैंड में जंगल होने चाहिये और प्लेन्स में ११ प्रतिशत लैन्ड पर। लेकिन अब हालत यह है कि पहाड़ों पर २० प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा ३० प्रतिशत पर ही जंगल हैं और दोआब लैंड पर तो केवल २ प्रतिशत ही हैं। अगर हम जंगलों के लिये प्रापर प्लानिंग नहीं करते हैं तो जो आज हमारी कल्टीवेटेड लैंड है वह भी बरबाद हो जायगी। खेती के लिये मैन्योर की जरूरत होती है लेकिन लकड़ी के अभाव में लोग मैन्योर को जला डालते हैं। अगर खाली इर्रीगेशन ही कर दिया जाय और सारे जंगल जला डाले जायं तो पहाड़ों से लगातार आने वाला पानी बन्द हो जायगा जिससे हमारे जो डैम्स और नाले हैं वे सब सूख जायेंगे। इसलिये साइंटिफिक तरीके से यह बात मान ली गयी है कि प्रापरली स्वायल को प्रीजर्व करने के लिये यह आवश्यक है कि पहाड़ी भागों में ६० प्रतिशत और मैदानी भागों में ११ प्रतिशत भाग पर जंगल होने चाहिये। उनके अभाव में न तो अपने देश को एग्रीकल्चरली ही धनाढ्य बना सकते हैं और न इंडस्ट्रियली ही। क्योंकि इंडस्ट्री के लिये रा मैटीरियल की आवश्यकता होती है जिस के लिये हम फारेस्ट पर ही डिपेन्ड करते हैं। (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) जब हम टैक्स लगाया करें तो आप आन्दोलन भी खड़ा न किया करें। खैर जो कुछ भी हो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हमको बड़े सुन्दर विचार दिये और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर आप लोगों को बधाई दे कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी--मैंने जो अफसरान के दौरे के बारे में कहा उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि जानवरों का उनको डर है, इसलिये अच्छा हो कि उनको बन्दूकें आदि दे दी जायं, जिससे वे जंगलों के अन्दर जा सकें। इतना कहने के बाद मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--वन (लेखा शीर्षक : १०-वन) के अन्तर्गत १,५७,७०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५५-५६ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष, मेरा यह सुझाव है कि अनुदान संख्या २४, जो बिजली से सम्बन्धित है तथा अनुदान संख्या २५ और ४७, ये तीनों एक साथ तो लिये जायं और इनके लिये २ घंटे का समय रखा जाय। और उसके बाद अनुदान संख्या ८, ३६ और ४९, इन तीनों के लिये १० मिनट रखा जाय। अनुदान संख्या ११ के लिये भी १० मिनट रखा जाय और अनुदान संख्या ५१ के लिये एक घंटा १० मिनट रखा जाय।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--मेरी राय है कि रुड़की विश्व-विद्यालय के लिये आधा घंटा से कम समय नहीं मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये २० मिनट कर दिया जाय तो काफी होगा।

अनुदान संख्या ८ के लिये सिर्फ १०मिनट है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--जो यह छोटे-छोटे अनुदानों के लिये अलग-अलग १० मिनट कहा जा रहा है, मेरी राय है कि ये एक ही साथ ले लिये जायं, ताकि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो किसी एक पर भी बोल सकें।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैंने तो वही कहा है। अनुदान संख्या ८, ३६ और ३९ के लिये मैंने १० मिनट समय रखने के लिये कहा है।

श्री अध्यक्ष--तो इनको पहले ले लिया जाय? इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री जगन्नाथ मल्ल--पहले बिजली वाला ले लिया जाय तो अच्छा होता क्योंकि उसमें दिक्कत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--१० मिनट समय निकालने में कोई देर नहीं लगेगी। इसमें दिक्कत की क्या बात है?

श्री जगन्नाथ मल्ल--पहले बिजली वाला ही ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अब मैं बतला देता हूं कि समय विभाजन इस प्रकार से हुआ :-

अनुदान संख्या २४, २५ और ४७ के लिये दो घंटे, ये पहले ले लिये जायेंगे। इसके बाद अनुदान संख्या ८, ३६ और ४९ के लिये सिर्फ १० मिनट, ये इनके पश्चात् लिये जायेंगे। इनमें कोई भाषण अन्य सदस्यों का नहीं हो सकेगा। इसके बाद रुड़की विश्व विद्यालय सम्बन्धी जो अनुदान संख्या ११ है उस के लिये २० मिनट और इसके पश्चात् जो बाकी समय रहेगा, वह अनुदान संख्या ५१ के लिये रहेगा।

१९५५–५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक १७, ४१ और १९ ख—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१–क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१–क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४, लेखा शीर्षक १७, ४१ और १९-ख विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं उसके अन्तर्गत २,१३,१६,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१–क—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,०६,८५, ३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

और यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१–क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) के अन्तर्गत १६,४३,३५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

इन तीनों में जो पहला २४ का अनुदान है उसमें तो वह रुपया है जो कि काम पहले से वर्क्स डिपार्टमेंट के पास है, उनकी मेंटिनेंस के ऊपर खर्च होगा । कितने पावर हाउसेज हैं, कितने सब स्टेशन्स हैं, कितनी ट्रांसमिशन लाइन्स है, दफ्तर हैं, इन तमाम चीजों पर जो खर्च होगा उन सब का मजमूआ रुपया यह है जो मांगा गया है । उसके लिये कोई ऐसी और बात कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो नयी हो और पहले से मालूम न हो । जहां तक कि २५ का सवाल है वह स्टाफ की तनख्वाह वगैरह के ऊपर खर्च होने के लिये जो रुपया रखा गया है उसका है । नम्बर ४७ जो है वह ऐसा है जिसमें कि रुपया कर्ज लेकर खर्च किया जाता है और राजस्व में से उसमें खर्च नहीं किया जाता । तीन तरह की इसमें चीजें हैं। तो जो काम पहले से हो रहे हैं मसलन् पथरी का पावर स्टेशन या शारदा का पावर स्टेशन या जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, तो जितने काम इनमें हो रहे हैं उनको पूरा करने के वास्ते जिस कदर रुपये की जरूरत थी वह रुपया इसके अन्दर रखा गया था । पथरी और शारदा ये दोनों पावर स्टेशन्स इस साल के अन्दर मई या जून के किसी हिस्से में बिलकुल खत्म हो जायेंगे और उनसे बिजली दी जाने लगेगी । यह चीज मैं यहां अपनी बजट स्पीच में बतला चुका हूं और कई जिलों के नाम मैंने गिनाये थे कि उन जिलों के अन्दर बिजली के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और जो ग्रिड एरिया पहले से है जिसमें कि पुराने जिले पहले से शामिल हैं जो गंगा नहर के ऊपर पावर स्टेशंस बने हुये हैं और वहां जिन जिलों में जो बिजली मिलती है मसलन् अलीगढ़ वगैरह है, तो उनमें इस वक्त तक कंट्रोल था, कंट्रोल तो उनमें रहेगा लेकिन १० किलोवाट तक बिजली लोगों को बिना किसी दिक्कत के इस तरह से मिल जायगी गोया कंट्रोल नहीं है और हर शख्श को वह मिल सकेगी । घरों के वास्ते किसी को बिजली चाहिये तो वह भी बिना किसी रुकावट के मिलेगी ।

एक काम उस एरिया में यह हो रहा था कि अलीगढ़ में एक पावर स्टेशन स्टीम का जंग के जमाने में बना था । उसको हरदुआगंज पावर स्टेशन कहते हैं । अलीगढ़ से वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

६-७ मील की दूरी पर है। उसमें इस गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन किया बिजली का और जहां तक मुझे याद है इस वक्त तक ७ हजार किलोवाट बिजली और बढ़ाई गयी है और इस साल का अगस्त जो गुजर गया है उस वक्त तक वह पूरा हो चुका है और ७ हजार किलोवाट बिजली उस एरिया में डिस्ट्रिब्यूशन के लिये अवेलेबिल होगी। तो यह काम जो हो रहे हैं और जो आगे को बढ़ने वाले हैं उनके लिये यह रुपया इसके अन्दर रक्खा गया है।

रेहन्द डैम के वास्ते भी रुपया रक्खा गया है जिसका कि जिक्र बजट स्पीच में किया जा चुका है। ६ करोड़ रुपये उसके वास्ते रक्खे गये हैं। हमने एक रेहन्द कन्ट्रोल बोर्ड बनाया है जिसमें मिनिस्टर्स, आफिसर्स और कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया के आफिसर्स हैं। चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया का कुछ सम्बन्ध उस काम से है तो उनकी सलाह मशविरा के साथ ही वह काम होता है और उसके मुताल्लिक एक रेहन्द कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है और उसको पूरे अख्तियारात दे दिये गये हैं ताकि जाब्तों की वजह से उसके काम में किसी प्रकार देरी न हो और ठीक तौर से वक्त से काम चलता रहे और जैसे सेक्रेटेरियट की रफ्तार होती है, आने जाने के महकमों में देर लगती है वह बात इसमें नहीं है। जो काम हुआ उसके मुताल्लिक यह अर्ज करूंगा कि हमने पहले से वहां पुख्ता सड़क नहीं बनायी इसलिये ५०-६० लाख रुपया उस पर खर्च होने वाला है। रेहन्द डेम बोर्ड ने तहकीकात जारी की कि आया वहां डैम बन सकता है या नहीं तो उस वक्त से लेकर जब तक तहकीकात जारी रही किसी सड़क वगैरह का बना देना और अपना रुपया खर्च कर देना गलत होता। अब जब यह हो गया कि वह जगह ठीक है, डैम बना सकते हैं और उसके बनाने के लिये रुपये वगैरह का भी इन्तजाम हो गया और यह बात तै हो गयी कि उसको बनाया जाय तो वहां सड़क का बनाना जरूरी हुआ क्योंकि बहुत हैवी इक्विपमेंट, भारी-भारी मशीनरी जो इस डैम के बनाने में काम में आयेगी उसकी रेहन्द डैम के साइट तक ट्रांसपार्ट करना होगा और उसके लिये एक पक्की सड़क बनाना आवश्यक है। उसके लिये कुछ रुपया सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स के रूप में पहले भी यहां दिया जा चुका है और उसका तजकिरा उसमें पूरे तौर से हो चुका है, इस वक्त उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

एक सोन नदी राबर्टसगंज के करीब है उस पर एक ब्रिज की जरूरत है। वह ब्रिज भी बनाना शुरू हो गया है। यह तवक्को है कि ब्रिज और सड़क सन् ५६ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेंगे। इधर आर्डर्स भी भेजे जा चुके हैं मशीनरी के लिये जो बाहर से आयेगी इस वास्ते डैम के बनाने के लिये जो इस्तेमाल में आयेगी और सन् ५६ के बाद जब तक ये मशीनें मिलेंगी तब एक्चुअल काम शुरू होगा और जो यह डैम सीमेंट और कांक्रीट का बनेगा उस वक्त उसका काम शुरू होगा। इसके अलावा उस सड़क के और उस ब्रिज के ऊपर और नीचे का जो दूसरी तरफ का हिस्सा है दरिया के स्पैन पर वह पत्थरों का बन रहा है। इसके लिये खुदाई का जो काम होना चाहिये था वह कर लिया गया था। और अब मैं नहीं कह सकता कि उसमें पत्थर रखा गया है या नहीं लेकिन गहरा काम हो चुका है और पत्थर की दीवार बनाने का काम होने वाला है। उसका काम शुरू हो चुका है। उसका ठेका भी रेहन्द डैम बोर्ड ने देना मंजूर किया है। एक हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो वहां इस किस्म का काम कर रही है और उन्होंने अलावा इसके एक सीमेंट कांक्रीट का एक डैम बम्बई के पास बनाया भी है और वह बहुत अच्छा समझा गया। इस काम के लिये टेन्डर मांगे गये थे, उनका टेन्डर भी था। उनका टेन्डर अच्छे रेट्स का था और इसलिये उसे रेहन्द डैम बोर्ड ने मंजूर किया और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी उसको मंजूर कर लिया है। तो यह काम हो रहा है। इस तरह से यह दो पावर हाउसेज मुकम्मिल हो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जायेंगे। यह जो पावर हाउस था उसका काम इस तरीके से होगा। चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है और मैं ही ज्यादा वक्त ले लूंगा तो और मेम्बरों को वक्त नहीं मिलेगा इसलिये मेरे ऊपर एक इल्जाम न रखा जाय कि मैंने नहीं बतलाया, जो मुझ से पूछेगा, जो भी, मैं उसको बतला दूंगा। बाकी इसमें सब रखा गया है जो आप लोग देख सकते हैं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २४, २५ तथा ४७ में एक-एक रुपये की कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, अगर कोई भी मिनिस्टर सोशलिस्ट तरह के समाज में विश्वास करने वाला होता तो आज पहला कर्त्तव्य उसका यह होता कि इस राज्य में जितनी व्यक्तिगत आधार पर चलने वाली बिजली की कम्पनियां हैं, उनका समाजीकरण करता। सोशलाइजेशन करता और दूसरे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९४८ के अनुसार बनना चाहिये था, जिसकी सिफारिश आयंगर कमटी ने की थी १९४९ में और जिसकी सिफारिश इस सदन की एस्टीमेट्स कमेटी ने पिछले साल कर दी थी उसको स्वीकार हुए राज्य की समस्त बिजली कम्पनियों के नियंत्रण, संचालन के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाता और साथ-साथ अगर प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले होते तो जो पिछले वर्ष इस सदन ने एस्टीमेट्स कमेटी बनायी थी उसकी रिपोर्ट को लागू कर देता अब तक, और कम से कम यह बतला तो अवश्य देता कि आखिर उस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई। वह कहां गई? वेस्ट पेपर बास्केट में गयी या कहां गयी। बहर हाल मुझे यह कहते हुये बड़ा खेद होता है कि बजट को देख कर यह लगता है कि वास्तव में वह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट अगर आप मेरी गुस्ताखी माफ करें तो, रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयी। एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुपरिन्डिना इंजीनियर ३ के बजाय ४ न बनाये जाने चाहिये। यह पिछले साल की सिफारिश थी लेकिन इस बजट में आप देखेंगे कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर बजाय ४ के ६ कर दिये गये हैं। बतलाया नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सरकार इस बात की जिम्मेदार है, मैं समझता हूं कि वह इस सदन के प्रति जिम्मेदार है कि बिना सदन को एक्सप्लेनेशन दिये कैसे उन्होंने एस्टीमेट्स कमेटी की राय न मानते हुए और सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर बढ़ा दिये। इसके अलावा भी और दूसरी सिफारिशें थीं। जो कि स्टैन्ड बाई पावर हाउसेज हैं, जो डिजेल से चलते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ग्रिड बायस से बिजली सप्लाई हो सकती है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

कंटिजेन्सीज में भी कमी होना चाहिये। यह उसकी सिफारिश थी कि ५ परसेंट से घटकर ३ परसेंट होना चाहिये। पी०डब्लू०डी० में ३ परसेंट हो गया लेकिन बिजली में साढ़े तीन परसेंट भी नहीं हुआ। आयंगर कमेटी ने यह कहा था कि इर्रीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का सेपरेशन हो जाना बहुत गलत हुआ। इससे कार्य नहीं हुआ। चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी और चीफ इंजीनियर इर्रीगेशन के होने से ट्यूब-वेल्स बन गये, बिजली नहीं पहुंच पायी.....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिये और अपनी रिपोर्ट और विभाग की रिपोर्ट पढ़ लीजिये। श्रीमन्, अगर आप इजाजत दें तो मैं सरकारी रिपोर्ट के आधार पर माननीय मंत्री जी को जहां चाहें दिखला सकता हूं, श्रीमन्, आपको भी दिखला सकता हूं। ऐसे ही आप यह देखेंगे कि एकाउन्टिंग में भी बहुत गल्तियां हैं। अब आप देखें कि गंगा हाइडेल ग्रिड में नुकसान बढ़ता चला जा रहा है और केवल १.०२ परसेंट मुनाफा इस साल हो रहा है क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट चार्जेज बहुत बढ़ गये हैं कैपिटल आउटले पर। अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह क्यों बढ़ गये हैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐस्टीमेट्स कमेटी ने मांग की थी कि जब गंगा हाईड्रिल ग्रिड की कैपेसिटी के अनुसार बिजली की खपत हो रही है तो आमदनी क्यों कम हो रही है, अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रेहन्ड डैम के लिये ६ करोड़ रुपया रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी के कैपिटल एकाउन्ट में। आप जानते हैं कि रिहन्ड डैम केवल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट भी है। तो उसको, कुल को पावर प्रोजेक्ट में दिखाना कहां की बुद्धिमत्ता है ? जो कुछ हिस्सा उसका इर्रीगेशन प्रोजेक्ट का था वह इर्रीगेशन एकाउन्ट में आना चाहिये। बिजली घर तो आप बना नहीं रहे हैं लेकिन उस सिंचाई वाले मामले को अभी अपने मद में रखे हुये हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हुजूर वाला, मैं तवज्जह दिला दूं कि यह गलत बात है। रिहन्ड डैम जो है उसका इर्रीगेशन से कुछ वास्ता नहीं है उससे बिजली के जरिये से ट्यूबवेल चलेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, जो मंत्री जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि पानी मिलने वाला ही नहीं है.....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने यह कहा कि ट्यूबवेल बनेंगे वे ट्यूबवेल्स उस बिजली से चलेंगे जो रिहन्ड डैम से मिलेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---ट्यूबवेल कौन बनायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ट्यूबवेल मैं बनाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री नारायण दत्त तिवारी से) मैं समझता हूं आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो इसी प्रकार श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि रामपुर, आजमगढ़ वगैरह तमाम पावर स्टेशन जैसे यह सरकारी कन्ट्रोल में हैं, आपको कहीं कोई प्रोफारमा एकाउन्ट नहीं मिलेगा। कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफारमा एकाउन्ट आप देख सकते हैं, लेकिन अन्य जो सरकारी पावर हाउसेज हैं उनमें क्या हुआ ? किस प्रकार उनका बैलेन्स शीट क्या बना, उसका कहीं पता नहीं।

दूसरी तरफ गंगा हाईडिल ग्रिड को भी आप देखेंगे कि कंटिन्जेंसी रिजर्व का कोई आइटम उसमें नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है तो गंगा हाईडिल ग्रिड के कंटिजेंसी रिजर्व को दिखलाना चाहिये था, उसका कहीं पता नहीं। जहां तक फाइव ईयर प्लान का सम्बन्ध है पिछले साल के बजट में ४ करोड़ ३५ लाख खर्च ही नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार से ऐस्टीमेट्स बनाये जाते हैं। जैसा इस साल आप देखेंगे २० करोड़ का बजट है पिछले साल इससे कुछ कम बजट था लेकिन उसमें भी साढ़े चार करोड़ रुपया बच गया। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे ऐस्टीमेट्स इस प्रकार के बनायें जिसका उपयोग हो सके, यह साढ़े चार करोड़ की बचत हमको नहीं चाहिये। हमको तो ऐसा चाहिये जिससे हम संतोष कर सकें कि २० करोड़ हम तीनों अनुदानों में दे रहे हैं तो यह खर्च हो सकेगा।

अब एक और बात है। सस्पेंस एकाउन्ट में हाइडिल में पिछले साल ३ लाख रुपये की मांग थी लेकिन रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में ५७ लाख सस्पेंस ऐकाउन्ट है, यह कैसे हो गया ? कहां तीन लाख और कहां ५७ लाख, यह मेमोरेंडम में भी स्पष्ट नहीं किया गया। मैंने मेमोरेंडम में देखा दोनों तरफ कि कहीं इसका स्पष्टीकरण मिल जाय कि यह तीन लाख का ५७ लाख सस्पेंस एकाउन्ट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कैसे हो गया, लेकिन वह नहीं मिला। तो इसमें बड़ी वित्तीय गड़बड़ियां हैं जिनकी ओर माननीय मंत्री जी, शायद इतने विभाग उन्होंने सम्हाल लिये हैं कि जिसकी वजह से उनको फुर्सत नहीं मिलती है कि व्यक्तिगत ध्यान इन सब की तरफ वह दे सकें।

अब विकास योजनाओं की तरफ आप देखें। यह मैं मानूंगा कि इसमें जो कार्य हो रहा है, उसमें कुछ लोग बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं और मुझे माननीय मंत्री जी की ईमानदारी पर भी कोई शक नहीं है, ऐसी धृष्टता मैं नहीं कर सकता कि उनकी ईमानदारी पर शुबहा करूं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वह मजबूर हैं, जो डिपार्टमेंटलिज्म है या जिस प्रकार से यह आर्थिक ढांचा आज है, फाइनेंशयल ऐडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मैनुअल है, उसका प्रशासन है, उसकी वजह से आज इतनी देर हो रही है। आप देखेंगे मुहम्मदपुर पावर स्टेशन के बनने में ५ साल की देर हुयी, शारदा पावर हाउस के बनने में ७ साल की देर हुयी; पथरी पावर हाउस के बनने में भी ७ साल की देर हुयी। तो इस प्रकार की गड़बड़ियां अगर विकास कार्य के पूरा होने में होती गयीं तो फिर जो कार्य पंच वर्षीय योजना के पहले ही समाप्त हो जाना चाहिये था वह पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर भी पूरा न हो तो इसमें माननीय मंत्री जी का क्या दोष हो सकता है? मैं उनको दोष नहीं देता लेकिन वह योजना बदल क्यों देते हैं? मिसाल के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना में कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में यह रखा गया था कि एक और पावर प्लांट लगेगा १५ हजार किलोवाट का। माननीय मन्त्री जी बैठे हैं सामने, वह जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा गया था कि कानपुर में बिजली की बहुत जरूरत है और इसलिये १५ हजार किलोवाट का एक यूनिट बनेगा। लेकिन पिछले साल वह योजना ड्राप कर दी गयी। किसी को पता नहीं, प्रदेश भर में किसी को मालूम नहीं। वह तो, श्रीमन्, खुशकिस्मती से यह इंडियन प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आ गयी, उसमें यह एक तरफ छिपा हुआ निकल पड़ा कि वह ड्राप कर दी गयी, वरना किसी को यह पता भी नहीं था। तो इतनी तो कृपा माननीय मंत्री जी कर सकते हैं कि जो योजना बनायें, उसको ड्राप तो न करें और फिर किसी को पता भी न हो।

इसके बाद रेट्स के बारे में कई बार माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। अलग-अलग जगहों का अलग-अलग इंसीडेंस है, अलग अलग रेट्स हैं। यह बात सही है कि डिजेल से जो बिजली बनती है उसका खर्चा कुछ और होता है, स्टीम से जो बनती है उसका कुछ और होता है और ग्रिड से जो बनती है उसका अलग होता है लेकिन इन तीनों का भी इंसीडेंस एक नहीं है। अगर यह हो जाय कि हाइडिल ग्रिड से जो बिजली बनती है उसके रेट्स यूनिफार्म हो जावें तो वह भी बात समझ में आ सकती है लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक तरफ जो सरकारी और गैरसरकारी कम्पनियां हैं, उनके रेट्स में फर्क है और दूसरी तरफ जो सरकारी कम्पनियां हैं उनके रेट्स में भी फर्क है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि अब वह समय आ गया है कि माननीय मंत्री जी एवलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनायें या न बनायें लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि रेट्स को रिवाइज करें। आज यदि वह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाते हैं और जनता से आशा करते हैं कि वह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दे, वहां दूसरी ओर जो बिजली के मनमाने रेट्स कम्पनियां वसूल कर रही हैं उसमें भी समानता लायी जाय और एक रेट्स कमेटी या रेट्स ट्रिब्यूनल बैठाया जाय तो इस पर दोबारा गौर करे क्योंकि बिजली अब सस्ती हो गयी है। बिजली ज्यादा पैदा होने के अर्थ यही हैं कि बिजली अधिक सस्ती मिल सके। आप जानते हैं श्रीमन्, कि उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन करने में चौथे नम्बर का प्रदेश है जब कि दूसरे प्रदेश जो हमसे काफी छोटे हैं बाम्बे, मद्रास, वेस्ट बंगाल, ये हमसे ज्यादा बिजली पैदा करने लगे हैं और इस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर तो उड़ीसा और पंजाब भी हमसे ज्यादा बिजली पैदा करने लगेंगे। इस सरकार की योजनाओं के हिसाब से तो आने वाले पन्द्रह सालों तक हम जितनी मांग इस प्रदेश की बिजली की है, उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। तो माननीय मंत्री जी के उद्देश्य से तो मुझे पुरी सहानुभूति है लेकिन उसकी पूर्ति के लिये जो उनके डगमगाते हुये और

लड़खड़ाते हुये कदम उठ रहे हैं उनमें मैं चाहता हूं कि मजबूती आये, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती आये और नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी मजबूती आये ।

श्रीमन्, आपका स्वयं का ध्यान आकर्षित करूंगा । आपने एस्टीमेट्स कमेटी के सामने जो उसके महत्व के ऊपर अपना वक्तव्य दिया था, उसकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करूगा और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप अब कम से कम एक साल होने के बाद तो अवश्य इन्टरवीन करें और सरकार को इस बात का आदेश दें कि यह सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है, यह हमारी परम्परा के प्रतिकूल है कि बिना सदन को यह बतलाये हुये कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुयी, उसकी रिपोर्ट का उल्लंघन करते हैं, उसकी सिफारिशों का उल्लंघन करते हैं । सरकार अपनी इस नीति को और परम्परा को बदले । पिछले साल एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इन्क्वायरी कमेटी सरकार ने बैठायी थी जिसमें कहा था कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स टेम्पोरेरी हैं उनको परमानेन्ट करने जा रहे हैं । एस्टीमेट्स कमेटी ने भी यह सिफारिश की थी कि १,४३२ टेम्पोरेरी कर्मचारी जो बिजली प्रशासन में हैं उनको स्थायी किया जाना चाहिये तभी वे बिजली के काम को अधिक दक्षता और होशियारी से कर सकेंगे । तमाम विभागों में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स टैम्पोरेरी से परमानेन्ट हुये हैं, लेकिन बिजली विभाग में यह दुर्भाग्य हुआ कि सबसे कम ध्यान कर्मचारीवर्ग की ओर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि कानपुर एलिक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के कर्मचारियों को तो कहीं मार्टिन बर्न के कर्मचारियों से भी कम सहूलियतें मिलती हैं और माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं । तो जहां हम एक ओर समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और यह आशा करते हैं कि मार्टिन बर्न का सोशलाइजेशन (समाजीकरण) किया जायगा वहां कर्मचारीवर्ग के लिये भी इस तरह की एक मैनुअल बनायें, उनको एलाउन्सेज दें जिससे कि उनके दिमाग में यह बात पैदा न हो कि समाजीकरण होने के बाद हमारी स्थिति बिगड़ेगी । ऐसी तो कभी भी उनके ध्यान में बात नहीं आनी चाहिये ।

एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रश्न है । अब वह समय, श्रीमन्, आ गया है कि हमारे प्रदेश में ३२ पावर हाउसेज हो जायेंगे । बिजली सन् १९४६ के मुकाबिले में दुगनी, ढाईगुनी हो जायगी । सन् १९४८ में एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट बन गया था और आज सन् १९५५ है । सात साल बीत चुके हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया कई बार सरकार को लिख चुकी है । तो वह मौका आ गया है कि एडवाइजरी बोर्ड और काउन्सिल बनायें और इतना जरूर करें कि मार्टिन बर्न कम्पनी को अपने हाथ में ले लें । समय अब बहुत कम रह गया है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन को प्रेरणा देंगे और घोषणा करेंगे कि वह वास्तव में एक सोशलिस्ट मंत्री हैं और वह इस बिजली विभाग के सम्पूर्ण प्रशासन को आमूल चूल बदलना चाहते हैं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जमाने में और उनके विभाग ने बिजली को इतना अधिक बढ़ा दिया है बिजली आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है । इसी पर तमाम इन्डस्ट्री तथा उद्योग धंधे निर्भर हैं । इसी पर खेती निर्भर है । इस जमाने में बिजली दुगनी और ढाईगुनी हो गयी है, ६७ हजार किलोवाट बढ़ गयी और आगे भी कितनी ही बढ़ने वाली है । पथरी और खटीमा पावर हाउस से ४३ हजार किलोवाट बिजली बढ़ जायगी जिससे पश्चिमी जिलों को बिजली मिलने लगेगी और जहां तक रोशनी और पंखे आदि का सम्बन्ध है, हरएक को मिलेगी और साथ में दस हार्स पावर की भी बिजली हरएक को मिल जायगी । इसी तरह से शारदा पावर हाउस भी तैयार हो गया है जिससे बिजली तमाम पर्वतीय जिलों को और बरेली आदि और इधर के जो लखनऊ आदि जिले हैं उनको मिलने लगेगी और थोड़े वक्त में हमारे

[श्री रतनलाल जैन]

सूबे में और भी बिजली तैयार हो जायगी जिससे मैं समझता हूं कि हमारी तमाम आशायें पूरी हो जायंगी। इस विभाग ने जितनी उन्नति की है उसके लिये हमारे माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

मगर एक बात मैं जरा अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये जो मार्टिन आदि कम्पनियां हैं वे बहुत अधिक मूल्य ले रही हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह बिजली ढाई आने यूनिट देती है परन्तु यह मार्टिन कम्पनी आठ आने ले रही है। जब हम देखते हैं कि जहां बिजली है जैसे कानपुर आदि वहां वह सस्ती तैयार होती है। अगर सरकारी टैक्स को हम छोड़ दें तो वहां पर चार आने यूनिट के हिसाब से और लखनऊ आदि नगरों में भी चार आने के हिसाब से मिलती है, और जगहों पर भी बिजली सस्ती है मगर मार्टिन कम्पनी बहुत ज्यादा ले रही है। पहले १९५३ तक उनका रेट छै आने था लेकिन ५३ में छै आने से बढ़ाकर आठ आने कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मंहगाई के कारण खर्चा बढ़ गया है। उस वक्त तो रेट बढ़ाने का कारण हो भी सकता है, लेकिन आज तो भाव गिर रहे हैं। उस वक्त जो मंहगाई थी उससे अब कितने भाव गिर गये हैं और जो भाव १९५० में थे या उससे पहले थे उतने गिरकर आ गये हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि उनके रेट अब आठ आने के बजाय छै आने होना चाहिये।

इस तेजी का नतीजा यह होता है कि इसका नुकसान एक तो बिजली लेने वालों को हो रहा है और साथ में सरकार को भी हो रहा है। सरकार ने तय किया था कि हम चौथाई बढ़ायेंगे मगर बढ़ोत्तरी ९ आने से अधिक नहीं होगी इसलिये अगर उनका रेट छै आने रहता है तो उनका चौथाई बढ़ेगा, अगर चौथाई बढ़ा तो सरकार को डेढ़ आना मिलेगा। मगर रेट आठ आने है तो सरकार को केवल एक आना ही मिल रहा है। इस प्रकार से दो पैसा बराबर सरकार को नुकसान हो रहा है और जहां तक कंज्यूमर्स का सम्बन्ध है उनको तो हानि उठानी पड़ ही रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका हिसाब देखने की आवश्यकता है। सरकार का उनके साथ एक कंट्रैक्ट है और हमारा अनुभव यह है कि वह हिसाब को इस तरह से मुरत्तिक कर देते हैं जिससे ज्यादा खर्चा आ जाय। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ठीक तरह से उनके हिसाब की जांच कराई जाय और अगर ज्यादा खर्च कर रहे हों तो उनको विवश किया जाय कि वह खर्चा कम करें। उन्होंने जो ६ आने से आठ आने रेट कर दिया है इसको फिर छै आने कर दिया जाय।

इसके अलावा एक बात है कि पहले छोटे नगरों में बिजली लेने वाले बहुत कम थे मगर जब कि पथरी और खटीमा पावर हाउस से बिजली हर एक को मिलने लगेगी तो बिजली के कंज्यूमर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जायगी और जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही मार्टिन कम्पनी का खर्चा औसतन कम होगा। इस दृष्टि से उनकी आमदनी बढ़नी चाहिये और खर्चा औसतन कम होना चाहिये। इन तमाम दृष्टियों से मैं उचित समझता हूं कि मार्टिन कम्पनी को मजबूर किया जाय कि वह अपनी पुरानी दर छै आने फिर से ले आये। अच्छा तो यह हो कि यदि सरकार ऐसी कम्पनियों से ठेका उनको मुआवजा देकर खत्म कर सकती हो तो कर दे। अगर यह नहीं हो सकता है तो कम से कम उनको इस बात के लिये विशेष विवश किया जाय कि वह अपनी दर को घटाकर पुरानी दर कर दें। इससे सरकार को भी फायदा होगा, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उनको एक आने के बजाय डेढ़ आना मिलने लगेगा और जनता को भी लाभ होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने अपने भाषण की समाप्ति के साथ-साथ हमारे वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देते हुये यह कहा कि १९४६ के मुकाबले में आज हमारे प्रदेश की विद्युत शक्ति ढाईगुनी से भी ज्यादा हो गयी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि यह हमारे वित्त मंत्री के हाथ में है और हमें आशा है कि बिजली के प्रसार की शक्ति हमारे प्रदेश को मिले और हमारा प्रदेश उन्नतिशील

हो, हमारी इंडस्ट्री चारों ओर फैले और विद्युत शक्ति के मिल जाने से यह सब बातें हमारे प्रदेश की जिन्दगी के साथ जैसी अहमियत रखती हैं उस अहमियत को दृष्टिकोण में रखते हुये इस विभाग ने अभी तक जो कार्य किया है वह सराहनीय है। मेरा इस विभाग से कुछ विशेष प्रकार का सम्बन्ध है इसी कारण से कुछ कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

एक तो उसूल की बात यह है कि इस विभाग के जितने कर्मचारी हैं वह हमारे प्रदेश के ऐसे कर्मचारी हैं जिनके कार्य से इस प्रदेश के उद्योग को, इस प्रदेश की जनता को सुख और सम्पत्ति को करने का साधन प्राप्त होता है। इसलिये उनको अप्रसन्न रखकर आप कोई अच्छा काम प्राप्त कर लें यह कुछ दिनों तक तो सम्भव हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिये यह सम्भव नहीं होगा। यह दूसरी बात है कि बावजूद इसके कि वह बहुत खराब हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, समस्त सज्जनों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना संतुलन इस विभाग के कर्मचारियों ने अपनी बुद्धि में आजतक रखा है मैं यह समझता हूं कि उतना सन्तुलन किसी दूसरे विभाग के कर्मचारियों ने न दिखाया है और न दिखाने वाले हैं। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के सिलसिले में मैं विशेषरूप से बाद में कहूंगा। इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह मानते हुये कि हमने बिजली का जाल सारे सूबे में फैलाया है और इस बात को भी मानते हुये कि हमारे प्रान्त की मजबूत बुनियाद उससे बनी है, हम उस विभाग के काम करने वाले लोगों को टैम्पोरेरी रखें यह गैर मुनासिब बात है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष जब उनका बजट आवे कोई भी इस विभाग का कर्मचारी ऐसा न रह जाय जो कि कंस्ट्रक्टिव वर्क को छोड़कर काम में लगा हुआ हो वह टैम्पोरेरी रह जाय, यह मेरा उनसे निवेदन है। माननीय मंत्री जी उन सब लोगों को हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ परमानेन्ट कर दें। कोई ऐसी बात न रह जाय कि मामला बढ़े और शोर हो और फिर झगड़े के रूप में कोई गैरमुनासिब तरीके से कोई बात सामने आवे।

रही केसा की बाबत, मैं यह कहना चाहता हूं कि केसा के बारे में बहुत सी बातें हैं उनको माननीय मंत्री जी समझते हैं, मैं उनको क्या दोहराऊं! आज भी उनकी तरफ से कुछ मांगें छप कर बंटी हैं, हो सकता है कि वह माननीय मंत्री जी की मेज पर भी आयी हों। लेकिन मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि वह बारबार आपके दरवाजे पर आये और अभी तक एक आने से लेकर १,६०० रुपये तक जितनी उनकी मांगें थीं, और पैसे के रूप में जितनी उनकी मांगें थीं उन सब को ठुकराया गया। बहुत बड़ी मांग नहीं थी, सारे प्रदेश में मंहगाई का भत्ता दिया जाता है, उनके लिये इस सम्बन्ध में सरकार ने स्टेट ट्रिब्युनल को आदेश दिया तब स्टेट ट्रिब्युनल ने फैसला दिया। जो बिजली और कपड़े के मिल में काम करने वाले वर्कर हैं उनकी महगाई का भी उससे सम्बन्ध था तो उस काम को ट्रिब्युनल को दिया गया। यह गैरमुनासिब बात हुयी कि आश्वासन के बावजूद भी जो स्टेट ट्रिब्युनल का फैसला मजदूरों के पक्ष में हुआ उसको मिल मालिकों ने अपीलेट ट्रिब्युनल में दिया और अपीलेट ट्रिब्युनल ने स्टेट ट्रिब्युनल के फैसले को रिजेक्ट कर दिया।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और कोरम के अभाव के कारण विलम्ब से अर्थात २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केसा के मजदूरों के सम्बन्ध में आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कुछ और बातें निवेदन करना चाहता हूं।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

१९४६ के पहले यह मजदूर बेग सुदर लैंड के अधीन थे और जब सरकार ने इस कम्पनी को लिया तो माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं कानपुर जा कर मजदूरों को यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारी पुरानी नौकरी की शर्तों को मंजूर करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को कहने में काफी कष्ट होता है जब मैं माननीय मंत्री जी से यह कहता हूं कि पुरानी नौकरी, उस नौकरी की अवधि, उस अवधि के द्वारा मिलने वाली मजदूरी, प्राविडेंट फंड तथा ग्रेचुटी के लिये जिस तरह हिसाब को जोड़ना चाहिये उस तरह से हिसाब नहीं जोड़ा जा रहा है जिससे मजदूरों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछली नौकरी जो उनकी बेः सुदर लैंड के जमाने की थी उस नौकरी का हिसाब लगाने में, पुरानी बातों का पूरा पूरा खयाल नहीं किया जा रहा है। मैं निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री हाफिज साहब जिनके जमाने में और जिनकी छत्रछाया में कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बढ़ रही है उन्हीं के किये हुए वा दों में फर्क हो तो यह बड़े दुख की बात होगी। इसलिये मै उनके ध्यान में इन बातों को लाना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि मजदूरों की छुट्टियों, केजुअल लीव तथा अन्य सुविधाओं के बारे में मार्टिन कंपनी और केसा के जनरल मैनेजर साहब के मुकाबले में मजदूरों को कौन कौन बातें अखरती हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी जांच करा लें। मजदूरों की तरफ से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि वे किसी के भी सुपुर्द इस मामले की जांच कर दें, लेकिन वह पावर विभाग का न हो चाहे वह श्रम विभाग का हो या फाईनेंस विभाग का हो, वह केसा के जनरल मैनेजर साहब और मजदूरों की बातें सुन कर जो भी फैसला देंगे वह हमें मंजूर होगा। माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा को ही आर्बीट्रेटर नियुक्त कर दिया जाय अथवा माननीय मंत्री स्वयं हो जायं और वे जो भी फैसला देंगे वह मजदूरों को मंजूर होगा, क्योंकि मजदूरों का आप में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि इससे केसा के मजदूरों में बड़ा भारी असंतोष है जिसकी डिमांड भी उन्होंने पिछले चुनाव के समय की थी, लेकिन उस डिमांड के लिये भी वे दूसरों के साथ नहीं गये और कांग्रेस का बाई इलेक्शन में साथ दिया। दूसरे लोगों ने उनको भड़काने की कोशिश की लेकिन वे अपने उसी रास्ते पर डटे रहे। उन मजदूरों को अपकी बुनियादी और कंस्ट्रक्टिव नीति में विश्वास है। क्योंकि उनको विश्वास है कि उनके लिये आप के दिल में राहत है और वे जानते हैं कि एक न एक दिन आयेगा जब आप के सामने उनकी बातें आयेंगी और तब उनका मुनासिब फैसला आप के द्वारा जरूर निकलेगा। मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केसा मजदूरों के अन्दर असन्तोष बढ़ रहा है, इसलिये आप मेहरबानी कर के जल्द से जल्द उनकी तकलीफों को दूर करने की कृपा करें।

श्रीमन्, दो एक बात मैं कह देना और पसन्द करूंगा। मार्टिन कम्पनी के हिसाब-किताब के सम्बन्ध में कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि काफी हद तक हमारे प्रदेश में मार्टिन कम्पनी के हिसाब किताब में धांधली है। एक बार एक सदस्य ने जो आज कल मंत्री हैं, मेरा मतलब श्री आचार्य जुगल किशोर जी से है, सन् १९४७ में एक इन्क्वायरी के सिलसिले में जो फैसला दिया वह सरकार की तरफ से मंजूर हुआ और वह गजट में भी छपा। उसमें उन्होंने कहा कि मार्टिन कम्पनी के एकाउन्ट सम्बन्धी काम में बहुत धांधली है। मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट बनने के बाद कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह कम्पनी इस देश के रुपये को गलत सही चीजों को खरीदने में बहुत खर्च करती है। जैसे एकाउंटिंग मशीन वगैरह और बहुत सी चीजें है जिसका बहुत लम्बा चौड़ा इतिहास है कि इस तरह की चीजों में इस देश का बहुत सा धन बरबाद कर रही है। अमेरिका से मशीन आती है, लेजर भी अमेरिका से ही आता है। यह सोचने की बात है कि एकाउन्ट मेन्टेन करने के लिये लेजर भी हिन्दुस्तान में लेने के बजाय वह अमेरिका से ही खरीदती है और इस तरह से देश का बहुत

सा रुपया खराब कर रही है। मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करता हूं कि आप बराये मेहरबानी उसके हिसाब किताब पर मुनासिब कंट्रोल रखने का मुनासिब प्रबन्ध कीजिये ताकि आडिटर्स आदि के द्वारा अक्सर उसकी जांच होती रहे और इस तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के मातहत जो अधिकार मजदूरों को दे रखा है उसका भी वे मुनासिब प्रयोग करें। जहां तक बिजली के बिल देने की बात है, मार्टिन कम्पनी दो दो महीने का बिल भेजती है जो हमारे प्रदेश के कंज्यूमर्स के लिये बड़ी तकलीफ की बात है। हमारे शहर इलाहाबाद में ही जब कंज्यूमर्स की तादाद ८ हजार थी तो भी उतने ही क्लर्क थे जब कि कहीं कहीं कंज्यूमर्स की तादाद सोलह सोलह और बाईस बाईस हजार तक हो गयी है। इस तरह से उतने ही क्लर्कों से काम लेने के लिये दो दो महीने पर बिजली का बिल भेजा जाता है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे प्रदेश के जो कंज्यूमर्स हैं वे आसानी से बिल का पैसा अदा कर सकें। मेरा निवेदन है कि लाइसेंस देते वक्त इस प्रकार की शर्त भी होनी चाहिये ताकि बिल हर महीने कंज्यूमर को भेज दिया जाया करे ताकि आज कल जो जनता बिजली इस्तेमाल करती है वह उसे सुख के साथ इस्तेमाल कर सके। अन्त में मैं फिर आप का ध्यान केसा में बढ़ते हुये असन्तोष की ओर दिलाते हुये यह विश्वास करते हुए उम्मीद करता हूं कि जब भी कोई अवसर आया है हमेशा आप की निगाह गरीबों के दुख दर्द को दूर करने की तरफ रही है और केसा के मजदूरों को कम से कम अपनी वाणी से जो आप ने विश्वास दिलाया है, उन बातों को तवज्जह के साथ पूरा करने की कृपा करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे अत्यन्त खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय के कार्यकाल में हमारे प्रदेश ने बिजली के उत्पादन में बहुत.बड़ी तरक्की की है। मैंने भी बहुत से पावर हाउसेज को देखा है और जिस सुन्दरता और तेजी के साथ वहां काम हो रहा है उससे हमें विश्वास होता है कि हमारा प्रदेश बिजली के उत्पादन में बहुत जल्द आगे बढ़ जायगा परन्तु इसके साथ ही साथ मुझे खेद भी है और बहुत ज्यादा खेद है और उसका कारण मैं तो नहीं चाहता था कि बार-बार इस सदन में उन्हीं बातों को दोहराया जाय जिन को बार बार मंत्री महोदय के ध्यान में लाने का प्रयास किया जा चुका है और मैं समझता हूं कि या तो वह बातें जो सदन में कही जाती हैं वह मंत्री जी के ध्यान से उतर जाती हैं और हो सकता है कि उम्र का भी तकाजा हो और कभी-कभी स्मृति के दुनिया में लोगों को कुछ विस्मृत भी होना आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि आज के जमाने में मैंने गंगा ग्रिड के नकशे को देखा और जब मैंने जिलों की लिस्ट को लखनऊ से यू० पी० की पच्छिमी हद तक देखा तो मुझे मालूम हुआ कि केवल एक गढ़वाल ही जिला ऐसा है जो अभी तक बिजली से अछता रह गया है। मैं इस बात को एक रिपोर्ट की तरह कतई सबमिट नहीं करता कि हमारे साथ अन्याय हुआ है परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि मंत्री महोदय के दिमाग से हमारा जिला तो बिलकुल ही गायब हो गया है और उनके ध्यान में वह नहीं रह गया है। उसका जबरदस्त कारण यह हो सकता है कि हम उनके सबसे नजदीक और पड़ोस में रहते हैं और इसी कारण से मैंने अधिक खेद इस बात का प्रकट भी किया। गुजिश्ता साल मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा था कि हम गढ़वाल के लिये बिजली की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैंने देखा उस के बाद से आज तक इस विभाग द्वारा वहां के लिए इक्सपर्ट्स या स्पेशिलिस्ट्स के जरिये से कोई अनुसंधान नहीं किया गया। हमें जवाब दिया गया था कि वहां ऐसे प्रपात नहीं हैं कि जिनसे बिजली पैदा की जा सके या वहां पानी की क्वान्टिटी कम है लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जवाब से किसी भी बुद्धिजीवी इन्सान को सन्तोष नहीं हो सकता, जब कि हम देखते हैं कि इस प्रदेश की बड़ी-बड़ी नदियों का उद्गम स्थान इन पहाड़ों में ही है और वह नदियां हजारों और लाखों क्यूजेक्स की मात्रा में पानी बहाती हुई नीचे मैदान में उतर आती हैं और जिन लोगों ने पहाड़ों के जिलों को देखा होगा वह इस बात को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि अगर बिजली पैदा करने के कहीं सब से अधिक चान्सेज यहां हो सकते हैं तो वह केवल इन पहाड़ों में ही हो सकते हैं। मैं कई साल से जोर दे रहा हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है और जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य महसूस करते होंगे कि पहाड़ों में विकास की बात करना यह विकास के साथ एक खिलवाड़ है और यह कहना मुनासिब नहीं है कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है इसलिये बिजली वहां पैदा नहीं हो सकती। मैं सदन को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि या तो वह लोग बुद्धि से काम नहीं लेते या वह लोग केवल कहने के लिये ही कहते हैं लेकिन अगर आप पहाड़ की जिन्दगी की एनेलेसिस करेंगे तो आप को मालूम होगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक पहाड़ में बिजली की व्यवस्था नहीं की जाती वहां पर किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। इसलिये कि अगर आप ने सड़क बना ही दी तो उन सड़कों पर चलने के लिये कौन आयेगा? क्या आपकी मोटर का किराया देने के लिये लोग मद्रास से गढ़वाल में जाया करेंगे? कोई न कोई अट्रेक्शन, कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई सुविधा उन पहाड़ों पर पैदा की जानी चाहिये, जिससे पहाड़ों में लोग पर्यटक के रूप में या दूसरे नाते भी उन पहाड़ो में भ्रमण करने आ सकें। यही एक दिशा है जिधर पहाड़ों में कदम उठाया जा सकता है वरना वहां न तो अनाज पैदा किया जा सकता है, न वहां कल कारखाने चल सकते हैं और न जीवन यापन के दूसरे जरिये ही जुटाये जा सकते हैं। यही कारण है कि पहाड़ों से छोटे-छोटे बच्चे वतन से बेवतन हो जाया करते हैं और जो देहली में, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में और पंजाब में रहते हैं उनको पता है कि हजारों लाखों की तादाद में पहाड़ों के बच्चे छोटी छोटी अवस्था में अधिक संख्या में बाहर जाया करते हैं और अपनी रोटियों के लिये तरह-तरह के लोगों के दरवाजे खटखटाया करते हैं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—डिप्टी स्पीकर महोदय, इस बात के मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकती कि डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिये बिजली सब से ज्यादा जरूरी चीज है। बिजली जितनी भी बढ़ाई जायगी उसी हद तक अपनी काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकेंगे और अपने बिकास के मसले को हल कर सकेंगे। इस उसूल को सामने रखते हुये जब मैं बजट के लिटरेचर को पढ़ता हूं तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि इस पिछले सात आठ सालों के अन्दर बिजली को बढ़ाने के लिये पूरी कोशिश की गई है और उसमें काफी कामयाबी भी हुई है। जैसा आनरेबिल मिनिस्टर ने अपनी इब्तिदाई तकरीर में फरमाया कि गुजिश्ता सात आठ सालों में गवर्नमेंट के जरिये से और स्टेट ओन्ड पावर हाउसेज के जरिये जो बिजली इस सूबे के अन्दर बढ़ाई गई है उसकी मिकदार ७९ हजार ५२४ किलोवाट है। यह बिजली जो बनाई गई है और इसके जरिये जितनी भी तरक्की इस सूबे की हुई उसके लिये हम आनरेबिल मिनिस्टर और इस हुकूमत के मशकूर हैं। लेकिन फिर भी देखने से पता यह चलता है कि बिजली की जो नयी स्कीमें हमारे सूबे में रायज हुईं उनमें से एक दो स्कीमें ऐसी थीं जिनको वक्त पर पूरा नहीं किया जा सकता और उसमें देर हुई। मिसाल के तौर पर मुहम्मदपुर और खटीमा पावर स्टेशन्स की बाबत मैंने सुना। मुझे अफसोस है कि आज जितनी तकरीरें हुईं उन सबको न सुन सका लेकिन बहरहाल जो मैंने सुनीं उनसे यह मालूम हुआ कि मुहम्मदपुर पावर स्टेशन का काम वक्त के अन्दर पूरा नहीं हो सका। यह पता लगा है कि मुहम्मदपुर पावर स्टेशन के लिये जो सामान मंगाया गया था वह गलती से पाकिस्तान पहुंच गया और उसको वहां से मंगाने में देरी हुई। बड़ा अफसोस है, अगर वह सामान वक्त के अन्दर आ जाता तो शायद मुहम्मदपुर का पावर स्टेशन वक्त के अन्दर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चालू हो जाता। बहरहाल इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर नहीं आ सकती बल्कि यह उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने उन सामानों को भेजा।

दूसरी बात यह भी कही गयी कि खटीमा पावर स्टेशन वक्त पर नहीं तैयार हो सका। लेकिन उसके ठीक न होने की वजह यह कही जाती है कि एक अन्डर ग्राउन्ड वाटर रिजर्व निकल आया और उसको ठीक करने के लिये काफी वक्त सर्फ हुआ और इस तरीके पर ये दोनों पावर स्टेशन्स जिनको इस वक्त तक चालू हो जाना चाहिये था और उससे बिजली जेनरेट हो जानी चाहिये थी वह नहीं हो सका। लेकिन इस बात को मानना ही पड़ेगा कि यह दोनों दुश्वारियां ऐसी थीं जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो सकता। एक तो कुदरत से हुआ और दूसरी गलती जो हुई वह औरों की थी। एक बात यह भी कही गई कि रेट्स को मुकर्रर करने के लिये एक कमेटी बैठायी जानी चाहिये। बिजली के रेट्स को मुकर्रर करने के लिये कमेटियां सब पावर स्टेशन्स में बैठा दी गयी हैं और वे कार्य कर रही हैं। और वह इस मामले पर गौर कर रही हैं।

एक बात जो कही गयी उसमें मैं इत्तिफाक नहीं कर सकता। वह यह कही गई कि हर जगह स्टैंडर्डाइजेशन आफ़ रेट बिजली में हो लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यह चीज किस तरह से मुमकिन हो सकती है, इसलिये कि बहुत से मुकाम बड़े हैं और बहुत से छोटे हैं। कहीं बिजली के प्रोडक्शन का खर्चा ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। इस तरीके पर एक स्टैंडर्ड रेट हर जगह के लिये मुकर्रर कर दिया जाय तो कहीं के लिये तो वह फेवरेबिल होगा और कहीं के लिये इतनी मुश्किल हो जायगी कि लोग उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो वे कमेटियां जो मुकामी तौर पर बना दी गयी हैं इस बात को वे तै कर सकती हैं कि कहां के लिये कौन सा रेट मुनासिब होगा।

जनाबवाला, मैं गवर्नमेंट का इस सिलसिले में भी मशकूर हूं कि इस सूबे के अन्दर काफी तादाद में ट्यूबवेल्स बनाये गये और मेरे पास एक नोट मौजूद है जिससे पता चलता है कि ५१३ स्टेट ट्यूबवेल्स ५४-५५ के दर्मियान बनाये गये हैं और भी काफी ट्यूबवेल्स बन रहे हैं। इसके अलावा काफी पावर स्टेशंस भी कायम किये जा रहे हैं और इस सिलसिले में बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट की जो जारी है। मैंने इस हाउस के अन्दर कुछ शिकायतें मगरबी जिलों की और कुछ मशरकी जिलों की सुनीं और आज मैंने अपने एक दोस्त से पहाड़ी इलाके की दिक्क़तों को सुना। इन सब दिक्क़तों का गवर्नमेंट फैसला करेगी कि क्या होगा लेकिन मेरे नजदीक यह नामुनासिब न होगा अगर इस मौके पर मैं भी अपने यहां की कुछ दिक्क़तों को पेश कर दूं। मैं जिस जिले फर्रुखाबाद से यहां आया हूं वहीं की वकालत नहीं करना चाहता बल्कि सेंट्रल रीजन की भी वकालत करना चाहता हूं जो कि इगनोर्ड एरिया है। ४, ५ जिले फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी और शाहजहांपुर के ये ऐसे जिले हैं जो सेंट्रल रीजन कहलाते हैं, न ये पश्चिम में आते हैं, न पूर्व में आते हैं, पहाड़ी इलाका है नहीं, बुन्देलखंड भी नहीं है। जिन रीजन्स की गवर्नमेंट की तवज्जह है तो मैं यह चाहूंगा कि वह थोड़ी सी तवज्जह इस सेंट्रल एरिया की तरफ भी दे ताकि यहां के लोग जो काफी बैकवर्ड हैं, वे भी बिजली से नफा उठा सकें और बिजली के कारखाने वहां खुलें जिससे वहां के कस्बे और शहर मुनव्वर हो सकें। ट्यूबवेल्स भी वहां काफी तादाद में बनाये जायं। गवर्नमेंट की एक स्कीम अखबार में पढ़ी थी जिसके अनुसार ३६ छोटे-छोटे कस्बों को बिजली दी जा रही है और यह बिजली सेकिंड फाइव ईयर प्लान में दी जाने वाली थी लेकिन यह कहा गया कि ५५-५६ में ही दे दी जायगी। मुझे उम्मीद थी कि इस बिजली के अन्दर मेरा जिला और सेंट्रल एरिया भी होगा लेकिन मैंने उठा कर जब उस लिस्ट को देखा तो मुझे देख कर

[श्री सुल्तान आलम खां]

मायूसी हुई और वह मायूसी इस बात की हुई कि उस एरिया के नजदीक या दूर भी किसी जगह का उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं खास तौर से गवर्नमेंट से वकालत करूंगा कि जो प्रोग्राम वह इलेक्ट्रिफिकेशन का चाहती है वह एक प्लांड तरीके पर हो जिसमें कुछ पूर्व के जिले आयें, कुछ पच्छिम के जिले आयें, कुछ पहाड़ी जिले आयें, कुछ बुन्देलखंड का इलाका आये और कुछ हमारा सेंट्रल एरिया, इग्नोर्ड एरिया भी आये। इसलिये कि जो तरक्की बिजली के जरिये हो रही है उसमें सब कहां बराबर का हिस्सा हो, सब लोग नफा उठायें और ऐसा न हो कि एक एरिया ज्यादा डेवलप्ड हो जाय और दूसरा एरिया कम डेवलप्ड हो। इसका नतीजा यह होगा हमारी स्टेट की मिसाल मुझे अगर माफ फरमायें तो मैं अर्ज करूं एक ऐसी गाड़ी के होगी जिसमें एक तरफ बैल जुते हों और दूसरी तरफ भैंसा जुता हो। जब वह गाड़ी चलेगी तो अच्छी तरह से नहीं चल सकेगी और इसमें दिक्कत व दुश्वारी पैदा होगी। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ जो डिमांड यहां पेश की गयी है उसकी मैं ताईद करता हूं और मैं भी यह चाहूंगा कि जितना रुपया बिजली पर रखा गया है, हालांकि वह काफी है, लेकिन आयन्दा साल उसको और ज्यादा बढ़ाया जाय ताकि हमारा सूबा अपने यहां ऐसे मजामीन को हल कर सकें और पूरा डेवलपमेंट और प्लानिंग कर सके।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारायण-दत्त तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे उधर के बैठने वालों में माननीय चन्द्रसिंह रावत ने गढ़वाल की तरफ माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया और माननीय सुल्तान आलम खां ने जिस गाड़ी की मिसाल दी, उन दोनों मिसालों का मैं भी जिक्र करना चाहता हूं और इसके अलावा सन् ४६-४७ में माननीय वित्त मंत्री महोदय जो उस समय भी मंत्री थे उन्होंने जो स्पीच दी थी जो कि हमारे सन् ४६-४७ की प्रोसीडिंग्स के ४०३ पृष्ठ पर है उसके एक, दो पोर्शन मैं पढ़ना चाहता हूं। इसके अलावा और मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि गत वर्ष भी इन्हीं दिनों हमने बहुत सी बातें कही थीं और अभी तक मैं देखता हूं कि शायद वह माननीय वित्त मंत्री महोदय तक नहीं पहुंचीं। जो माननीय चन्द्रसिंह जी रावत ने कहा उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि दीपक के नीचे अंधेरा होता है। लेकिन जो हमारे पुराने ढंग के दीपक होते थे उनके नीचे अंधेरा होता था। यह बिजली का मामला है और उसमें ऊपर की ओर अंधेरा होता है। हिमालय, गढ़वाल, बिजनौर के ऊपर की तरफ पड़ता है और इसलिये वहां अंधेरा रह गया। यह मिसाल मैं समझता हूं कि इस तरह लगती है। इसी तरह से माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने एक गाड़ी की मिसाल दी जिसमें एक बैल जुता हो और दूसरी ओर भैंसा, और हम पहाड़ों का जिक्र आया। उन्होंने कहा कि वहां बिजली हो गयी, अल्मोड़ा और नैनीताल में तो खटीमा पावर हाउस से बिजली हो जायगी। माननीय मंत्री जी ने कहा, वहां होने की आवश्यकता थी जहां हुई, लेकिन जहां नहीं है वहां भी आपका ध्यान जाय इसके लिये मैं आप से निवेदन करता हूं और जो अपने सन् १९४६-४७ में अपनी स्पीच दी थी अगर मैं उसके दो, तीन टुकड़ों को पढ़ दूं तो माननीय वित्त मंत्री जी को अपने आप याद आ जायगा कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था:

"मैंने रिहन्द के मुकाम को और उसके रकबे को और नयार डैम के मुकाम को जा कर देखा है और उससे मेरा यह अन्दाजा हुआ कि नयार डैम से उन फायदों के अलावा जो मैंने अर्ज किये, उससे गढ़वाल को पूरे तौर पर डेवलप कर दिया जायगा। मैं अर्ज करूंगा कि अगर गढ़वाल काश्मीर नहीं तो हिन्दुस्तान का दूसरा काश्मीर यकीनन बन सकता है और डैम के जरिये से वहां का तमाम रक़बा हर सूरत से इंडस्ट्रीज़ के एतबार से भी और काश्तकारी के एतबार से भी तरक्की पा सकता है।" यह १९४६ की बात है आज की नहीं लेकिन वह काश्मीर आज तक नहीं बना। माननीय वित्त मंत्री उस जमाने के हमारे यहां के

प्रतिनिधि भी रहे हैं और बड़े स्वागत से उस समय हमने उनको अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा था, इसके अलावा आगे लिखा है :

"इसके अलावा यहां के कम्युनिकेशन्स के बनाने के मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा और जो आप में से बहुत से साहिबान जो पिछली असेम्बली के मेम्बर हैं उनको इल्म भी है कि इसी गवर्नमेंट के सामने वहां एक सड़क बनना शुरू हो गई थी और वह सड़क वहां बहुत दूर तक पहुंच भी गई है। इस तरीके से कम्युनिकेशन्स में जो रोड प्रोग्राम के सिलसिले में जो मसला है वह हल कर लिया जायगा।"

तो सन् १९४६ से अब तक का अरसा बीत गया और माननीय वित्त मंत्री जी तब से अब तक अपने पद पर सुशोभित हैं। वहां क्या काम हुआ, सब जानते हैं। अभी मंत्री जी ने बतलाया कि एक योजना वहां ६० लाख रुपये की थी जो पूरी हो गयी है। उनका मतलब शायद बागेश्वर से होगा। इसके अलावा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में छोटी-छोटी योजनाओं के लिये जो रुपया रखा गया है उस में भी कुछ रुपया है। यह मुझे मालूम नहीं है कि यह कहां कहां खर्च होगा लेकिन आप ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि जो छोटी योजनायें हैं अनइम्पलायमेंट रिलीफ की, उनसे भी बिजली सप्लाई करने का मौका होगा। अगर बहुत दूर न जाऊं तो मैं समझता हूं कि कोटद्वार की एक ऐसी ही आवश्यकता है। अगर उस जगह का इस अनइम्पलायमेंट रिलीफ की स्कीम में ध्यान रखा जाय तो वहां के लोगों को बहुत बड़ा असन्तोष मिल सकता है। जैसा कि रावत जी ने कहा पहाड़ों के विकास के लिये यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वहां पर अन्न कम होता है, आने जाने के दुर्गम रास्ते हैं और अगर उस भाग को इस युग में डेलपप करना चाहते हैं, उस को काश्मीर बनाना चाहते हैं तो मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वह समय बहुत दूर नहीं है। वैसे तो समय बीतता जाता है, लेकिन वह उसका सदुपयोग करते हुए शीघ्र ही तरक्की के लिये इन योजनाओं को चालू करेंगे। एक बार मैं जब चीफ इंजीनियर साहब से मिला था तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर बिजली का उत्पादन किया जा सके। यह उनका कहना सही हो सकता है उनके लिये, इसलिये कि वह इलाका उनका जाना हुआ नहीं है और न आपके इस विभाग का कोई वहां जा पाया है। और न तो आपने किसी आदमी को डेप्यूट ही किया है कि वहां जा कर के देख ले। मैं आप से कहता हूं कि नयार डाम की स्कीम अभी क्यों सफल नहीं हुई, हालांकि आगे एक समय आयेगा जब यह नयार डैम सफल होगा, लेकिन अभी उस के आस-पास के जिले, बिजनौर वगैरह की एक तरह से पर्याप्त मांग पूरी नहीं हो सकी। लेकिन गढ़वाल में बद्रीनाथ और केदारनाथ के इलाके में एक नहीं सैकड़ों, हजारों ऐसी नदियां हैं जिनमें बहुत छोटे-छोटे फ़ाल बने हैं, और दो, चार लाख रुपये की एक एक स्कीम बनायी जाती है, तो शायद इस इलाके में फ़ूट प्रिजरवेशन का काम हो सकता था और वहां के लोगों की कुछ हालत जो, आज है, अच्छी होती और हिमालय भ्रमण करने का गर्मी के दिनों में, जब वित्त मंत्री महोदय को मौका मिलता तो इन लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त होता कि उनका स्वागत करते और उनको भी पहाड़ में जाने के सुअवसर प्राप्त होता। इतना कह कर मैं बैठता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं आज माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक बिजली जो मिली तो शहरों को मिली और शहरों में ही ज्यादा विरोध हमारा होता है। आज यह सरकार है, जिनके बल पर यह

[श्री शिवनारायण]

सरकार टिकी हुई है उन गांवों के रहने वालों का कोई पुरसाहाल नहीं है, गरीबी गांवों में बसती है, भुखमरी है, परेशानी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गांव की तरफ़ चलिये। ए० जी० गार्डनर ने कहा था कि शहर छोड़िए गार्डनर की तरफ चलिए, प्रकृति को देखिए। मैं कहूंगा रिहान्ड डाम जो बिजली प्रदान कर रहा है उसे दीजिये हमारे ट्यूब वेल्स सूखे पड़े हुये हैं। भाई नारायणदत्त तिवारी जी ने बड़ा क्रिटीसाइज़ किया था रिहान्ड डाम को। लेकिन रिहान्ड डैम जैसा मंत्री ने कहा था उससे ट्यूबवेल्स नहीं बनेंगे, जब बिजली बन जायगी तो ट्यूबवेल्स चलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से हमारी कान्स्टीट्यूऐंसी में छोटा सा पावर हाउस माननीय मालवीय जी ने बनवाया था लेकिन उसकी पावर कम है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको कुछ सहायता दे ताकि हम पावर को ऐक्सटेंड कर सकें, गांव वालों को रोजगार मिल सके....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आप जरा नाम बता सकते हैं कौन सा पावर हाउस है?

श्री शिवनारायण—बभनान में छोटा सा पावर हाउस बना हुआ है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपना भी विशेष ध्यान उस पर भी दें ताकि किसानों को मालूम हो, छोटे-छोटे रोजगार हम उनको गांवों में दे सकें, वहां बड़ी ग़रीबी है, भुखमरी है। आप कुटीर उद्योग चलाना चाहते हैं। फ़ रेन कंट्रीज में अगर आप देखें, मेरा तो जाती अनुभव है, कि फ़ रेन कन्ट्रीज में छोटे छोटे गांवों में बिजली पहुंची हुई है, छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों में लगा कर वह काफी पैसा कमाते हैं और सुखी रहते हैं। आज जो आपके सामने हरिजनों की प्राबलम है, मैं कहना चाहता हूं और मेरा नारा सन् १९३१ से यही है कि "गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है", ग़रीबों की मुसीबतों को हल किया जाय, सोशलिस्टिक स्टेट का जो नारा लगाया गया उस पर अमल होना चाहिये।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बिजली शहरों के लिये या चक्की चलाने के लिये मिलती है उसमें कम से कम आपके विभाग से लाइसेंस मिलने में बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लें, हमसे लोगों ने बताया है कि एक एक हजार रुपया तक उनको देना पड़ता है तो यह बड़े दुख की बात है। मैं तो वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की जो समस्यायें हैं वे हल हों। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। करप्शन बहुत है, हर जगह करप्शन है, मैं चाहता हूं कि इस पर निगाह की जाय, सरकार उसको देखे। हम लोग तो सरकार को मन्जूरी हर साल देते हैं, करोड़ों रुपये की और वह खर्च किया जाय, मैं नहीं चाहता कि जो रुपया जिस काम के लिये मंजूर किया जाय वह खर्च न हो, वह लैप्स नहीं होना चाहिये, क्योंकि अवसर हमेशा नहीं मिलता। आज आप वित्त मंत्री हैं, आपके हाथ से जितना शुभ काम हो जायगा उतना ही हमारा देश चमकेगा, बिजली से हमारे देश को प्रकाश मिलने वाला है। हमारे बन्धुओं ने कहा, प्रोफेसर मैठाणी ने कह दिया कि चिराग के तले अंधेरा नहीं चिराग के ऊपर अंधेरा होता है, बिजली जहां है वहां चिराग के ऊपर अन्धेरा होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह फ्रेज गलत नहीं है। वह पहले का बना हुआ है। वह फ्रेज बिलकुल ठीक है लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को उस अंधेरे को मिटाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिव राम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये अनुदान का समर्थन करता हूं। विद्युत शक्ति के बल पर ही हमारे इस प्रदेश का भावी निर्माण निर्भर है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

जितना बड़ा हमारा प्रदेश है उस हिसाब से जितना अनुदान होना चाहिये था, उतना नहीं है। बहुत काफी रुपये की जरूरत है और बहुत काफी इसमें निर्माण कार्य की जरूरत है, लेकिन उस हिसाब से रुपया नहीं है। जो कुछ भी है, जो हमारे प्रदेश की आमदनी है उसी में से अनुदान बजट में मिला है, उसी से काम करना है। हम लोगों का स्वप्न है रिहंड बांध के लिये। हम जानते हैं हमारे पूर्वी इलाकों का सारा भविष्य निर्माण और उनके खाने पीने की समस्या का हल सब कुछ रिहंड बांध पर निर्भर है, वहां के विद्युत शक्ति के बल पर हमारे सारे पूर्वी इलाके ही नहीं बल्कि बहुत दूर तक विद्युत शक्ति का फैलाव होगा। घर-घर और गांव-गांव बिजली पहुंचेगी जिससे वह सारे इलाके जगमगा उठेंगे। मैंने अभी थोड़े दिन हुआ मऊ के अन्दर बने पावर हाउस को देखा। मैं नहीं समझता था कि इतनी जल्दी यह पावर हाउस खड़ा हो जायगा। पहले जिस तरह से मशीनों की कमी की वजह से देर लग रही थी, उससे हम लोगों में बहुत काफी उदासी थी कि पता नहीं कितनी देर लगेगी। लेकिन इतनी जल्दी पावर हाउस बन कर खड़ा हो गया। उस के लिये मैं वहां के कर्मचारियों को, ऊंचे से ऊंचे जो कर्मचारी हैं उनसे ले कर नीचे से नीचे तक के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जिनकी कार्य तत्परता, उनकी कार्य-क्षमता, तथा कार्यशक्ति से इतने आनन फानन में वह काम चालू हो गया। आज मैं कह सकता हूं कि जितने भी ट्यूबवेल्स आजमगढ़ जिले में हैं, कुछ थोड़े को छोड़ कर सभी बिजली के बल पर चल रहे हैं।

परन्तु एक बात की शिकायत मुझे खासतौर पर माननीय मंत्री जी के सामने रखनी है। जैसे माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि चिराग तले अंधेरा रहता है, वैसे ही है। मऊ कस्बे में जो हमारे जिले का सब से बड़ा इंडस्ट्रिअल कस्बा है वहां अभी तक पावर नहीं दिया गया है। यह सचमुच बड़ी खेदजनक बात है जब कि बलिया गाजीपुर को बिजली मिल गयी, आजमगढ़ को मिल गयी लेकिन वहीं चिराग तले अंधेरा है! मैं इस विभाग के उच्च अधिकारियों से और खास कर माननीय मंत्री जी से यह पुरजोर सिफारिश करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र वहां की इस कमी को पूरा कर दें क्योंकि यह कलंक की बात है। मेरा ख्याल है कि कम से कम आठ दस बार मऊ से रिप्रिजेंटेशन आया और वह चीफ इंजीनियर साहब और माननीय मंत्री जी से मिल चुका है, लेकिन पता नहीं क्या बात है? हर बार आश्वासन मिलता है पर वह काम अब तक पूरा नहीं हुआ? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ी इनायत होगी अगर वह इस तरफ जरा ध्यान देंगे। मैं अधिक नहीं कहना चाहता केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के बारे में कुछ निम्नश्रेणी के जो कर्मचारी हैं, जिनको कुली या मजदूर कहा जा सकता है, उनके बारे में ज्ञात हुआ है कि हर साल उनसे काम लिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है। फिर उन्हीं से काम लिया जाता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग रहती है, वह काम जानते हैं। अगर यह व्यवहार है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही बुरा व्यवहार है। इस तरह की कार्यवाही ऐसे लोगों के साथ जो पिछड़े हुये हैं जो छोटी नौकरी करने वाले हैं, करना सचमुच अन्याय है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी तरफ भी ध्यान देंगे और मऊ के पावर हाउस के बारे में जैसा मैंने कहा, मऊ कस्बे को बिजली अवश्य दी जाय, ताकि वहां की इंडस्ट्रीज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकें और इसी में मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को भी प्रसन्नता होगी तथा उनके उच्च अधिकारियों को भी प्रसन्नता होगी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, वित्त मंत्री महोदय ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में, श्रीमन्, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मित्र माननीय नारायणदत्त तिवारी को कुछ भ्रम सा हो गया है। पहली बात तो उन्होंने कही कि रामपुर का प्रोफार्मा अकाउन्ट उनको कहीं मालूम नहीं होता!

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

शायद वह भूल गये कि रामपुर का जो काम है वह गंगा ग्रिड के अन्तर्गत है और इसलिये उसका प्रोफार्मा अकाउन्ट अलग से देना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वह यह कि टेम्पोरेरी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स मुस्तकिल नहीं किये जा रहे हैं। शायद उनको जानकारी नहीं है, सारदा, मुरादाबाद, रामपुर इत्यादि के जो कर्मचारी हैं, जो टेम्पोरेरी थे वह इसी साल मुस्तकिल कर दिये गये। तीसरी बात जो कांटिजेंसी फंड के बारेमें कही गयी तो उनको यह भी भ्रम है। कांटिजेंसी रिजर्व फंड तो कोई बाइंडिंग चीज नहीं होती और न इसे वे बाइंडिंग कह सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि बाइंडिंग न होते हुये भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो साल के बीच में पूरे नहीं होते। उदाहरण के लिये सिविल वर्क्स है। उनका कंट्रैक्ट पूरा नहीं हो सका, उनकी खानापूरी नहीं हो सकी। तो ये चीजें तो होती ही रहती हैं। इससे विभाग पर लांछन नहीं लगाया जा सकता। एक चीज उन्होंने ५७ लाख के बारे में उठाई। सम्भवतः अगर वे इसको गम्भीरतापूर्वक सोचें तो उनको यह पता लगेगा कि यह ऐसी रक़म है जो एडजस्टमेंट के लिये है। जो वर्क्स पूरे हो जाते हैं तो रेवेन्यू से रुपया ले लिया जाता है। यह नहीं है कि कहीं रुपया फेंक दिया। आज ५७ लाख है, कल ३ लाख भी हो सकता है। यह केवल हिसाब-किताब की चीजें हैं जिनको साधारणरूप से भी समझा जा सकता है।

हां, एक बात उन्होंने जो कही कि मालूम होता है कि १५–२० सालों में भी हमारे प्रदेश में बिजली की योजना पूरी नहीं होगी, तो इसके बारे में माननीय सुल्तानआलम खां ने बहुत कुछ बतला दिया है। खटीमा और मुहम्मदपुर के बारे में तो सुल्तान आलम साहब ने बतला दिया, लेकिन उन्होंने शायद द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पढ़ने का कष्ट नहीं किया। उसमें रिहेंड डैम पूरा होने के बाद २,४०,००० किलोवाट बिजली तैयार होगी। साथ ही साथ रामगंगा की योजना पूरी होने पर ५७,००० किलोवाट मिलेगी। जमुना पावर हाउस की स्कीम से ५२ हजार किलोवाट मिलेगी। तो ये इतनी काफी योजनायें हैं कि जिनको हम जल्दी ही पूरी करने जा रहे हैं, इस पर तो हमारी प्रशंसा होनी ही चाहिये। हम १,०६,००० किलोवाट बिजली पैदा करते हैं, तो इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिये कि हम कम पैदा करते हैं, लेकिन यह जरूर है कि हम जितनी जल्दी और ज्यादा पैदा कर सकें उतना ही अच्छा है।

केसा के बारे में उन्होंने कहा कि वहां नया प्लान्ट नहीं लगाया। पर शायद यह बात उनको मालूम नहीं है कि केसा में एग्जिस्टिंग प्लांट जो लगे हैं उनकी एफिश्येंसी इतनी अच्छी हो गयी है कि कानपुर में उनको कहीं सड़क पर भी ऐसा कोई आदमी चलता हुआ नहीं मिलेगा जिसको पावर की जरूरत हो और उस को नहीं मिली। बल्कि केसा के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट को वह उठा कर देखें जो कि उसकी ऐनवल रिपोर्ट है, तो उससे मालूम होगा कि उसकी एफिश्येंसी बढ़ती चली जा रही है और मैं समझता हूं इससे माननीय बहुगुणा जी को भी थोड़ा बहुत संतोष होगा। बहुगुणा जी को मजदूरों के प्रति जो हमदर्दी है मैं उस की क़द्र करता हूं और मैं जानता हूं कि वह इस बात के इच्छुक हैं कि वहां के मजदूरों को सही रास्ते पर चलाया जाय। वह इस तरह के लोगों में से नहीं हैं जैसा कि एक दूसरी पार्टी के मजदूरों में काम करने वालों ने यहां तक कोशिश की थी कि केसा के फरनेस को ब्लास्ट कर दिया जाय और २८–३० लाख की मशीन के ठप होते ही यह औद्योगिक नगर भी खत्म हो जाय। यह मैं कोई नयी चीज नहीं कह रहा हूं। यह चीज श्री अशोकमेहता और राजाराम शास्त्री के सामने भी मैं ला चुका हूं। बहुगुणा जी तो अच्छी तरह से मजदूरों के हित का काम सम्पादन कर रहे हैं, लेकिन दो तीन चीज उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। केसा का जो प्रोडक्शन है उस पर जो खर्चा है वह एफिशिऐंसी के बढ़ने के कारण कम होता जा रहा है। प्रोडक्शन चार्जेज कम होते जा रहे हैं। अगर मार्टिन से मुकाबला करें तो जहां केसा का उत्पादन व्यय .८७५ है वहां मार्टिन कं० का १० प्रतिशत चार्जेज के ऊपर लगा कर १.५ आना फी यूनिट है।

जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, वेतन के सम्बन्ध में निम्बकर कमेटी ने सन् १९४७ में जो पे स्केल कायम किया था वही मार्टिन दे रही है और केसा में भी वही दिया जा रहा है। केसा सरकारी संस्था है। उसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार के पास इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, पावर हाउस हैं और बहुत से काम करने वाले मजदूर हैं। आगे केसा और गवर्नमेंट के यहां काम करने वाले लोगों के वेतन में संतुलन होना चाहिये। पर केसा के मुक़ाबले में सरकार के बिजली विभाग में मजदूरी तथा वेतन इतना कम है और लोगों को शिकायत हो सकती है, लेकिन केसा वालों को तो शिकायत करने में थोड़ी सी हिचक होनी चाहिये, इसलिये कि उनको ज्यादा मिलता है, और उन्हें सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहां यदि पावर विभाग में काम करने वाले को ५० रु० माहवार वेतन मिलता है तो केसा वालों को ७० रुपया मिलता है। इसी तरह से केसा में १६६ क्लर्क्स हैं जिनको वेतन ५५ रुपये से १२० रुपये मिलता है और ३६ क्लर्क्स ऐसे हैं जो हायर ग्रेड में हैं यानी १२० रुपये से ऊपर।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कानपुर और खटीमा के रहने में अन्तर भी तो है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—जी हां, लखनऊ वाले कह सकते हैं कि लखनऊ के रहने में अन्तर है और मुरादाबाद वाले कह सकते हैं कि मुरादाबाद के रहने में अन्तर है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यह देखना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियों में संतुलन होता है। फिर भी मार्टिन कम्पनी साढ़े तीन आने यूनिट पंखा तथा रोशनी पर लेती है और केसा में २.५६२ आना है, तो इस प्रकार अन्तर पड़ जाता है। एक चीज है हिसाब के बारे में। वह मैं समझता हूं कि सही है कि बहुगुणा साहब को मार्टिन कम्पनी के बारे में शिकायत है। ऐसे आदमी को जो शिकायत हो तो उस की जांच होनी चाहिये। यदि मैं यह कहूं और वह मेरे ऊपर विश्वास रखें गैर सरकारी आदमी होने के नाते कि वह केसा और उसके मजदूरों के बीच यदि मैं समझौता करा सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मेरी सेवायें उनके लिये अर्पित हैं।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा एक बात और कह देना चाहता हूं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के बारे में माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने कहा ६ हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ६ नहीं बल्कि ७ हैं और उनका होना निहायत जरूरी है। एस्टीमेट कमेटी ने जो हिसाब लगाया था उसमें भूल हुयी थी। फैजाबाद डिवीजन में चार पावर हाउस हैं, जैसे सुहावल, मऊ, मैनपुरी और गोरखपुर आदि। इसलिये इनके ऊपर नियंत्रण के लिये और देखभाल के लिये एक एस० ई० का होना जरूरी है। इनके ऊपर कोई एस० ई० न हो यह तो एक बड़ी विचित्र बात होगी! बेकारी को दूर करने के लिये ३६ नगरों में बिजली की योजना को लागू करने का निश्चय किया गया है। इसलिये बरेली सर्किल के लिये एक एस० ई० की जरूरत पड़ी। इस लिये इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि यदि ऐस्टीमेट कमेटी भूल जाय और हमें सही चीज मालूम पड़ती हो तो उधर ध्यान देना होगा। मैं इन शब्दों के साथ अर्ज करूंगा कि हिसाब-किताब के बारे में जो शंकायें हैं, उनके सम्बन्ध में थोड़ा सा समझ लें तो उनकी जानकारी बढ़ जायगी बनिस्बत इसके कि थोड़े समय में वे सब समझ लें।

*श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विद्युत् अनुदान सदन में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह तो सही बात है कि आजकल इस बदले हुये जमाने में इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मिहरबानसिंह]

विद्युत योजना की कितनी आवश्यकता है, कोई भी देश बिना विद्युत के उन्नति नहीं कर सकता है। यह बात जानी हुई है कि काश्त के लिये, छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये विद्युत् की बड़ी आवश्यकता है। हमारी सरकार ने जो विद्युत् योजना में तरक्की की है और उसके प्रसार के लिये जो योजनायें बनायी जा रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह बताया था और कुछ जिलों का नाम लेते हुये इटावा का नाम लिया था कि इसको अधिक बिजली मिलेगी। लेकिन श्रीमन्, पश्चिमी जिलों में जो बिजली आ रही है और हमारे इटावे तक आयी है, और शहर में ही समाप्त हो जाती है। जिले में बड़े-बड़े कस्बे हैं। मेरा भर्थना कस्बा भी इसी जिले में है और इसमें राइस की मिलें हैं और गल्ले का विद्युत ज्यादा व्यापार होता है। यह कस्बा इटावा से १२ मील है, लेकिन बहुत कम होने से नहीं पहुंच सकती है। इसकी बड़ी आवश्यकता है। हालांकि ऐसा ज्ञात हुआ है कि वहां अधिकारियों से यह पूछा था कि इस कस्बे के लिये और उद्योग धंधों के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता होगी? इससे यह मालूम होता है कि मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित हुआ है। लेकिन मैं फिर उनसे इसके लिये प्रार्थना करूंगा। बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस विद्युत् योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसा कि जिन जगहों पर बिजली है और जिन व्यक्तियों को बिजली दी जाती है उनको कुछ थोड़ी सी दिक्कत भी होती है और परेशानी भी होती है। जो छोटे उद्योगधन्धे करने वाले व्यक्ति हैं उनको मान लीजिये कि १० या १५ हार्स पावर की बिजली दी गयी और उन्होंने अपने छोटे उद्योग धन्धे, जैसे रूई की मशीन, कटाई काटने की मशीन, या आटा पीसने की मशीन लगा रखी है तो, श्रीमन्, जहां सीजन की वजह से या किसी और कारण से अगर उनका वह कार्य सफल नहीं होता है और वह काम नहीं चलता है तो यह एक नियम है कि जिस काम के लिये बिजली उसको दी गयी है उसी काम में वह उसको खर्च कर सकता है और दूसरे काम उससे वह नहीं कर सकता है। यह एक दिक्कत उन छोटे उद्योग करने वालों को होती है कि जब उनको १० या १५ हा० पा० की बिजली दी गयी है तो उसका टैक्स तो वह अदा करते रहते ही हैं तो उनको यह अधिकार होना चाहिये कि अगर मान लीजिये कि जो रुई की मशीन लगी हुई है अगर वह कामयाब नहीं होता है और रुई का उनका काम नहीं चलता है तो उस को वह दीगर काम में लगा सकें। जहां पर आटा बनाने के लिये मशीन लगी है तो उस को वह दूसरे काम में लगा सकें, या कुट्टी काटने की मशीन लगी है तो उसको वह दीगर काम में इस्तेमाल कर सकें। अगर ऐसा हो जाय तो वह उनका धन्धा चल सकता है और उनकी वह परेशानी भी दूर हो सकती है। वह जब बदलने की कोशिश करते हैं और किसी के पास १० या १५ हार्स पावर्स की बिजली लगी हुई है, उनकी कोई मशीन लगी हुई है, अगर वह कामयाब नहीं होती है--उनको वह टैक्स अदा करना ही पड़ता है--तो जब वह यह प्रार्थना करते हैं कि उनकी बिजली को फलां काम के बजाय उस काम के लिये कर दिया जाय तो उनको बड़ी दिक्कत होती है और बहुत जगह उनको धक्के खाने पड़ते हैं। मगर फिर भी उनको कामयाबी नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर सरकार का कोई नुक्सान नहीं है और जनता को उससे सुविधा मिलती है, और जनता की भलाई होती है तो वह इस चीज को ध्यान में रखें कि इस चीज को बदल दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से वह बिजली के प्रसार में अभी तक प्रयत्न करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे और हमारे प्रदेश में कोई जिला ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां पर बिजली न पहुंच पाये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैंने ध्यानपूर्वक माननीय सदस्यों के सुझाव को सुना और मैं इस बात के लिये बहुत आभारी हूं कि जहां करीब-करीब माननीय परिपूर्णानन्द को छोड़ कर सभी मित्रों ने माननीय मंत्री जी को बधाई दी, लेकिन विभाग के प्रशासन को बधाई नहीं दी और प्रत्येक माननीय सदस्य ने बिजली के वितरण के सम्बन्ध में या उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में या कर्मचारियों के प्रति किये गये बरताव के सम्बन्ध में शिकायत की । माननीय परिपूर्णानन्द जी ने आज अपने संक्षिप्त भाषण में मेरे द्वारा उठायी गयी आशंकाओं का समाधान किया। मुझे कुछ ऐसा लगा आज परिपूर्णानन्द जी जो बोले वह कुछ इन्स्पायर्ड तरीके से नहीं बोले वह कुछ जबरदस्ती से बोले। जिस बात के वह स्वय चाहते थे उस का कुछ विरोध करते हुये से वह दिखायी दिये मुझे कुछ ऐसा भासित हुआ क्योंकि बहुत से मामले को वह छिपाते रहे। मैं जानता हूं कि पार्लियामेंटरी मिन्न की चुप्पी क्या होती है । वह चुप्पी यह अर्थ रखती है कि उन सुझावों से वह सहमत हैं। जैसा कि मैंने एलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में कहा था कि वह साल-साल से नहीं बना। वह जानते हैं कि मैंने सोशलाइजेशन के बारे में कहा था जिसके बारे में बहुगुणा जी और जैन साहब को धन्यवाद देता हू कि उन्होंने करीब-करीब अप्रत्यक्षरूप से इसको स्वीकार किया और माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि मैं जांच के लिये सहमत हूं। एक बात का माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बिलकुल उत्तर नहीं दिया कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट क्या होना चाहिये और कितने समय में उस का उत्तर मिलना चाहिये और उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही होनी चाहिये ? माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मेरी कुछ ग़लतियां भी बताईं। पहली गलती उन्होंने यह बतायी कि कि मैं यह कहना भूल गया कि रामपुर पावर हाउस ग्रिड एरिया में है। अगर एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट उनके हाथ में हो तो वे पेज १२ पर पढ़ लें। उसमें लिखा है कि--

"Rampur Power House is a unit by itself which is not connected with grid, and has, therefore, no effect on production or supply position of the grid area."

यानी रामपुर बिजलीघर एक यूनिट अपने में है उसका कनेक्शन ग्रिड से नहीं है इसलिये उसका असर ग्रिड के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में नहीं पड़ता है । उस रिपोर्ट में बयानों के आधार पर लिखा हुआ है। उसी रिपोर्ट में यह दिया हुआ है--

"Proforma Accounts for the concern should be maintained and presented to the Legislature."

अब अगर मैंने इस मांग को दुहरा दिया हो तो या तो मैं भूला, या एस्टीमेट्स कमेटी भूली।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--श्री परिपूर्णानन्द जी आन बिहाफ आफ दी गवर्नमेंट तो बोले नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--मौर्य जी ने ऐसा प्रश्न उठा दिया। मैं तो यही समझता हूं कि वे जब बोलते हैं तो आन बिहाफ आफ दी गवर्नमेंट ही बोलते हैं और किसी-किसी मानी में पूर्ण सरकार की तरह से ही। हां, मैं उन्हें गैर सरकारी नहीं मानता। माननीय परिपूर्णानन्द जी को अलग समझूं भी कैसे ? वे सरकारी पार्टी में ही हैं फिर उनका अस्तित्व सरकार से अलग कैसे हो सकता है ? मैं समझता हूं कि वे अब भी कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं जिस पार्टी की आज यहां सरकार है। और अभी उससे उन्होंने रिजाइन नहीं किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके बाद उन्होंने कुछ सस्पेंस अकाउन्ट के बारे में बतलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ३ लाख के ५७ लाख हो गये। तो ऐसा होता ही है। और कोई इस बात को कहता तो मुझे कोई ताज्जुब न होता लेकिन जब माननीय परिपूर्णानन्द जैसे वित्तीय जानकारी रखने वाले लोग यह कहें तो बड़े ताज्जुब की बात है। इसके अलावा बजट मेमोरेंडम में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है जो कि केवल इसलिये बनाया जाता है कि सदन के सब मेम्बर अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार उस को समझ सकें कि ऐसा क्यों हुआ।

इसके बाद उन्होंने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स के बारे में बताया कि ७ हैं, ६ नहीं हैं। एक और बढ़ गया, है। शायद पी० ए० टू चीफ इंजीनियर से उनका मतलब है। मैं पी० ए० को भी सुप० इंजीनियर्स में मान लेता हू लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि दरअसल सुप० इंजीनियर की सख्या बेकारी को दूर करने के लिये ही बढ़ायी गयी है। इसके लिये मैं यू० पी० गवर्नमेंट को मुबारिकबाद देता हूं कि उसने बेकारी दूर करने के लिये सुप० इंजीनियर की सख्या बढ़ाई। क्योंकि बिजली तो अभी बढ़ी नहीं है, अभी तो १ करोड़ ८७ लाख की योजना ही है। और मालूम यह होता है कि हमारे यहां योजना के अनुसार ही सुप० इंजीनियर्स की संख्या बढ़ाई जाती है। मैं अब केवल उनसे इतना ही कहूंगा कि वे ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को फिर से पढ़ने की कृपा करें। जितना उलाहना ऐस्टीमेट्स कमेटी ने दिया उसके लिये मुझे खेद है कि सरकार ने बाकायदा उसके सम्बन्ध में बयान क्यों नहीं दिया। सरकार को यह बताना चाहिये था कि वह एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशों में किसको मानती है और किसको नहीं मानती। यह तो वह करती नहीं है और चुपचाप बजट में आंकड़े रख देती है। सदन को उसे इस बारे में सूचना करना चाहिये। हम अपने विरोधी दल की तरफ से एक निश्चय लेना चाहते हैं कि ऐस्टीमेट्स कमेटी की बातों की सरकार ने अवहेलना की है और उस के लिये उसको कोई कार्यवाही करना चाहिये।

परिपूर्णानन्द जी ने यह भी कहा कि केसा के सम्बन्ध में मैंने जो १५ हजार किलोवाट बिजली की बात कही थी वह गलत है। मैंने यह कहा था कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान के अनुसार १५ हजार किलोवाट का प्लांट लगाने की बात तय पायी थी। बिलकुल मन्जूर थी योजना, उसको ड्राप कर दिया गया। पिछले समय श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी जी ने, जो कानपूर से आते हैं उन्होने इसी सदन में कहा था और आज भी वें इस सदन में मौजूद हैं, उन्होने कहा था कानपूर में बिजली मिलने में आज लोगों को शिकायत है और लोगों को दिक्कत है। इसका स्पष्टीकरण आज भी वे दे सक्ते हैं।

एक सदस्य— (यह साल भर पहले की बात है।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप दूसरे तरीके से गर्दन हिला रहे हैं और वे दूसरे तरीके से गर्दन हिला रहे हैं। श्रीमन्, मै चाहता हूं कि माननीय अवस्थी जी मौजूद है वे अगर चाहें तो अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में श्री परिपूर्णानन्द जी की जानकारी के लिये फाइव इयर प्लान की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के पेज १३३ में पढ देता हूं।

"The Kanpur Electric Supply Administration have now dropped their scheme under the plan of adding a second 15000 k. w. set to their power station."

यानी कानपूर एलेकट्रिक कम्पनीं की योजना के अन्तर्गत जो १५ हजार किलोवाट का एक नया प्लांट बढाने की स्कीम थी, अपने पावर स्टेशन के लिये उसको ड्राप कर दिया है। अब अन्त में मै फिर माननीय मंत्री जी से कहूगा कि वे विद्युत विभाग और सिचाई विभाग दोनों को अपने हांथ में लेलें। जब रिहांड डाम के लिये बोल रहे थे तो उन्होने कहा था कि रिहांड डाम से केवल पावर हाउस बनेगें नहरें नहीं बनेगी लेकिन ट्यूबवेल्स बनवायेंगे। ट्यूब वेल्स बनाने का काम तो सिचाई विभाग का है लेकिन अब पावर विभाग भी टूववेल्स बनवाने लगा। यह बात आज मालूम हुई। सीधी सादी बात यह है कि पावर डिपार्टमेंट और इरीगेशन डिपार्टमेंट को माननीय मत्री जी

अपने इस चार्ज में लें ले। दोनों एक मिनिस्टर के अंडर रहें एक चीफ इंजीनियर रहे। इस तरह से विभागों का कोआर्डिनेशन नहीं रह सकता कि इरीगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से और इलक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मकान बनवाता है इरीगेशन डिपार्टमेंट। मकान बनवाने का काम पी० डब्लू० डी० का है लेकिन मकान बनवाता है इरीगेशन डिपार्टमेंट। यह परस्पर सहयोग की कमी का नमूना है।

श्री सुल्तान आलम साहब को एक गलतफहमी हो गयी मुहम्मदपुर पावर हाउस के बारे में। इसका स्पष्टीकरण हमारे सामने पहले भी आया है। हमारा कहना यह है कि आज जितनी मांग बिजली की है उसको पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे ? माननीय हाफ़िज जी ने एक साल पहले बतलाय था कि हमारे प्रयुक्त में ७ लाख किलोवाट बिजली है। अब देखना यह है कि ७ लाख किलोवाट बिजली द्वितीय पन्चवर्षीय योजना में भी पूरी नहीं हो सकती, शायद तीसरी पंचवर्षीय योजना में जाकर वह पूरी हो सके। तो मेरा कहना यह है कि १५ साल में जाकर तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी होगी। तो हमारी जो गति है, जो नियत्रंण है उस को और अधिक तीव्र करना है। यह सब की वांछा है, सब की मनोकामना है कि इस प्रदेश में विद्युत प्रदीप से हमारे तमाम खेतों में प्रकाश पहुचे और हमारे जीवन में नये प्रकाश का संचार हो ताकि हम विद्युत का अच्छी प्रकार से उपभोग कर सकें। हम सभी को यह कामना है और मैं कह सकता हू कि विरोधी दल भी इस मानें में किसी से कम इच्छुक नही है कि हम सब लोग मिल कर विद्युत योजना को सफल बनावें। लेकिन जिस तीव्रगामी शक्ति की आवश्यकता है उस की आज हम कमी पाते हैं

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अब हाफिज जी बोल रहे हैं अगर वह अपने भाषण में सब से पहले एक बात का जवाब दे दें तो बड़ा अच्छा होगा और वह केसा के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां का जो लेबर है वह इंडस्ट्रीयल सर्वेन्ट हैं या गवर्नमेंट सरवेन्ट हैं ?

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, मैं यह अर्ज कर दूं कि केसा के मजदूर इंडस्ट्रीयल गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं। केसा के वर्कर्स का जहां तक ताल्लुक है मैं उनको बहुत अजीज समझता हूं और उन की जरूरत और तकलीफ को मैं नजरअन्दाज नहीं करना चाहता। यह जो बातें कही गई और एक खत भी जो मैं ने देखा, वह था और उन की कुछ मांगें थीं और उस पर मैंने उन को बुलाकर उनसे पूरी गुफ्तगू भी की थी और उसको समझा था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब के इत्तफाक के साथ उन को उस वक्त मंजूर कर देना नहीं हो सकता था मगर मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि कोई मांग हो या न हो, कोई मुतालबा आये या न आये अगर बात माकूल है उस को मानना चाहिये और हमसे उसको मनवाना चाहिये। जो साहब केसा से इन्टरेस्टेड हैं वह मांगो को अलग रखें, लेकिन जो बातें जरूरी हैं और होनी चाहिये उनके बारे में वह मुझ से सलाह कर लें, उनकी मेरी गफ्तगू हो, वह मुझसे कहें मैं उनकी सुनूं वह हमारी दिक्कतों को समझें और समझने समझाने से हम किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं किसी के खिलाफ दरवाजा बन्द नहीं करता और हर शख्श को हमेशा बराबर मौका देने को तैयार हूं कि वह मुझ से बात कर ले। इसके अलावा मैं केसा के बारे में ज्यादा न कहूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह केसा में कैसा हो गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह केसा में वैसा हो गया जैसा आप के ख्याल में नहीं आ सकता। यह बात बहुत पुरानी है जो कि हर साल कही जाती है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बनना चाहिये और यही चीज हर साल दोहराई जाती है और मैं भी पिछले सालों में उस के बारे में बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूं, और जब मेरी पुरानी तकरीरों की दुहाई यहां दी जाती है तो मेहरबानी करके इस मसले पर वह मेरी पुरानी तकरीरों को भी देख लें कि मैंने क्या कहा था, वह सब उसी में वहीं लिखा उन को मिल सकता है। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि यह मामला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरम्यान चल रहा है, और चुनाचे अभी डेढ़ महीना हुआ वहां एक कांफ्रेंस इस मसले पर हुयी थी और वहां जो बातें तय हुयी हैं उनके मुताबिक तमाम स्टेट्स में अमलदरामद होगा और वहां के मिनिस्टर जो हिदायतें स्टेट्स को भेजेंगे उन्हीं के मुताबिक सब जगह काम होगा। यह बोर्ड अभी तक यू० पी०, बम्बई, मदरास वगैरा में भी नहीं बना है और उसके कुछ वजूह हैं और अब अगर सेंट्रल वाले बनवायेंगे तो वह बनेंगे तो जरूर लेकिन जो फायदा बोर्डस के बनने से आपकी नजर में है उस फायदे के लिये वह बोर्ड नहीं बनते। बोर्ड का काम और जरूरत दूसरी है, जिस वजह को यहां एमफेसाइज किया जाता है कि बोर्ड बनें वह उस वजह से नहीं बनते हैं।

जहां तक एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट की बात है उस पर हमने ऐक्शन नहीं लिया, उसको मैंने बजात खुद चेयरमैन साहब या प्रेसीडेंट साहब, जो उस कमेटी के हैं, उनकी खिदमत में पेश किया था और अगर कोई सदस्य उसे देखना चाहें तो देख लें और कमेटी अगर उसको देखना चाहे तो देख ले और उसके मुताल्लिक जो कुछ हमको बतलाना चाहे वह बतला दे। उसको मेरे ख्याल में कई महीने हो गये लेकिन इस वक्त तक कोई जवाब वहां से नहीं मिला। न वहां से वह लौट कर आया। तो हमने जो ऐक्शन उस पर लेना था लिया। एस्टीमेट्स कमेटी की निस्बत में अर्ज करूंगा कि हम उसको बड़ी काबिले इज्जत चीज समझते हैं, वह हमारे हाउस की कमेटी है और वह हमारे काम की जांच करने के लिये बनी है और हमको उसकी सिफारिशों की तरफ ध्यान देना चाहिये वह बहुत जरूरी है।

यह कहा गया कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर्स की तादाद बढ़ाई गयी है। आज इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बलिया से लेकर सहारनपुर तक जितने हिस्से हिन्दुस्तान के हैं उसमें हर जगह के ऊपर बिजली का काम हो रहा है। अब यह कहा जाय कि स्टाफ तो उतना ही रहे और काम जो हो वह सब का सब बढ़ता चला जाय तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे किया जा सकता है? यह कभी नहीं हो सकता। स्टाफ का बढ़ना जरूरी है और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स का बढ़ना जरूरी है।

एक बात की चर्चा नहीं हुई लेकिन मैं उसको कहता हूं। सीतापुर के मुताल्लिक मैं यहां पहले बतला चुका हूं कि एक बड़ी दिक्कत जो सन् १९४२ में गवर्नमेंट थी उसके इन्तजाम की वजह से हुई, वह आती रही थी और मुकदमेबाजी हाईकोर्ट वगैरः सब कुछ हो रहा था। अभी चन्द महीने हुये, वह मुकदमेबाजी खत्म हुयी और उसके बाद हमने यह तजवीज किया कि वहां एक पावर हाउस और बने। पहले एक कम्पनी का पावर हाउस बना हुआ था लेकिन उसके बाद हमने वहां हाइडेल का पावर हाउस बनाया। उसके लाइसेंस की मियाद खत्म हो रही थी और वह अब खत्म भी हो गयी। तो हमने चाहा कि वह खत्म हो कर वहां एलेक्ट्रीफाई कर दें, लेकिन वह न हो सका। इसलिये कि चन्द भाई जो वहां से लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं उन्होंने कुछ बातें और उसके मुताल्लिक कहीं जिनपर गौर करना जरूरी है। जब वह बातें खत्म हो जायं तब वहां का मामला तैयार हो। उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

इसके बाद हमारे दोस्त तिवारी जी को ताज्जुब हुआ कि परिपूर्णानन्द जी ने यह कह दिया कि रामपुर इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं हैं बल्कि वह ग्रिड एरिया का जुज है। उन्होंने एस्टीमेट्स कमेटी से पढ़कर सुनाया कि वह इंडिपेंडेंट यूनिट है। वह भी सही है और यह भी सही है, दोनों बातें सही हैं। वह इस माने में अकेला है कि जितने पावर हाउसेज हमारे बने हुये हैं

ग्रिड एरिया के अन्दर वह इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। लेकिन वह हमारे पास अब आया है। जो पहले से बने हुये हैं वह तो इन्टरलिंक्ड है लेकिन यह इन्टरलिंक्ड नहीं है। लेकिन इन्तजाम के मामले में वह ग्रिड एरिया में है और ग्रिड एरिया के मातहत है और सारा काम उसी के ऊपर, और सारा हिसाब किताब उसी के अन्दर होता है। लिहाजा जिस माने में वह अलग समझते हैं जैसा कि प्रोफार्मा एकाउन्ट वगैरः, उस माने में वह अलग नहीं है। एक जुज है, इसलिये उसका सारा हिसाब किताब उसी के अन्दर आ जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—और आजमगढ़ का ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगर कहीं एक चिराग जलता हो तो उस चिराग का अलग अलग हिसाब बतलाया जाय यह तो मुमकिन नहीं है और फिर वह खत्म भी हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने मऊ का जिक्र किया था कि मऊ में हमने जो पावर स्टेशन बनाया है उससे आजमगढ़ भी एलेक्ट्रिफाइड होगा। तो यह ठीक है। अब वह पावर स्टेशन डिस्कंटीन्यू हो जायगा उस बेचारे को कोई पूछने वाला नहीं है ताकि हिसाब की जरूरत पैदा हो, न कोई हिसाब गलत किस्म का हो सकता है।

एक बात रेट्स की बाबत कही गयी। मैं कई बार कह चुका हूं समझाने के तौर पर कि रेट्स की निस्बत यह तवक्को करना कि वे सब जगहों पर एक हों, नहीं हो सकते हैं। यह तो तभी हो सकता है जब तमाम सप्लाई तमाम जगहों पर एक ही के हाथ में होती। लेकिन पहले से ही यहां ऐसा इन्तजाम है कि इलाहाबाद का इन्तजाम अलग है, लखनऊ का अलग है, बनारस का अलग है, आगरे का अलग है, बरेली का अलग है, मुरादाबाद का अलग है, सहारनपुर का अलग है। ग्रिड एरिया जितना है उसमें हम जनरेट करते हैं बिजली। हमारा जनरेशन जो है उसकी कीमत बिलकुल एक है सब जगह, लेकिन वहां पहले जमाने से जो लाइसेंसीज चले आ रहे हैं मार्टिन एंड कं० उनके हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रिब्यूटर जो होगा वह अपनी कीमत पर बिजली बेचेगा क्योंकि उसे और भी खर्चा करना होता है। वह खर्चा जगह जगह के हिसाब से मुखतलिफ होगा। जहां थोड़ा काम होगा वहां कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वहां पर बिजली की कीमत ज्यादा होगी और जहां कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होगा काम ज्यादा होने की वजह से, वहां बिजली की कीमत कम होगी यह फर्क नहीं मिट सकता। लेकिन जनता के बर्दाश्त के काबिल न होने की जो बात है उसके लिये कानून बन गया है। सेंट्रल ऐक्ट बना हुआ है कि किसी बिजली कम्पनी को, बिजली के काम करने वाले को ५ फीसदी से ज्यादा मुनाफा न होने देना चाहिये। उसके लिये हर बिजली कम्पनी के हिसाब की जांच होती है। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स हैं। सालाना हिसाब आता है जिसकी जांच होती है और यह देखा जाता है कि उनको जो बचत होती है वह हिसाब से ५ फीसदी से ज्यादा है या नहीं ? अगर ५ फीसदी से ज्यादा होती है तो उसकी पकड़ हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि जिस कानून का मैंने जिक्र किया उसके मुताबिक गवर्नमेंट रेट फिक्स नहीं कर सकती, उसको इसका अख्तियार नहीं है बल्कि एक रेटिंग कमेटी बना दी गयी है। उसमें एक्सपर्ट होते हैं। उस रेटिंग कमेटी के सुपुर्द यह काम होता है कि वह वहां के हिसाब किताब को देख कर यह तय करे कि फलां जगह पर बिजली की कीमत क्या होनी चाहिये ? तो हमने रेटिंग की कमेटी बैठा रक्खी है। कई जगह का काम उसने किया है और अब भी हो रहा है। उस कमेटी के लिये अदर टैक्स एंड ड्यूटीज में ग्रांट नं० ८ के मातहत रुपया भी रख छोड़ा है। रेटिंग कमेटी से हम बराबर काम लेते रहे हैं कि कहां पर रेट ठीक हैं कहां पर ठीक नहीं हैं। इस हिसाब से जांच वह कमेटी करती है। आफिसरान की अदलाबदली की जरूरत होती है तो यह काम भी यही रेटिंग कमेटी करती है।

[श्री हफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सोशलिज्म का जहां तक ताल्लुक है, इत्तिफाक से सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी की बात हमारी तरफ से कही गयी। सोशलिस्ट लोग ही इसका मजाक उड़ायें तो ये कैसे सोशलिस्ट हैं? जगह हो तो जोड़ दिया और जगह न हो तो जोड़ दिया सोशलिज्म. सोशलिज्म, सोशलिज्म। आखिर सोशलिस्टिक पेटर्न है क्या? यह सोशलिस्टिक पेटर्न नहीं है तो क्या है? सन् ४६ से लेकर अब तक जो बिजली जनरेट हुयी वह किस की है? एक आध जगह अगर पुराने जमाने के लोग हैं तो यह कहा जाय कि जितने बूढ़े हैं उनको कत्ल करके नये बच्चों और जवानों को कायम रक्खा जाय तब नारायणदत्त तिवारी जी की निगाह में सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी होगा। वर्ना सोशलिज्म होता चला जा रहा है, अपने पैसे के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से काम करते चले जा रहे हैं और खर्च करते जाते हैं, लेकिन उनको सोशलिस्टक पेटर्न नजर ही नहीं आता! तो फिर सोशलिस्टिक पेटर्न किस चीज का नाम है? उसे करने में एतराज किसको है। हम तो कर ही रहे हैं उसको।

मऊ के एक मेरे दोस्त खड़े हुये थे। उन्हें शायद मालूम नहीं कि अभी ७,८ रोज हुये मैं मऊ गया था और मैं एक घंटा वहां ठहर. मऊ में। वहां किसी को खबर नहीं। उस पावर स्टेशन पर मैं गया जो बना है जिसका वह हवाला दे रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ साहबान को खबर हो गयी, वह भी वहां आ गये। उनसे मैं कह आया। उनके चेयरमैन साहब वहां आये थे उन से मैं कह आया था कि हम मऊ में इस पावर स्टेशन से इस साल बिजली लगवा देंगे। मैं तो इसको कह चुका हूं। मुझे नहीं मालूम कि उनको क्यों इसकी खबर नहीं हुयी। मऊ के टाउन में जब पावर स्टेशन बना हुआ है तो वहां बिजली लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है तो मऊ शहर में मैं बिजली लगवा दूंगा इधर उधर भी कुछ जगहें हैं उनमें भी बिजली लगवाऊंगा।

एक सदस्य—धन्यवाद।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे दोस्त रावत जी शिकायत कर रहे थे और उधर से भी मेरे दोस्त फरमा रहे थे गढ़वाल की बाबत।

श्री गंगाधर मैठाणी—आपकी स्पीच की बाबत अर्ज कर रहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरी स्पीच तो गलत पढ़ ली। जो सही है वह मैं सुनाये देता हूं। बात यह है कि सन् ४६ से लेकर सन् १९५३ तक मैंने बराबर यह तहकीकात कराई है गढ़वाल के मुताल्लिक कि वहां पर कहां-कहां से पानी से बिजली निकल सकती है सिवा नयार डैम के? एक नयार डैम गढ़वाल में है उसकी स्कीम को मैं बतला चुका हूं कि किन वजूहात से उसको हाथ में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन और मैंने तलाश करायी। कहीं पता नहीं चला। या तो यह हो सकता है कि इंजीनियर वहां घर पर बैठे रहे, लेकिन मैंने वहां पर एक डिवीजन मुस्तकिल रिसर्च के इस बात को रखा कई बरस तक कि यह पता लगा कर बतलावे कि कहां पर, किस जगह पर पानी से बिजली बन सकती है? अब तक मुझे कामयाबी नहीं हुयी। मेरे दोस्त ने मुझसे यह कहा कि फलां जगह जो है उसकी बाबत वहां के इंजीनियर गलत बतलाते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उनके साथ चलने का मैंने वायदा किया और मैं वहां जाऊंगा उसको देखने और उसके बाद मैं और किसी से पता चलाऊंगा कि वाकई आप जो कहते हैं वह ठीक है या नहीं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—आपके इंजीनियर से अलग हम वहां बना कर दिखा देंगे। आप रुपया हमें दे दें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह बात जो कही जा रही है उसको अगर मैं करने लगूं तो लोग मुझे कान पकड़ कर यहां से इस हाउस से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं वहां चलूंगा और अखिरी जवाब मैंने दिया कि अगर पानी की बिजली वहां नहीं निकल सकती तो स्टीम की बिजली का हम वहां इंतजाम कर लेंगे। स्टीम की बिजली कुछ ज्यादा कीमत की पड़ेगी लेकिन क्या किया जाय?

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४२५, २४--लेखा शीर्षक १७, ४१ और १९-ख--विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक १७,४१,६८ और ८१-क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१-क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री गंगाधर मैठाणी--सर्वे कराने के लिये पहाड़ पर भेजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं वह सब सर्वे निकाल कर आपको दिखला सकता हूं कि वह कहां कहां हुये हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसानी यह है कि इस सब झगड़े को छोड़कर वहां स्टीम स्टेशन का इंतजाम कर लिया जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी--आप वहां चलिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने वायदा कर लिया है और मैं चलूंगा। सुर्ख झंडी नजर आ गई है लेकिन मैं इसका इलाज क्या करू ?

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २४ में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक १७, ४१ और १९-ख-विद्युत योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के लिये २,१३,१६, ९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २५ (लेखा शीर्षक १७,४१,६८ और ८१-क) में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक १७,४१,६८ और ८१-क--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय, के अन्तर्गत १,०६,८५,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७-लेखा शीर्षक ८१-क-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७-(लेखा शीर्षक ८१-क) विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) के अन्तर्गत १६,४३,३५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि अनुदान सख्या ८,३६,और ४९ पहले पेश की जायं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री, आप यह तीनों अनुदान पेश कर दें केवल १० मिनट का ही समय है।

अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक १३—अन्यकर और शुल्क, अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—(लेखा शीर्षक १३–अन्य कर और शुल्क)—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय, के अन्तर्गत २९,८०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

जवाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६–(लेखा शीर्षक ५५–(बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें)—बढ़ौती भत्ते और पेंशनें, के अन्तर्गत २,२५,८३,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९–लेखा शीर्षक ८३–(पेंशनों की संराशि का भुगतान)—पेंशनों की संराशि, के अन्तर्गत २३,२५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

जनाबवाला, सिर्फ १० ही मिनट हैं मैं क्या कहूं। किसी साहब को कहना हो वह कह लें।

*श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सारी अनुदानों के अन्तर्गत एक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। श्रीमन्, यह सरकार टैक्स लगाने में काफी होशियार है। लेकिन जिन लोगों पर टैक्स लगता है उनके फायदे की कोई बात नहीं देखती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एन्टरटेनमेंट टैक्स वाला मामला ले लीजिये। जो लोग सिनेमा या थियेटर देखने जाते हैं उनको एन्टरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सरकार यह नहीं सोचती कि कुछ ऐसी कार्यवाही भी की जाय जिससे उन लोगों की परेशानी दूर हो। आप देखेंगे कि जहां सिनेमा के टिकट बंटते हैं। वहां तमाम भीड़ होती है जाकर जबरदस्ती टिकट ले आते हैं और बाहर आकर ज्यादा दाम पर टिकट बेचते हैं लेकिन सरकार का कोई आदमी भी देख रेख करने की तैयार नहीं है जिससे बहुत परेशानी होती है। हां अधिकारी लोग जो हैं उनको कमप्लीमेंट्री पास जो है वह मिल जाय।

दूसरी चीज बिक्री कर विभाग है। यहां से बिहार में बिक्री कर कम है वहां कपड़ा सस्ता है, हमारे यहां के तमाम लोग बिहार से कपड़ा स्मगल करके ले आते हैं और उसको दूसरे दूसरे नाम से बेचते हैं और सेल्स टैक्स चुराते हैं, कोई भी सेल्स टैक्स आफ़िसर देख भाल करने वाला नहीं है।

तीसरी चीज इलेक्ट्रिक विभाग की जो जांच करने वाले लोग हैं वह यह नहीं देखते कि दरअस्ल जो कम्पनियां हैं वह कन्ज्यूमर्स को किस तरह से परेशान करती हैं। और कम्पनियां भी धांधली करती हैं, और सरकारी कम्पनियां तो धांधली करती ही हैं। मैं बताऊं मिसाल के तौर पर कि काशीपुर में बिजली का मिनिमम चार्ज १५ रुपया है और उसी पावर हाउस से रामनगर में जो बिजली जाती है वहां पर साढ़े पांच रुपया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसमें बिजली का कोई अनुदान नहीं है। यह ५ और १५ इसमें नहीं आता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं यह कह रहा हूं कि आपके इंस्पेक्टर लोग जिनके लिये आपने अनुदान मांगा है, वह क्यों नहीं इन चीजों को देखते। इंस्पेक्टरों की बात मैं कर रहा हूं कि वह क्या करते हैं? उनको यह देखना चाहिये। इस तरह से दो तरह के रेट्स क्यों होते हैं? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी वह ध्यान देने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें समय ज्यादा नहीं है। माननीय मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह इन्होंने जो फर्क बतलाया, वह मैं देख लूंगा। वैसे मेरे नजदीक ऐसा होगा नहीं। कुछ गलतफहमी है इसमें। या अगर होगा तो उसकी कोई माकूल वजह होगी। लेकिन मैं देख लूंगा। वैसे यह बिजली डिपार्टमेंट के पास नहीं था, वह था उनके पास जो कि कालोनाइजेशन का विभाग था, उनके पास था, वह बिजली का इन्तजाम ही बिल्कुल अलग से था। अब वह शायद देने को कह रहे हैं। मगर मैं वहां का देख लूंगा यह जो बात आपने बतलायी, उसके बाबत।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं अपना कटौतियों का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौतियों का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८रु--अन्यकर और शुल्क के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १३--अन्यकर और शुल्क) के अन्तर्गत २९,८०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें (लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें) के अन्तर्गत २,२५,८३,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या ४९--पेंशनों की सराशि (लेखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत २३,२५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अन्तर्गत १४,९६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। इसमें शायद २० मिनट का वक्त है। अगर कोई साहब कुछ कहना चाहते होंगे तो उसको सुनकर मैं बाद में जवाब दे दूंगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक--१८ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्रीमन्, प्रस्तुत बजट में रुड़की यूनिवर्सिटी के हेतु १४ लाख ९६ हजार ४ सौ रुपये की मांग की गई है। श्रीमन्, मैं तो यह चाहता था कि रुड़की यूनिवर्सिटी का बजट हमारे इस वजट का अंग ही न बने, बल्कि यूनिवर्सिटी को ही इस बात का पूरा अधिकार दिया जाय कि वह जैसे कि अपना बजट बनाती है, केवल हमारे शिक्षा विभाग या इंजीनियरिंग विभाग की मद में से जिस प्रकार हम ग्रांट देते हैं यूनिवर्सिटीज को, उसी प्रकार एक लम्पसम दे दें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बजाय इसके कि उसका एक अलग अनुदान हो, क्यों कि रुड़की यूनिवर्सिटी अपने ढंग की एक मात्र इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और हम उसको एक माडर्न यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के संबंध में बनाना चाहते हैं और वह बहुत कुछ मानों में ऐसी है भी। लेकिन जो रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट है वह एक प्रकार से बिल्कुल वहां की यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी को छीन लेता है। मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट को पढ़ने की कोशिश की। मैंने यह देखा कि यह एक ऐसा ऐक्ट है जिस में ऑटोनोमी का लेशमात्र ढूंढे से भी मिलना मुश्किल है। और जितने यूनिवर्सिटी ऐक्ट बने हैं इस सदन में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट आदि, उनके और राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों के बिल्कुल खिलाफ रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट पड़ता है। मैं नहीं जानता कि यह ऐक्ट हाल में संशोधित हुआ है या नहीं, लेकिन जैसा यहां पास हुआ उसके अनुसार वहां चांसलर को सरकार नामिनेट करती है। इसके अलावा चांसलर महोदय वाइस-चांसलर को नॉमिनेट करते हैं। उस वाइस-चांसलर की सिफारिश कौन करते हैं? एक तो रेजीडेंट इंजीनियर इंस्टीट्यूट के, और दो सरकार के नामजद सदस्य। सिंडिकेट में, जो एग्जिक्यूटिव कौंसिल कहलाती है यूनिवर्सिटी की, उसमें ७ व्यक्ति सरकार के नामजद हैं। तो मैं इस अनुदान के संबंध में सरकार से यह मांग करूंगा कि अगर सरकार राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों को लागू करके यूनिवर्सिटीज को आटोनोमस, स्वायत्तशासन संबंधी अधिकार देना चाहती है तो वह समय आ गया है कि रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट को बदला जाय। और भी न हो तो कम से कम जिस प्रकार से इलाहाबाद या लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में टीचिंग और रेजीडेंशयल यूनिवर्सिटी का ढांचा बनाया गया है उसी प्रकार रुड़की यूनिवर्सिटी को भी एक टीचिंग और रेजीडेंशयल करैक्टर और यूनिटरी करैक्टर दिया जाय और उसको आटोनोमी प्रदान की जाय। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आज तक रुड़की के स्नातकों ने, वहां के विश्वविद्यालय ने न मालूम क्या कारण है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया? लेकिन कम से कम इस सदन में हम सब लोगों का फर्ज है कि हम यूनिवर्सिटियों के अधिकारों की रक्षा करें। मैं यह नहीं कहता कि सरकार का कोई ऐसा मंशा है कि वह जबरदस्ती यूनिवर्सिटी में दखल रखना चाहती है। पर ऐसा हम विधान ही क्यों बनायें जिससे किसी को यह कहने की गुंजाइश रहे कि यह यूनिवर्सिटी की आटोनोमी के खिलाफ है। आप दखल चाहे न देते हों, लेकिन आप ऐसा विधान न बनायें। आज सरकार चाहे न करती हो, कल को आने वाली दूसरी सरकार कर सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि वह इस प्रकार की घोषणा करेंगे कि वह रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट को बदल देंगे और जैसे दूसरी यूनिवर्सिटियों को अधिकार मिले हुये हैं कम से कम वह रुड़की यूनिवर्सिटी को भी प्रदान करेंगे और रुड़की को भी अपनी सिंडीकेट, अपनी सीनेट अपनी वाइस-चांसलर को चुनने का अधिकार मिलेगा। और वाइस-चांसलर को पेनल के द्वारा चुनने का तरीका बदलेगा। साथ ही जो यूनिवर्सिटी का पिछला इतिहास है जिसमें डा० हार्ट जैसे लोगों को, जो बाहर से आये थे उनको जाना पड़ा, वह भी बदलेगा। वहां की हालत भी सुधरेगी। हमें इससे एतराज नहीं है कि कितना रुपया दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह भी कम रुपया है। हमारे देश को ओवरसियरों की, इंजीनियर्स की बहुत आवश्यकता है। जितना मुल्क का विकास बढ़ता जायगा उतना ही टेक्नीकल लोगों की अधिक आवश्यकता होगी। तो हम इसमें एक रुपये की कटौती क्या हम तो सरकार से कहते हैं कि १० लाख, २० लाख रुपया इसमें और दें और एक दूसरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यहां कायम करें, लेकिन .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव तो पेश नहीं किया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—किया है। वह मैंने इसलिये किया है कि मैं यूनिवर्सिटी आटोनोमी की रक्षा के लिये इस ऐक्ट को संशोधित करने के लिये सरकार को प्रेरित कर सकूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो हेवेट इंजीनियरिंग स्कूल और हीवेट इंजीनियरिंग कालिज है, जहां पर ओवरसियर्स शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि लखनऊ में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या कालेज खोला जाय और कम से कम आजकल जो हीवेट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं इन दोनों को एक में मिला दिया जाय। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इनका रुड़की युनिवर्सिटी से संबंध है और वहीं से इनके इम्तहान भी होते हैं। इनको रुड़की विश्वविद्यालय का अंग तो बनाया नहीं जा सकता है लेकिन इनको एक में मिलाकर टैक्नीकल कालेज कर दिया जाय जिससे आजकल ओवरसियर्स की बढ़ती हुई मांग पूरी हो सके। अब गवर्नमेंट के तमाम विभागों में, जैसे इलेक्ट्रीसिटी डिपार्टमेंट में, पी० डब्ल्यू० डी० में तथा सिंचाई विभाग में सब जगह ओवरसियर्स की बहुत ज्यादा मांग हो रही है। लड़के यहां पढ़ने के लिये आते हैं लेकिन वह भरती नहीं हो पाते हैं। यह बात माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। समय बहुत थोड़ा है इसलिये मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट को बदला जाय और लखनऊ तथा इस प्रदेश के अन्य जिलों में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की व्यवस्था हो जिससे टैक्नीकल लोगों की यादा ट्रेनिंग हो सके और हमारे प्रदेश को टैक्नीकल आदमी प्राप्त हो सकें।

(कुछ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब समय नहीं रहा है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं केवल दो मिनट चहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--श्री दीनदयालु शास्त्री जी को मैं ५ मिनट दे सकता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--श्रीमन्, मैं अपने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत रुड़की विश्वविद्यालय के अनुदान का समर्थन करता हूं। यह रुड़की के लिये सौभाग्य की बात है कि पिछले ९-१० वर्षों से इस कालेज का और अब इस विश्वविद्यालय का इंतजाम मुख्यतः माननीय वित्त मंत्री जी के हाथों में है। हमने वह दिन देखे हैं जब वह कालेज की शक्ल में था और अब विश्वविद्यालय की शक्ल में है। तो इस रूपान्तर का अधिक श्रेय हम वित्त मंत्री जी को दे सकते हैं। मेरे से पहले वक्ता ने जो बात कही है उनमें से बहु त सी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि टैक्नीकल कालिज के लिये आटोनोमीटी की इतनी जरूरत नहीं है जितनी वह आशा रखते हैं। वैसे रुड़की यूनिवर्सिटी एक टीचिंग यूनिवर्सिटी है और रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है।

इसके साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दो एक बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। जब यह यूनिवर्सिटी बनी और पहले अंग्रेज वायस-चांसलर आये तो उनके समय में अच्छी हालत नहीं रही और पढ़ाई में कमजोरी आई और अनुशासन में भी कमजोरी आई। लेकिन उनके चले जाने से उसमें परिवर्तन हुये हैं और सुधार हुये हैं। मेरा विचार यह है क्योंकि मैं वहीं इसके पास ही रहता हूं कि अभी और ज्यादा ध्यान अनुशासन और पढ़ाई की ओर देने की बहुत जरूरत है। आप देखेंगे कि रुड़की यूनिवर्सिटी में जो लड़का लिया जाता है वह खूब ठोक बजाकर लिया जाता है। चाहे वह किसी भी स्कूल या कालेज से आया हो और चाहे कोई फर्स्ट डिवीजन हो या सैकिंड डिवीजन हो, सबका इम्तहान होता है और जब वह इम्तहान पास कर लेता है तभी लिया जाता है। इस कम्पटीशन में आने के बाद सात आठ साल पहले जो लड़के वहां पढ़ते थे वह शत प्रतिशत पास होते थे, लेकिन अब या तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिर गया है या लड़के पढ़ते नहीं हैं या फिर पढ़ाने वालों में ही कोई कमजोरी आ गई है कि इधर फेल होने वाले लड़कों की संख्या बढ़ने लगी है। मेरी इतिला यह है कि इसके परिणामस्वरूप एक लड़के ने आत्म हत्या कर ली थी। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि इसका स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिये और इसको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि रुड़की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत ही मंहगी है। यहां के विद्यार्थियों के लिये जो खाने पीने की व्यवस्था है वह इतनी मंहगी है कि आम तबके के विद्यार्थी नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हरिजनों को सुविधा दी जाय। मैं यह भी तो नहीं कह सकता कि टैक्नीकल ऐजुकेशन के लिये किस ढंग से सुविधा मिलनी चाहिये, लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि जो विद्यार्थी हैं उनको ऐसा अवसर जरूर होना चाहियें कि इतनी महंगी शिक्षा प्राप्त करने में जो असमर्थ हैं, उनको सुविधा मिले और यहां की पढ़ाई सस्ती की जाय। यहां पर अकेले खाने में ८०-९० रुपये माहवार खर्च हो जाते हैं और इसके अलावा पोशाक नियत है और वह किसी खास दरजी से ही सिलानी पड़ती है। इसमें बहुत खर्चा पड़ता है। मैं यह चाहता हूं कि वह दिन अंग्रेजी शासन के साथ समाप्त होने चाहिये थे जो पहिले रुड़की कालेज में थे। अब तो वह रुड़की यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान की सब से बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और उसको सोशलिस्टिक विचारों के साथ चलाना है, तो वहां की पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिये, वहां की वेशभूषा में यह साहबीपन और दूसरी तरह से जो मंहगाई की तरफ ध्यान दिया जाता है उसमें कमी होनी चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ओवरसियर और इंजीनियर और इंजीनियरिंग क्लास में बहुत भेद है और वह भेद जब तक बना रहेगा तब तक इंजीनियर आम जनता में नहीं जा सकते हैं, और जब तक वह आम जनता में नहीं जा सकते हैं तो अपने विभाग का काम जनता के लाभ के लिये अधिक नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरसियरों का जो दाखिला होता है उसमें बहुत कम तादाद में लड़के दाखिल होते हैं। कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि उनकी संख्या को बढाया जा सके। पं० जवाहर लाल ने कहा था कि मुझे १० हजार ओवरसियर चाहिये, मैं उनको आज खपा सकता हूं। ओवरसियरों की पढ़ाई में खर्चा भी बहुत होता है। तो फिर हम अपने प्रधान मंत्री की इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं? इन सुझावों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण—श्रीमन्, यह इतना अहम विषय है कि मुझे आपने इसके लिये जो समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह निवेदन अपने माननीय मंत्री महोदय से करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी पहले वहां पर दाखिल होने के लिये जाता है तो उसको ४०० रुपया देना पड़ता है। गरीब लड़के ४०० रुपये नहीं दे सकते हैं। वह कंपीटीशन में बैठे और उसके सेलेक्शन में भी आये लेकिन पैसा न होने की वजह से वह डा० सीताराम जी के दरवाजे पर मारे-मारे फिरते हैं कहीं हरिजन सहायक विभाग के दरवाजे पर जाते हैं मगर कहीं भी उस लड़के को रुपया नहीं मिलता है वह कहीं से भी ४०० रुपये का प्रबन्ध नहीं कर सकता। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिबन्ध को वहां से हटाने की कृपा करें जिससे गरीब लड़कों को भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ से जो लड़का एक साल की ट्रेनिंग पाकर आता है तो उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन रुड़की से जो दो साल की ट्रेनिंग लेकर निकलता है वह नौकरी के लिये इधर-उधर चक्कर मारता है। उनका रहने सहने का ऐसा स्तर हो जाता है जिससे उनको बड़ी कठिनाई होती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके बारे में यह इन्तजाम किया जाय कि वहां पर लड़के हाई थिंकिंग और सिम्पिल लिविंग को मान सकें। सादा जीवन और उच्च विचार हमारे यहां सदा से माना गया है और वही प्रत्येक का होना चाहिये। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि देश की गरीबी मिटाने की कोशिश करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी दयनीय दशा को देखते हुये रुड़की यूनिवर्सिटी से इन दोनों बातों को वहां से हटा दें ताकि गरीब लोगों के बच्चे वहां पर शिक्षा पा सकें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो बात शास्त्री जी ने कही वह सही है और आपने जो बात फरमाई वह भी सही है। दोनों साहबान की बात सही है। यह बात शास्त्री जी ने कही कि वहां पर नये वाइस चांसलर साहब हो गये हैं। वह वाइस चांसलर बहुत मशहूर और काबिल आदमी हैं। जहां तक इस यूनिवर्सिटी के ऐक्ट का ताल्लुक है मैंने उनसे अर्ज कर दिया है कि उसको देख लिया जाय और जो भी मुनासिब तरमीम हो सकती हों और उनका करना जरूरी हो तो वह किया जाय।

जहां तक खर्च का ताल्लुक है मैंने इसके मुताल्लिक भी वाइस-चांसलर साहब से अर्ज किया था कि यह खर्चा बहुत है। लिहाजा ऐसी कोई तरकीब की जाय जिससे खर्चा कम हो सके और ज्यादा आदमी वहां पर पढ़ सकें और गरीब आदमी को भी वहां पर तालीम पाने का मौका हो। उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया है। मैं यकीन रखता हूं कि वह इस पर गौर करेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं कह सकूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने हमें यह आश्वासन दे दिया है कि रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अमेंड होने की गुंजाइश है और किया जायगा। मैं उनके इस आश्वासन पर अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापिस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अन्तर्गत १४,९६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)]

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक-त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम)--जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक-त-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण--के अन्तर्गत ११,७७,५६,००० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

जनाबवाला, मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि इस बजट में ११ करोड़ रुपया इसलिये रक्खा गया है कि वह लोकल बाडीज के जरिये से डेवलपमेंट के काम पर खर्च हो, उसके लिये यह अनुदान है और इसी रुपये की यह मांग है। इसकी तफसील बजट में दी हुई है। जो-जो रकमें खर्च होंगी और जिस-जिस किस्म के करजे उसके लिये जायेंगे उनको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनुदान को यह हाउस इसलिये पास करेगा कि यह रुपया बहुत ही उम्दा काम में खर्च होने वाला है और उन मुकामी बोर्ड्स के जरिये से खर्च होने वाला है जो हमारी तरक्की के न्यूक्लियस हैं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ५१ के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं। श्रीमन्, इस अनुदान द्वारा वित्त मंत्री जी ने ११,७७,५६,००० रुपये की मांग की है। जो मांग की है उसका मुख्य कारण मैं यह समझता हूं कि सरकार की यह मंशा है कि कम सूद पर कर्जा देकर संस्थाओं को, व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाया जाय और सूद खोर जो बेजा मुनाफा कमा कर अधिक पैसा इकट्ठा कर रहे थे उनकी बेजा मुनाफाखोरी को समाप्त किया जाय तथा अर्थाभाव के कारण जो अच्छे काम बन्द हो जाते हैं उनको करने के लिये संस्थाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये सहायता दी जाय। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इन कामों में अनेक अड़चनें उपस्थित हैं और कुछ ऐसा काला धब्बा दिखाई देता है जिसके कारण दुख के साथ मुझे यह कटौती का प्रस्ताव रखना पड़ रहा है।

[श्री रामेश्वरलाल]

श्रीमन्, हमारे इस अनुदान में म्युनिसिपैलिटी के लिये काफी संख्या में पैसा रक्खा हुआ है। हमारे जिले में देवरिया की एक म्युनिसिपैलिटी है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि देवरिया जिले में भगवान बुद्ध कि निर्वाणस्थली कसया है जिसके दर्शनार्थ लोग विदेशो से आते है और वे भगवान बुद्ध की निर्वाणस्थली कसया को देवरिया होकर जाते है। देवरिया की उपयोगिता को देखते हुये सरकार ने भी उसके इम्प्रूवमेंट में काफी दिलचस्पी ली है। इस अनुदान के द्वारा वित्त मंत्री जी की यह मंशा है कि म्युनिसिपैलिटियो को अधिक से अधिक धन दिया जाय ताकि वे लोग उसके प्रबन्ध को अच्छा कर सकें और दूसरी म्युनिसिपैलिटी पडरौना में है। शायद आपको मालूम होगा कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालो के हाथ मे है और दुख होता है जब कि सरकार उनके साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट करती है। मै दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां पार साल और इस साल भी अन्य म्युनिसिपैलिटियों के अनुदानों में काफी पैसा दिया गया है वहां अब तक पडरौना को कुछ भी सहायता नहीं प्राप्त हुई है। वह दुर्व्यवहार उसके साथ इसलिये है क्योंकि वह म्युनिसिपैलिटी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालों के हाथ में है।

श्रीमन्, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये भी काफी पैसा दिया गया है। मैं नहीं कहता हूं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को काफी पैसा न दिया जाय, लेकिन मै यह अवश्य कहूंगा कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जो पैसा दिया जाता है, चाहे वह कानपुर का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो या और कही का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो, जिन लोगों को वह डिसप्लेस करे उन लोगों का अवश्य ध्यान रखे। कानपुर के बारे में मुझे मालूम हुआ है और इस सदन के माननीय सदस्य गेंदासिंह जी ने जाकर वहां की स्थिति को देखा है कि वहां के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कुछ ऐसी औरतों को डिस्प्लेस किया है जिनकी जिन्दगी आज बड़ी बुरी तरह से कट रही है। तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को लोगों को डिस्प्लेस करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। श्रीमन्, मैं लखनऊ की तरफ भी माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं इस अवसर पर कि नया गणेशगंज में एक जमीन कुछ पूंजीपतियों ने खरीदी थी। वहां भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का हाथ है। वहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जो लोग कई वर्षों से बसे हुये हैं, उनको डिस्प्लेस करना चाहता है। तो मुझे सिर्फ यह कहना है कि इन संस्थाओं को पैसा देते वक्त इसका ख्याल किया जाय कि वे डिस्प्लेस हुये व्यक्तियों का ध्यान रखें। श्रीमन्, इस अनुदान में गन्ना विकास के लिये १५ लाख, १५ हजार रुपया रखा गया है। मुझे ताज्जुब है कि यह धन बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और अब तक खर्च नहीं हुआ है? श्रीमन्, गन्ना एक ऐसा व्यवसाय है जिससे अपने प्रांत को और सरकार को भी काफी लाभ है। श्रीमन्, गन्ना विकास के लिये इस अनुदान में जो रुपया रक्खा गया है वह बहुत ही कम है और इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते है कि गन्ने का संबंध इस प्रांत के गरीब किसान और यहां के खेतीहर मजदूरों से भी है लेकिन गांव के रहने वाले बहुत सी सरकारी योजनाओं से बंचित हैं। ग्रामीणों की आर्थिक अवस्था को ऊंचा उठाने के लिये गन्ना ही कभी-कभी एक मात्र सहायक हुआ करता है। उसके लिये १५ लाख १५ हजार की जो सम्पत्ति सरकार ने विकास हेतु रक्खी है वह बहुत कम है।

जहां तक इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की बात है, उसके लिये काफी पैसा रखा गया है। मार्टिन कम्पनी के लिये ३२ लाख रुपया रखा गया है और बिजली सप्लाई कम्पनी के लिये २५ लाख रुपया। तो मैं यह कह सकता हूं जैसा कि श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि इनका समाजीकरण क्यों न हो जाय? श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस अनुदान में ग्राम सुधार के लिये १ लाख २० हजार रुपया रखा गया है और घरेलू उद्योग धन्धों के लिये २ लाख ५० हजार रुपया रखा गया है, सहकारिता के लिये १ लाख ६५ हजार रुपया रखा गया है और विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये एक लाख ५० हजार रुपया रखा गया है। बिजली कम्पनी की सहायता के लिये ३२ लाख रुपया एक कम्पनी के लिये और २५ लाख रुपया दूसरी कम्पनी के लिये रखा गया है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सर्वसिद्ध है और माननीय

वित्त मंत्री जी भी इस बात को मानेंगे कि आर्थिक विषमता का परिणाम था कि सोशलिस्टिक पैटर्न आॅफ सोसाइटी बनाने की बात बाध्य होकर सरकार को माननी पड़ी। तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रामसुधार के लिये १ लाख २० हजार और घरेलू उद्योग धंधों के लिये २ लाख ५० हजार जो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में रखा है वह बहुत ही कम है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनुदान को और अधिक बढ़ा देना चाहिये क्योंकि देश को ग्राम सुधार के साथ-साथ घरेलू उद्योग धंधों की बहुत आवश्यकता है और माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम है कि दोनों तरफ के बैठने वालों ने यह इच्छा प्रकट की है। फिर यह सदन की इच्छा है कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जाय। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें कि गृह उद्योगों तथा विद्यार्थियों को शिक्षा की सहायता के लिये भी प्रबन्ध किया जाय। जैसा कि श्री शिवनारायण जी ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो आगे शिक्षा की इच्छा रखते हैं वे पैसा नहीं रहने की वजह से अपना दाखिला नहीं करा सके। इसलिये विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये भी काफी रुपया देने की जरूरत है क्योंकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों की संख्या अपने देश में बहुत है। श्रीमन, मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एक लाख ५० हजार रुपये की व्यवस्था विद्यार्थियों के लिये की है वह बहुत कम है, उसको वे कृपा करके और बढ़ा दें। मैं चाहता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे यहां सम्पत्ति और विद्या का बटवारा दो हिस्सों में होता है, जिस के पास सम्पत्ति होती है उस के पास बुद्धि कम होती है, और जहां बुद्धि नहीं होती वहां सम्पत्ति डेरा डाले पड़ी रहती है। लेकिन जहां बुद्धि और विद्या होती है वहां पैसे का अभाव रहता है। इसलिये जिन गरीब विद्यार्थियों के पास पैसा नहीं है और जो अपना अध्ययन पैसे के कारण नहीं कर सकते हैं उनके लिये यह जो धन रखा गया है वह बहुत कम है और उसको मंत्री जी को अवश्य बढ़ाना चाहिये।

आगे चलकर आखीर में इस में एक बड़ी अजीबोगरीब मद है जो सरकारी कर्मचारियों को सवारी के लिये मोटर आदि के लिये ९ लाख २५ हजार रुपये की है। यह मद सन् ५२ में केवल २ लाख रुपये के करीब थी और वह बढ़कर ९ लाख २५ हजार हो गई है। मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन देखना यह है कि एक तरफ तो जिलों में सरकारी कर्मचारियों को दो-दो, तीन-तीन और चार-पांच तक मोटरें सरकार की तरफ से दी जाती हैं और इस तरह से उनको पैसा भी दिया जा रहा है। मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी गाड़ियां भी हैं और निजी गाड़ियां भी उन्होंने इस तरह से रुपया लेकर खरीद ली हैं, लेकिन वह सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल निजी कामों के लिये करते हैं और निजी को इस्तेमाल नहीं करते। अगर मुझे यह शंका हो तो यह अनुचित न होगा कि हमारी सरकार देश या विदेश की मोटर कम्पनियों को सहारा देने के लिये ही यह रुपया उनको देती है ताकि यह मोटरें यहां ज्यादा आवें। जो देश गरीब है, पीड़ित है, उस में इस की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह से लग्जरी के सामान सरकारी खर्च पर मंगाये जायं। मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था को सरकार को बन्द करना चाहिये। कम से कम मंत्री जी सरकारी गाड़ियां ही बन्द कर दें और नियम बना दें कि तमाम सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्ज पर गाड़ियां खरीदें।

वैज्ञानिक और टेक्निकल शिक्षा के लिये भी एक मद ५० हजार रुपये की इस में है। मुझे यह मांग देख कर तरस आता है कि जब कि देश में टेक्निकल और वैज्ञानिक शिक्षा की इतनी कमी है, और भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू चिल्लाते हैं कि बी० ए०, एम० ए० की हमें जरूरत नहीं है बल्कि हमें टेक्निकल और वैज्ञानिक आदमी चाहियें तब भी हमारी सरकार वैज्ञानिक शिक्षा के लिये केवल ५० हजार रुपया रख रही है जो अग्रऋण के रूप में विद्यार्थियों को दिया जायगा! मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह कृपा करके इस रकम को बढ़ावें।

[श्री रामश्वर लाल]

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह कर्जे का अनुदान है और हमारे देश की जनता कर्जे से बहुत पीड़ित है। हो सकता है कि "असम्बद्ध बात" कुछ लोग कहने की हिम्मत करें लेकिन मैं बताऊं कि हमारे देहातों की ७० प्रतिशत जनता आज कर्ज से लदी हुई है। मैं चाहता हूं कि सदन में सरकार एक ऐसा कानून लाये जिसके मुताबिक यह सारा कर्जा उन गरीबों का माफ किया जाय जो मंहगाई के जमाने में और उसके पहले और बाद में उनके ऊपर चढ़ गये हैं। आज जो किसान कर्जे से लदा है वह अपनी सारी खेती की कमाई साहुओं को दे देता है और जो तकावी वगैरा किसानों को दी जाती है उसका बोझ भी सरकार को उसके ऊपर से कम करना चाहिये। इसलिये ऐसे बिल का आना बहुत ही आवश्यक है कि जिससे इनका सारा कर्जा माफ हो जाय। इन शब्दों के साथ में अपनी कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने इस मद में ११ करोड़ ७७ लाख रुपया रखा है। मैं समझता हूं कि यह इतनी बड़ी रकम है कि सूबे में जो हाजतमन्द लोग हैं और जो उनकी मांग है उसको देखते हुये वह काफी रकम है और इससे हमारे प्रदेश के लोगों को काफी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन मुझे इस बात का शक है और मैं नहीं जानता कि इस बड़ी रकम में कितना भाग उन लोगों को और संस्थाओं को मिलेगा जो इसके मुस्तहक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में अधिकतर लोग गरीब हैं और वे कानूनी बातों को नहीं जानते। इसलिये उनको बड़ी दिक्कत है और खासकर अब जब कि इस प्रदेश के अन्दर कोई तबका ऐसा नहीं है जो कर्जा देवे और इस हालत में हमारे जो किसान वर्ग के लोग हैं और गरीब हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। तकावी के सिलसिले में किसानों को बड़ी दिक्कत होती है उससे इस सदन के हर एक माननीय सदस्य वाकिफ हैं। गरीब किसानों को तकावी नहीं मिलती, जो बड़े बड़े काश्तकारान हैं और जिन की पहुच बड़े बड़े अहलकारान तक है, उनको मिल जाती है और वे बेचारे गरीब जिनकी पहुंच नहीं है उनको नहीं मिलती और उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देवें कि तकावी का वह रुपया जो गरीब किसानों को मिलना चाहिये वह उनको मिल सके। इसके अलावा मंत्री महोदय ने इस वर्ष बहुत सी संस्थाओं के लिये और बहुत से जरूरत-मंदों के लिये रुपया रखा है। 'लो इन्कम ग्रूप्स हाउसिंग स्कीम' के लिये ३ करोड़ रुपया रखा गया है मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में हाउसिंग के संबंध में जरूरत है और इस संबंध में तेजी से गौर करने की जरूरत है। हाउसिंग की कमी तो है और इस संबंध में जितनी भी रकम रखी जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन इसके संबंध में जो साहित्य बांटा गया है उसमें प्रचुर मात्रा में यह नहीं बतलाया गया है कि किस प्रकार इन तीन करोड़ रुपये में से खर्च किया जायगा और इसमें कितना रुपया फी कश के हिसाब से देने की स्कीम है। उसके बारे में मन्त्री महोदय बता दें तो अच्छा है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डस और टाउन एरियाज की मदद करने के लिये और उनको कर्ज देने के लिये इस वर्ष १३ लाख ५ हजार रुपया कुल रखा गया है जब कि नगरपालिकाओं के लिये ४ करोड़ ५ लाख रुपये हैं। यह बात सही है कि नगरपालिकाओं में जल की सप्लाई के लिये रुपये की जरूरत है फिर भी १३ लाख ५ हजार रुपये इस प्रदेश के समस्त डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और टाउन एरियाज के लिये बहुत कम है। सभी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत बहुत खराब है लेकिन उसकी तरफ माननीय मन्त्री जी ने पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया। वहां इतनी रकम देनी चाहिये कि वह लोग अपना काम चला सकें। टाउन एरियाज की जो हालत है उसे क्या कहा जाय? वहां की गलियां, कूंचे, जहां भी जाइये बहुत गन्दी हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। इसलिये उनको ऐसी रकम दें ताकि उनकी हालत सुधर सके और वह लोग जो देहातों में रहते हैं वह लोग भी आपकी रकम का वास्तविक फायदा उठावें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा मैंने कहा कि इस बड़ी रकम के अन्दर अगर उन लोगों को जिनको जरूरत है और रुपया उनको मिले तो उनको फायदा हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यही होता ह कि जो सरकारी अधिकारियों तक पहुंच पाते हैं और जिनकी वहां पर दौड़धूप है वही फायदा उठाते हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं चाहता था और चाहता हूं कि मन्त्री महोदय कोई सरकुलर जारी करें ताकि गरीब किसानों को जो तकावी मिलनी चाहिये वह उन तक पहुंच जाव और इधर-उधर के दूसरे लोगों को न मिले।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के संबंध में दो चार बातें अपने माननीय मत्री जी के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। यह मेरी बदकिस्मती है कि इस भवन में बार-बार मुझे मार्टिन कम्पनी की तारीफ करनी पड़ती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--तारीफ या निन्दा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उसको क्या समझूं ? तारीफ ही समझूंगा क्योंकि अगर निन्दा होती तो कुछ और होता ? मैं तो इसको तारीफ ही कहूंगा। मार्टिन कम्पनी की तारीफ मैंने ही नहीं की, आचार्य जुगुल किशोर भी कर चुके हैं उसके एकाउन्ट के संबंध में, उसकी गड़बड़ी के सबंध में जो धारणायें मौजूद हैं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वे असत्य सिद्ध नहीं हुई हैं। इस पर भी हमारे प्रदेश की जनता का ३२ लाख रुपया उनको कर्ज के रूप में देने का तसफिया मन्त्री जी ने किया है। ५३-५४ में १० लाख, ५४-५५ में १९ लाख २४ हजार और इस वर्ष में ३२ लाख रुपया आपने देने को सोचा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उनको रुपया भी कर्ज दिया और बनारस राज्य में रामनगर का बिजलीघर भी दिया कि उसको ले कर वे चलावें। इस सरकार ने इस रामनगर के छोटे से कस्बे के पावर हाउस को मार्टिन कम्पनी को दे कर ५० मजदूरों की जिन्दगी को किस तरह से बरबाद किया है इसका शायद इतिहास में दूसरा साक्षी न हो कि जब ऐड मिनिस्ट्रेशन बदले तो मजदूरों के साथ ऐसा किया जाय! सरकार ने कह दिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने इन्तजाम मार्टिन को दे दिया। सरकार ने मार्टिन को बिजली का कारखाना दिया, रुपया दिया लेकिन मार्टिन ने इतनी भलमनसाहत न की कि उन मजदूरों को अपने में खपा लेती! बदनामी किसकी हुई ? कांग्रेस सरकार की हुई। उस सरकार की जिसने मार्टिन कम्पनी को मदद करने में भरपूर कोशिश की और जिसको ३२ लाख रुपया यह सरकार दे रही है। मैं डरता हूं कि कहीं यह कर्ज भी बदनामी का बायस न हो जाय बजाय नेकनामी हासिल करने के ? यह रुपया खतरे से खाली नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि इनके एकाउटेंट बैठते हैं कलकत्ते में और बिजली बिकती है लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में। इनका हिसाब बनता है कलकत्ते में नतीजा यह होता है कि कोई नहीं जानता कि वहां क्या बनता है और क्या नहीं बनता है ? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन किसी दिन अगर हाफिज जी इजाजत देंगे तो मैं उनके सामने दो चार ऐसी बातें पेश करूगा जिनसे वे समझ जायेंगे कि इन कम्पनियों के साथ इस तरह की मदद करना कितनी दूर तक मुनासिब होगा।

कन्ज्यूमर का हाल यह है कि रुसवाई कज्यूमर की है कम्पनी के कारनामों से। बजाय एक महीने के यह कम्पनी दो महीने का बिल भेजती है और बेचारा मिडिल क्लास का तबका, जो अपने महीने भर का बजट बैलेंस नहीं कर पाता, दो-दो महीने का बिल एक ही महीने में अदा करता है। इस कम्पनी की खामियों की वजह से कज्यूमर को बड़ी नाराजगी है और यह सरकार उस पर भी ३२ लाख रुपये कर्ज उसी कम्पनी को दे रही है तो कम से कम कुछ ऐसा काम करवाने का दावा करे जो मुनासिब और गैर मुनासिब के बीच में एक लकीर पड़ सके। इस मार्टिन कम्पनी का खेल निराला खल, काम निराला काम है। ये रुपया किस-किस चीज में डुबो रहे हैं ? अमेरिका से मशीनरी मगाने में, विलायती आफिसर्स को इग्लैन्ड भेज कर उनको

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

टी० ए० और ऊंची ऊंची तनख्वाहें देने में। यह सब एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अन्तर्गत है लेकिन मैं उन आदमियों में हूं जो इस इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के कायल नहीं हैं और जो कमियां हैं उनको देखते हैं। इसकी क्या कैपिटल आउटले है, क्या टेंजिबिल और इटेंजिबिल ऐसेट्स हैं, इन सबको मैंने समझा है। इसमें कन्ज्यूमर्स और मजदूरों की बुरी हालत है। जो आप ३२ लाख रुपया दे रहे हैं तो उसके लिये आप कहेंगे कि ट्यूबवेल्स की लाइन्स खिचवानी हैं, सीतापुर में बिजली ले जानी है और चकिया में ट्यूबवेल्स बनाने हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मार्टिन कम्पनी के एकाउन्ट के फरेब से डर लगता है। मैं फिर अदब के साथ कहूंगा कि इस मार्टिन कम्पनी को रुपया देना, उसके कब्जे में इतना रुपया डालना खतरे से खाली नहीं है, बराय मेहरबानी इसे इतना रुपया न दिया जाय। इतना ही अर्ज करने के लिये मैं खड़ा हुआ था।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बहुगुणा जी ने जो मार्टिन कम्पनी के खिलाफ शिकायत की उसके पहले भी जो अनुदान आया था उससे भी वे शिकायत कर चुके हैं, और संभवतः आचार्य जुगुलकिशोर जी ने भी इस संबंध में कहा है कि मार्टिन एन्ड कम्पनी का हिसाब जो है वह कुछ मेरी समझ में नहीं आता कि उसके क्या एकाउन्ट हैं? मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर गवर्नमेंट को क्या दिलचस्पी है कि सन् ५३–५४ में १० लाख रुपया, १९५४–५५ में १९ लाख २४ हजार और इस साल ३२ लाख रुपया इसको दिया गया है? दिनोंदिन यह रकम बढ़ती जाती है। जो दूसरे इस तरह के हमारे प्रदेश के उद्योग-धन्धे करने वाले लोग हैं अगर उनके एकाउन्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और उसकी यह मदद विदहेल्ड कर दी जाती है बन्द कर दी जाती है, और यह मार्टिन कम्पनी को हर साल दुगनी तिगुनी मदद दी जाती है? मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने की अवश्य कृपा करेंगे।

इसमें दूसरी बात यह है कि जो छोटे परिमाण में तथा घरेलू उद्योग करने वालों का ऋण है उसमें यह देखा गया है कि अधिकांश उन लोगों को यह ऋण दिया गया है जो बड़े-बड़े उद्योग करते हैं। ज्यादातर छोटे उद्योग देहातों में होते हैं लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यह रुपया अधिकांश शहरों में या बड़े-बड़े नगरों में ही दिया गया है, जहां लोग छोटे रोजगार के बहाने बड़े-बड़े उद्योग चलाते हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बात का ख्याल रखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का ऋण जो दिया जाय वह छोटे उद्योग धंधों के लिये ही दिया जाय और गरीब आदमियों को दिया जाय ताकि गांधी जी का गांवों वाला जो यह देश है वह फले फूले और गांवों की समृद्धि कुछ बढ़े और गरीब मनुष्य भी उसका और स्वराज्य का उपयोग कर सकें।

उपनिवेश के संबंध में भी कुछ ऋण दिये जाने की योजना है। अभी तक इस योजना में यह जो रकम दी गई है उसमें से अधिकांश रकम जो तराई भाबर में बड़े-बड़े फार्म ले कर बसने वाले लोग हैं उन्हीं को दी गई है, और उन्हीं के लिये यह रकम पूर्ण रूप से खर्च की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे यहां प्रश्न भी किये गये हैं और अधिकांश सरकार की तरफ से कई जगह हरिजन कालोनीज भी बसाई गई हैं लेकिन इसको समुचित कहना ठीक नहीं है। नाममात्र के लिये भी कोई मदद नहीं दी गई है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस सबध में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हरिजन लोग हैं, जो साधन हीन हैं, उन लोगों को इस में से कुछ मदद दें और उन पर भी कृपा करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सुधार के लिये भी अग्रऋण देने की इसमें व्यवस्था है, १ लाख १२ हजार रुपया। मुझे इस बात का खेद है कि बुंदेलखंड में मैं समझता हूं कि कई वर्षों से इस रकम से नाम मात्र के लिये भी ग्रामों की उन्नति के लिये या उनकी दशा सुधारने के लिये किसी

प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया गया है। आखिर मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की रकम कैसा ग्राम सुधार के नाम पर कहां खर्च किया जाता है ? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बुंदेलखंड जो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, वहां के गांव वालों की दशा बहुत खराब है, उनकी उन्नति के लिये उनको भी ऋण देने की भविष्य में कृपा करेंगे।

इसी प्रकार से चमड़े की कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात है। हमारे यहां हमीरपुर में कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज बन गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और प्लैनिंग कमेटी ने भी इस सम्बंध में कुछ रकम देने का वायदा किया है लेकिन अभी तक उन समितियों को कोई ऋण नहीं दिया गया है। मैं जहां तक समझ सका हूं, इस सम्बंध में भी उन्हीं लोगों को सहायता दी गई है कि जो लोग नगरों में रहते हैं, साधन संपन्न हैं या उनका सरकार तक या माननीय मंत्री तक पहुच हो सकती है।

मुझे आशा है कि मंत्री जी भविष्य में जो ग्रामीण लोग हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, चूंकि गांव में ही अधिक लोग चमड़े का काम करने वाले रहते हैं इस देश के, इसलिये इस रकम से अधिकांश रकम गांव में चमड़े के जो रोजगारी हैं, कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा काम करना चाहते हैं, उनकी मदद के लिये देने की कृपा करेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से अपने माननीय सदस्यों के भाषण को सुना और विशेष कर माननीय बहुगुणा जी को। उनके भाषण के सुनने के बाद मेरे हृदय में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि आया सरकार की मंशा मार्टिन कम्पनी को रुपया देकर आत्म निर्भर बनाना है या ऋण निर्भर ? मुझे ऐसा मालूम होता है कि सरकार की मंशा और उस कम्पनी की भी मंशा ऐसी है कि वह ऋण निर्भर रहे।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान आप के द्वारा आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि इस अनुदान में पंपिंग प्लान्ट की चर्चा है और हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था में सरकार ने काफ़ी प्रयत्न भी किया है, फिर भी बहुत से इलाके बाकी हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और सरकार असमर्थ है जहां जंगल हैं और तरह तरह की असुविधायें हैं। तो पंपिंग प्लांट की स्कीम वहां होनी चाहिये। श्रीमन्, पंपिंग प्लान्ट खरीदने में सब्सिडी बिहार की गवर्नमेंट ने प्रान्त की गवर्नमेंट से ज्यादा दी है और ज्यादा उस का बंटवारा भी हुआ है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें ज्यादा ऋण दें जिससे पंपिंग प्लान्ट का, इस्तेमाल किसान करें, जहां नदियों का सहारा है, उससे काम ले सकें।

श्रीमन्, एक विषय छोड़ दिया गया। विशेषकर माननीय शिवनारायण जी के लिये, इसमें व्यवस्था है, चमड़ा बनाने के उद्योग के ऊपर बहुत कम रुपया रखा गया है। मैं समझता था कि कुछ सदस्य विशेष दिलचस्पी रखते हैं। आज भी प्रश्नों के समय बड़ी चर्चा हुई हरिजनों की दशा के बारे में नौकरी में तथा और तरह से, लेकिन जब उनको रुपया देने की बात आयी तो एक लाख रुपया रखा गया। चमड़े का उद्योग विशेषतः हरिजनों के हाथ में और जितने भी पिछड़े हुये हैं, उनके हाथ में है, इसके बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सहृदयता से काम लें और उनकी गरीबी को देखते हुये इस मद में अवश्य रुपया बढ़ाने की कोशिश करें। श्रीमन्, गृह उद्योग की बड़ी चर्चा है, गुड़ के भाव और कंट्रोल पर बड़ा विवाद हुआ। लेकिन गुड़ के बनाने में कोल्हू और कढ़ाई के लिये सिर्फ एक लाख रुपया ? अपने प्रान्त में जहां गुड़ इतना अधिक होता है वहां उस काम को बढ़ाने के लिये एक लाख रुपया रखा गया है, यह बहुत कम है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इन दोनों कामों को बढ़ाने के लिये और रुपया अधिक दने में सहयोग देने की कृपा करें।

[श्री रामेश्वर लाल]

श्रीमन्, मुझे अधिक समय नहीं लेना है मंत्री जी का। सहकारी समितियों की चर्चा है, एक किताब भी प्रकाशित हुई है और सहकारी समितियां बनीं। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी वृद्धि होनी चाहिये। बहुत से गांवों ने साल भर पहले दरख्वास्त दी कि उनके गांव की सोसाइटी रजिस्टर हो जाय लेकिन आज तक नहीं बन पायी। उसमें एक घांधली और है कुछ बड़े लोग, जिनका स्थान ऊंचा है, और मुझे श्रीमन्, कहते हुये ज्यादा संकोच नहीं होता कि केन्द्रीय गवर्नमेंट के यहां एक मुख्य स्थान पर मंत्री बने हुये बैठे व्यक्ति ने अपने घर में सहकारी खेती करने के लिये सहकारी समिति बना ली। वहां पर केन डेवलपमेन्ट हैं, काफी रुपया दिया जा रहा है। तो ऐसी समितियों की छानबीन करनी चाहिये कि ऐसी सहकारी समितियां बना कर लोग नाजायज फ़ायदा न उठायें, और हमारे प्रान्त के लोग हैं, और खास कर उच्च अधिकारी हैं, जो केन्द्रीय सरकार में हैं और अगर श्रीमन्, उनका नाम पूछा जाय तो मैं बता सकता हूं, लेकिन कुछ साथी कह रहे हैं कि न कहो, मुझे हिचक नहीं बताने में क्योंकि कटु सत्य है। लेकिन मुझे तकलीफ होती जब उसी गांव में बिलबिलाते हुये लोगों को देखता हूं। केन डेवलपमेंट और सहकारी संस्थायें रुपया नहीं दे पातीं, बीज नहीं दे पातीं, खाद नहीं दे पातीं और हजारों मन बीज, हजारों मन धान, हजारों रुपया उनके फार्म में सहकारी समिति के नाम पर दिया जाता है, जो कि उनके बेटी, बेटे, दामाद, भतीजे आदि चलाते हैं। श्रीमन्, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर भी जाना चाहिये, सहकारी समिति के नाम पर ठगी नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइंट आफ़ क्लेरिफिकेशन, चूंकि उन्होंने मेरा नाम ले लिया था, मैं उनको बता दूं.....

श्री उपाध्यक्ष—नाम लेने से कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं कही थी उन्होंने। कोई आक्षेप नहीं हुआ आप पर। (वित्त मंत्री से) क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी, बहुत अच्छा। मगर मैं तो समझा नहीं कि क्या कहा उन्होंने? मैंने जनाब, बहुत कोशिश की कि अपने दोस्त इस कटमोशन के मूवन की बात को समझूं लेकिन मैं वाकई नहीं समझ सका और सिर्फ इसलिये नहीं समझ सका कि वह इस क़दर जोर से बोल रहे थे कि जितने जोर से इस पर बोलने से वह सारा बोलना ख़राब हो जाता है। इधर जो साहबान बैठे हैं उनसे भी मैंने पूछा कि क्या बात आप फरमा रहे हैं? मगर पूरी तौर पर कोई बात समझा नहीं। तो मैं उनसे एक यह दरख्वास्त करता हूं कि खैर, वह नहीं समझा यहां, न समझूं। लेकिन वह मुझको अपनी बातें बता सकते हैं। खुद मेरे और उनके बीच में बातचीत उन सब के मुताल्लिक हो सकती है और मैं उनकी तरफ ध्यान दे सकता हूं। तो वह मुझको बतला दें, मैं सुन लूंगा उनको और जो कुछ भी उसके मुताल्लिक कार्य है वह करूंगा। इधर मेरे भाई बहुगुणा जी ने साहब मार्टिन कम्पनी के मुताल्लिक कहा। वह तो बातें मैं वाकई जानता नहीं जो वह बतला रहे थे और मैं बड़े शौक से उनको सुनूंगा और जो शिकायतें उनकी हैं, मैं यह भी कोशिश करूंगा कि वह दूर हो जायं। लेकिन बात एक और है असल में कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं बिजली का तो बिजली के डेवलपमेंट करने में मेरे नजदीक वह बहुत एक्सपर्ट हैं। ऐसे काम्पीटेंट आदमी अपने यहां बहुत कम हैं जैसे वह लोग हैं मार्टिन कम्पनी के बिजली के काम करने वाले। अब यह कि व्यवहार में वह कैसे हैं या क्या करते हैं, इसकी मुझे ख़बर नहीं है और मैं उनकी निस्बत अपने विभाग में अभी कोई बदगुमानी नहीं रखता हूं। लेकिन चूंकि वह कह रहे थे, उनके आदमियों में कुछ बातें होंगी तो मैं उनको जरूर सुनूंगा और यह चाहूंगा कि मेरी राय उनके मुताल्लिक ठीक हो जाय और जहां तक हो उनके इस्लाह की कोशिश की जाय। वर्मा जी की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी तकरीर मैंने सुनी। उन्होंने कई बातों की तरफ ध्यान दिलाया। वह बात ठीक है। मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाऊंगा जिनके मुताल्लिक यह काम है उनका, इसलिये कि मैं खुद तो उसको बांटता नहीं, उस रुपये को। तो राजा राम साहब की तकरीर और उनकी तकरीर दोनों को मैं उनकी नोटिस में ला दूंगा ताकि वह उन बातों का ध्यान रखें जो कि कही गयी हैं। और शायद ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर,.....

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह किस रूल के अनुसार बोल रहे हैं ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---माननीय वित्त मंत्री ने अपना टाइम मुझे दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से दो तीन निवेदन कर देना चाहता हूं। एक तो हमारे माननीय मित्र ने अपने कटौती के प्रस्ताव में कुछ १५ लाख रुपये का जिक्र किया शुगर केन डेवलपमेंट के सम्बन्ध में। उनके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह रक़म २५ लाख रुपये की रकम केन्द्रीय सरकार से हमको मिलती थी और उस रक़म को उन्होंने हमसे बांटने के लिये कहा था। उसे हमने कोआपरेटिव को दे दिया। तो उसमें से १० लाख रुपया पारसाल दिया जा चुका है। १५ लाख बाक़ी रह गया है जिसको इस साल दे रहे हैं। एक चीज तो श्रीमन्, यह थी। दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने यह कहा कि करीब ६० लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों को मोटर आदि के लिये दिया जा रहा है। इसके बारे में यह कहना है कि यह मोटर आदि के लिये ही नहीं बल्कि इसलिये है कि सहकारी कर्मचारियों को मकान की बड़ी दिक्क़त है और मकानों का गवर्नमेंट प्रबन्ध नहीं कर सकती, इसलिए मकान बनवाने के लिये पेशगी उनको दिया जा रहा है बतौर क़र्ज़ के, और इसके साथ-साथ मोटर ख़रीदने के लिये। यह नियम है कि जब मोटर ख़रीद ली जाती है तो उसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनसे गवर्नमेंट की टी० ए० आदि में वास्तव में बचत होती है और अगर उस हिसाब को वह देखें तो मालूम पड़ेगा कि इससे सरकार को थोड़ी सहूलियत हो जाती है। यह बात तो वह भी स्वीकार करेंगे कि मकान बनाने के लिये उनको ऋण मिलना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि बहुत से आइटम्स जो ऋण के हैं, जो म्युनिसिपैलिटी आदि को ऋण दिया जा रहा है तो उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मिला है जो कि ऋण के रूप में उनको दिया जायगा। सूद की दर अभी कुछ मुकर्रर नहीं हुई है और अमूमन ऐसा ख्याल किया जाता है कि साढ़े चार परसेंट की दर गवर्नमेंट आफ इंडिया मुकर्रर करेगी तो ५ परसेंट पर यहां से हम देंगे। वह रुपया हमें इस सिलसिले में देना है। कुछ रुपया ऋण को ऋण के रूप में दिया गया है, कुछ एडवांस में दे रहे हैं। जहां तक टेक्निकल एजूकेशन के सम्बन्ध में रुपया देने की बात है, तो टेक्निकल एजूकेशन को हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं। इस स्कीम के मातहत हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन स्पेशलाइज्ड़ ट्रेनिंग के लिये, बाहर जा कर स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये जो विद्यार्थी जाते हैं उनके लिये थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति का प्रबन्ध हमने किया है और कुछ केन्द्रीय सरकार ने किया है। यह तीन चार मोटी बातें हैं। मैं समझता हूं कि अब वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---विधान का प्रश्न है। क्या कोई माननीय मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि न मिनिस्टर हों, न डिप्टी मिनिस्टर हों, न पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हों, सरकार की तरफ से जवाब देने का अख्तियार दे सकता है ? मैं इस पर आप की रूलिंग चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दे सकता है। मिनिस्टर तो कोई भी अधिकार किसी को दे सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस सदन के किसी सदस्य को, माननीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या अधिष्ठाता के अलावा, कोई मंत्री या सदस्य अपना समय काट कर के दूसरे को बोलने का अधिकार दे सकते हैं? यह स्पष्टीकरण कर दिया जाय, क्योंकि आगे के लिये भी ऐसा न हो कि कोई माननीय सदस्य कह दें कि मैंने इनके समय में से काट कर अपना समय ले लिया। यह तो चेयर को अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस किसी प्रबन्ध से सदन को लाभ हो सकता है उसको सदन स्वीकार करता है। इस समय सदन के समय का उपयोग करना था। माननीय मंत्री जी ने उनको यह मौका दिया। इसमें तो कोई अनुचित बात उन्होंने नहीं की।

श्री शिवनारायण—मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाता हूं। मिनिस्टर साहब के बोलने से पूर्व मैंने निवेदन किया था कि मैं उस बात का जवाब दे दूंगा जो कि सदन में कही गयी कि हरिजन सब यहां बैठे हैं, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। उस समय हमें समय नहीं मिला, तो उसके लिये अब समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य वैधानिक प्रश्न तो नहीं उठा रहे हैं और न उनके ऊपर कोई आक्षेप है। इसलिये माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द को अपने समय में से कुछ समय मंत्री जी ने दे दिया। अभी समय बाक़ी है, इसलिये मैं मंत्री जी से इल्तजा करूंगा कि वह कुछ समय माननीय शिवनारायण जी को भी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो उनकी मरजी की बात है। अब यह सम्भव नहीं है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—ब्याज वाले ऋण और अप्रऋण (लेखा शीर्षक: त—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अप्रऋण,) के अंतर्गत ११,७७,५६,-००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २१ तारीख, सोमवार को दिन के ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५७ मिनट पर सोमवार, २१ मार्च, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७८ पर)

Descriptive Proforma

---

1. Number of Scheme .. .. —4(*b*).
2. Name of Scheme .. .. Improvement of selected Higher Secondary Schools in the State.

(*a*) Area selected for the scheme .. 51 selected Higher Secondary Schools one in each district.

(*b*) Information on the scheme as desired by Government of India .. ..

1. Land and site availabe or to be acquired and buildings available or to be constructed. .. .. .. Buildings available.
2. Staff required .. .. .. Staff available.
3. Technical equipment required .. To be purchased locally.
4. Finance needed in 1953-54 and in subsequent years 1954-55 and 1955-56 ..

	Non-Recurring (Existing)	Additional non-recurring	Total Government of India subsidy at 66 per cent
1953-54 ..	3,08,300	7,65,000	10,73,300 7,08,378
1954-55 ..	3,08,300	7,65,000	10,73,300 7,08,378
1955-56 ..	3,08,300	7,65,000	10,73,300 7,08,378

5. Machinary to be set up to administer and avaluate the scheme or schemes .. .. ..

1. An officer of the U. P. E. S. senior scale of Rs.500--50—1,200 to be appointed in connexion with implementation of Five Year Plan Educational Development.
2. District Inspector of Schools concerned.

6. Any other relevant information

There has been an abnormal increase in the number of private Higher Secondary Schools during recent years. Their resources being limited these schools could not be equipped with a good library, equipment, appliances and other teaching material for science , crafts, and similar other subjects. It is therefore, proposed to give a non-recurring grant of Rs. 15,000 to 51 institutions annually for the purpose the details of which per school per year are as noted below:

	Rs.
1. Expenditure for additional accommodation	4,000
2. Educational equipment ..	5,000
3. Library	
(i) Books, news papers, periodicals etc.	4,000
(ii) Furniture	1,000
(iii) Extra curricular activities ..	1,000
Prizes to students taking active part in debates, Dramas etc., ..	
Total ..	15,000

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ——३८८——पर ।)

सुल्तानपुर जिले की संस्कृत पाठशालाओं की तालिका जिन्हें गत वर्ष १९५३-५४ में आवर्तक तथा अनावर्त्तक अनुदान दिया गया है।

क्रम-संख्या	नाम	आवर्त्तक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक पुस्तकालय अनुदान
		रु०	रु०
१	सुल्तानपुर शिव सनातनधर्म संस्कृत पाठशाला, विलबाई	१,२६०	५०
२	कमलाकर विद्यालय, लोहरामऊ ..	२,४७२	५०
३	हनुमत संस्कृत पाठशाला, विजैथुआ, महावीर, पो० आ० सूरापुर	६७८	५०
४	श्रीमत परमहंस संस्कृत विद्यालय, टीकरमा फी, पो० मोदार	२,३५२	५०
५	हिन्द संस्कृत विद्यालय भारतीपुर, पो० भदैया ..	६४८	५०
६	राजकीय संस्कृत पाठशाला, कुडवार ..	६९६	..
७	राजकीय संस्कृत पाठशाला, पो० आ० दियरा ..	६४८	..
८	देवी पाटन संस्कृत पाठशाला, अमेठी ..	६१२	५०
९	गौरीशंकर संस्कृत पाठशाला, सिंगडी त्रिसुंडी, सुल्तानपुर	३६०	५०
१०	बलदेवदास हनुमत संस्कृत पाठशाला, उनुरखाकुटी हमीद पुर, सुलतानपुर	३३६	५०
११	संस्कृत पंच विद्यालय, कौहारमल, शाहगढ़ ..	३८६	५०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८८ पर)

विवरण-पत्र

विषय	शिक्षकों की संख्या	शिक्षार्थियों की संख्या
१—दर्जीगीरी	..	..
२—बढ़ईगीरी	..	..
३—टर्नर	..	..
४—फिटर	२०	२२५
५—बिजली का काम	..	..
६—मोल्डिंग	..	..
७—मोटर मैकेनिक	..	..
८—केलिको प्रिंटिंग	..	..

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—२० पी० ४ एल० ए०—१९५५—७९६ ।